सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राजस्थान में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन

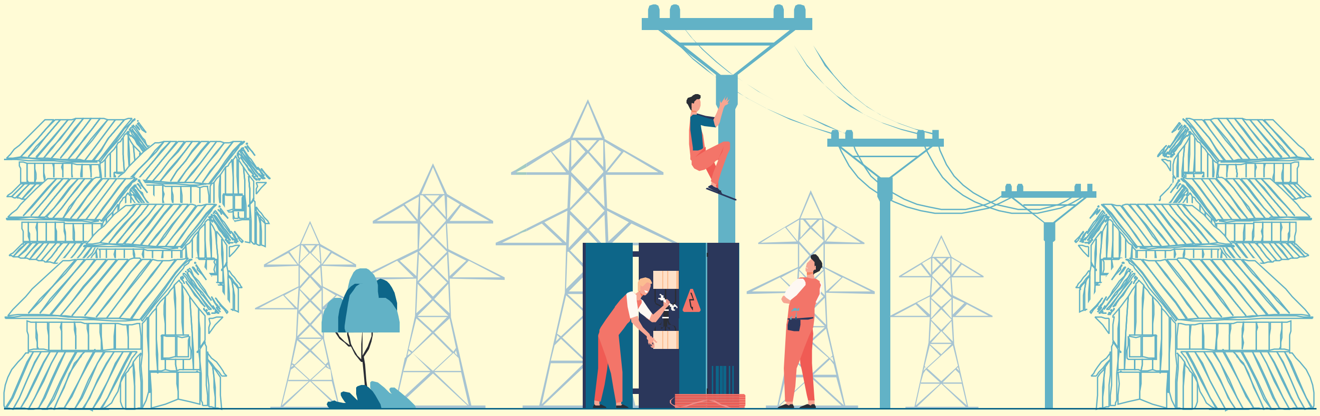

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 7

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

का

राजस्थान में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के कार्यान्वयन

पर

निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

राजस्थान सरकार

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 7

विषय सूची

पैरा सं.	विषय–वस्तु	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		v
कार्यकारी सारांश		vii
	अध्याय–I	
	परिचय	
1.1	परिचय	1
1.2	ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु राज्य योजना	1
1.3	प्रस्तावित योजनाएं एवं निधि की आवश्यकता	2
1.4	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)	3
1.5	हितधारकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व	4
1.6	ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति	5
1.7	लेखापरीक्षा का क्षेत्र	5
1.8	लेखापरीक्षा उद्देश्य	6
1.9	लेखापरीक्षा मानदंड	6
1.10	लेखापरीक्षा कार्यविधि	7
1.11	आभार	7
1.12	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	7
	अध्याय–II	
	परियोजना निर्माण एवं निष्पादन	
2.1	परियोजना निर्माण एवं निष्पादन	9
2.2	परियोजना निर्माण	9
2.3	आवश्यकता आंकलन दस्तावेज तैयार करना	9
2.4	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना	10
2.5	परियोजनाओं का अनुमोदन	11
2.6	राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर तंत्र	12
2.7	योजना के क्रियान्वयन में विलंब	13
2.8	परियोजनाओं को प्रदान करने में विलंब	13
2.9	परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब	14
2.10	परियोजना की घटक-वार स्वीकृत लागत के समक्ष वास्तविक लागत	15
2.11	भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां	16
2.12	कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण	19
2.13	उप-पारेषण एवं वितरण ढांचे का सुदृढ़ीकरण एवं आवर्धन	21
2.14	ग्रामीण विद्युतीकरण	30

2.15	गृहों का विद्युतीकरण	32
2.16	विद्युत आपूर्ति का निष्पादन	36
2.17	बिलिंग चक्र	37
2.18	बीपीएल की विद्युत बिल भुगतान क्षमता	37
2.19	भुगतान में चूक की सीमा	38
2.20	एकीकृत तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां	39
	अध्याय III	
	संविदा प्रबंधन	
3.1	संविदा प्रबंधन	45
3.2	उपापन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधान	45
3.3	आरटीपीपी अधिनियम, 2012/आरटीपीपी नियम, 2013 के प्रावधान	45
3.4	केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देश	46
3.5	परियोजनाओं के निर्माण एवं निगरानी के लिए एजेंसियों की नियुक्ति	47
3.6	आरटीपीपी अधिनियम/नियमों के उल्लंघन में वेपकोस का नामांकन	49
3.7	डीडीयूजीजेवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु टर्नकी संविदा प्रदान करना	50
3.8	एसबीडी/परियोजना अनुमोदन को अंतिम रूप दिए बिना निविदा आमंत्रण	50
3.9	बीओडी निर्देशों का सक्षम अनुमोदन/अनुपालन सुनिश्चित किए बिना अनुचित दर पर ठेके प्रदान करना	51
3.10	एमएंडपी बॉक्स की स्थापना पर ₹ 1.18 करोड़ का निष्फल व्यय	52
3.11	कॉपर वाउण्ड डीटी के मूल्य विचलन को अनियमित रूप से जारी करना	54
	अध्याय- IV	
	निगरानी एवं गुणवत्ता आश्वासन तंत्र	
4.1	निगरानी एवं पर्यवेक्षण	57
4.2	जिला विद्युत समिति की सहभागिता	57
4.3	एसएलएससी को भौतिक प्रगति प्रस्तुत न करना	58
4.4	गुणवत्ता आश्वासन तंत्र	59
4.5	गुणवत्ता आश्वासन में डिस्कॉम्स का निष्पादन	59
4.6	गुणवत्ता आश्वासन योजना	60
4.7	गुणवत्ता आश्वासन जाँच	60
4.8	डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन में प्रयुक्त सामग्री का परीक्षण	61
4.9	केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला में विफल सामग्री का उपयोग	63
4.10	परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) का प्रदर्शन	64

4.11	डिस्कॉम्स/पीएमए द्वारा आरईसी गुणवत्ता निगरानी (आरक्यूएम) की अनुपालना	67
4.12	स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर को तैयार किया जाना	70
	अध्याय–V	
	डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत वित्त पोषण तंत्र	
5.1	डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत वित्त पोषण तंत्र	73
5.2	अनुदान की प्रथम एवं द्वितीय किश्त जारी किया जाना	74
5.3	अनुदान की तृतीय किश्त जारी किया जाना	75
5.4	प्रदान की गई लागत में अनुचित राज्य कर सम्मिलित करना	76
5.5	अमान्य भूमिगत केबिल कार्यों का समावेश	77
5.6	परियोजनाओं के समापन हेतु उचित एवं समय पर कार्यवाही का अभाव	78
5.7	अनुदान की कम प्राप्ति	78
5.8	अतिरिक्त अनुदान	79
5.9	लागत में वृद्धि	80
5.10	अव्ययित अनुदान पर अर्जित ब्याज को जमा नहीं करवाना	82
	अध्याय VI	
	लाभार्थी सर्वेक्षण	
6.1	लाभार्थी सर्वेक्षण	85
6.2	सर्वेक्षण हेतु अपनाई गई कार्यप्रणाली	85
6.3	सर्वेक्षण परिणाम	85
6.4	जागरुकता	86
6.5	बीपीएल को विद्युतीकरण किट प्रदान करना एवं सामग्री की गुणवत्ता	87
6.6	निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता	90
6.7	बिलिंग दक्षता	94
6.8	शिकायतों का निवारण	95
6.9	विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता	95
	अनुबंध	
1	निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु नमूने का चयन	99
2	डिस्कॉम्स द्वारा अनुबंधों को प्रदान करने एवं परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलंब को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	102
3	डिस्कॉम-वार स्वीकृत/प्रदान किए गए भौतिक कार्यो के साथ-साथ वास्तविक पूर्णता का 31 मार्च 2021 तक का विवरण	104
4	ग्राम विद्युतीकरण, सब-स्टेशन (एसएस) एवं फीडर के संबंध में 'गंभीर' एवं 'प्रमुख' के अन्तर्गत वर्गीकृत दोषों को दर्शाने वाला विवरण पत्र	105

5	परियोजना-वार स्वीकृत, प्रदान की गई लागत के साथ-साथ ही 31 दिसंबर 2020 तक किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	106
6	एमओपी द्वारा परियोजना वार जारी किये जाने वाले अनुदान विवरण को दर्शाने वालो विवरण पत्र	108
7	लाभार्थी सर्वेक्षण के परिणाम	110
पारिभाषिक शब्दावली		113

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 एवं सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया, की धारा 19ए के अंतर्गत राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में 2015-20 की अवधि में 'राजस्थान में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के कार्यान्वयन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को सम्मिलित किया गया हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।

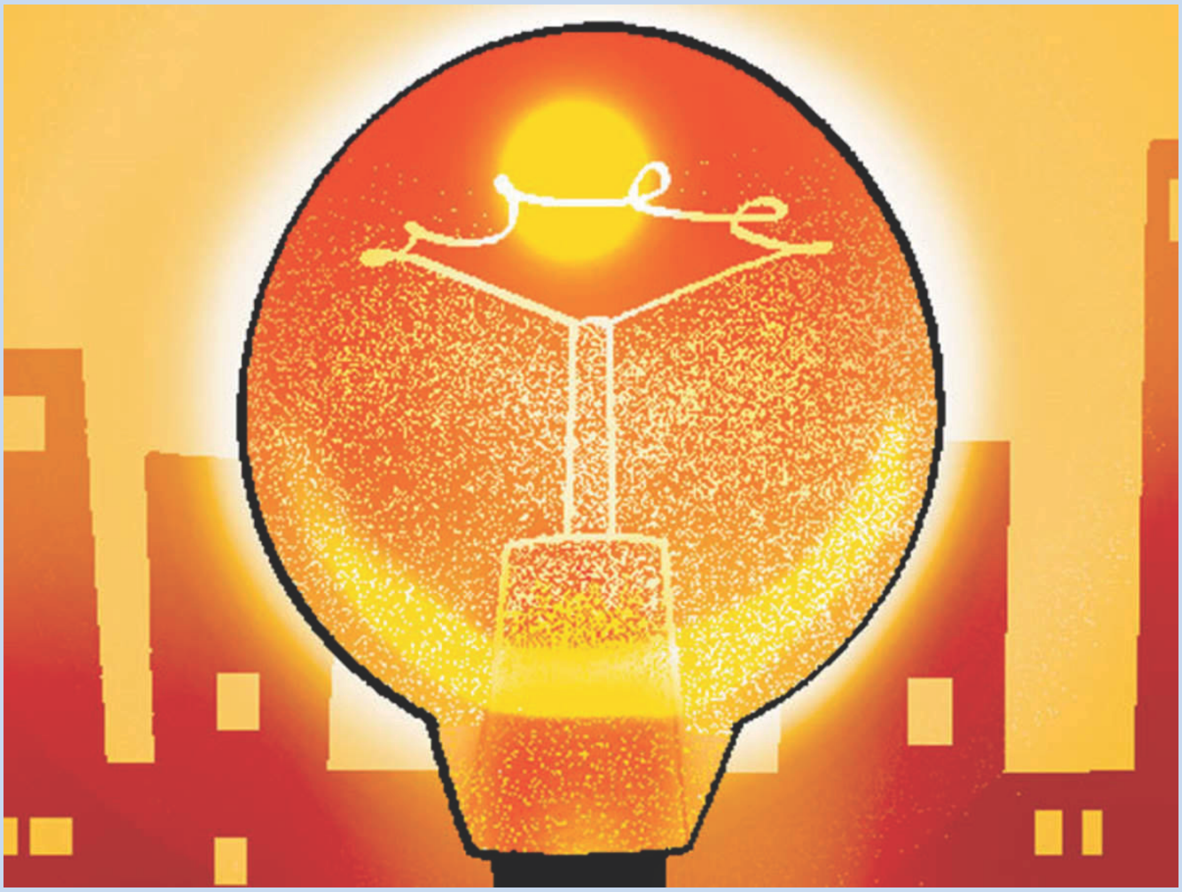

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

इस प्रतिवेदन के बारे में

ग्रामीण विद्युतीकरण को क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माताओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में पहचाना गया है। उप-पारेषण एवं वितरण (एसटीएंडडी) के बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) आरंभ की (दिसंबर 2014)। डीडीयूजीजेवाई के प्रमुख उद्देश्य थेः

- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं की आपूर्ति को विवेकपूर्ण तरीके से किए जाने की सुविधा हेतु कृषि एवं गैर कृषि फीडरों का पृथक्करण;
- वितरण ट्रांसफार्मर्स, फीडर एवं उपभोक्ताओं के छोर पर मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण की आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण एवं आवर्धन; तथा
- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत निर्धारित (अगस्त 2013) लक्ष्यों के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण।

यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राजस्थान राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन पर की गई निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकट हुए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रस्तुत करता है।

लेखापरीक्षा को किए जाने का उद्देश्य

वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में 56.67 प्रतिशत ग्रामीण घरों के पास विद्युत की पहुंच थी। साथ ही, 31 मार्च 2015 को राजस्थान में 110.47 लाख ग्रामीण घर थे, जिसमें से 43.64 लाख ग्रामीण घर (39.50 प्रतिशत) अविद्युतीकृत थे। डीडीयूजीजेवाई के प्रमुख उद्देश्यों एवं ग्रामीण विद्युतीकरण को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में चिन्हित किए जाने को ध्यान में रखते हुए योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन आवश्यक हो गया है।

राजस्थान में डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा 2015-20 की अवधि को सम्मिलित करते हुए 2020-21 के दौरान की गई। लेखापरीक्षा ने ढांचागत कार्यों एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किए जाने की आवश्यकता की पर्याप्तता, परियोजनाओं का निष्पादन मितव्ययितापूर्वक किए जाने में दक्षता, निगरानी तंत्र की पर्याप्तता एवं योजना के उद्देश्यों को एक दक्ष व प्रभावी तरीके से पूर्ण किए जाने का मूल्यांकन किया।

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कार्यान्वयन, गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र एवं परियोजना प्रबन्धन एजेंसी (पीएमए) हेतु पृथक दिशानिर्देश भी जारी किए। जैसा कि डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों में प्रावधित है डिस्कॉम्स ने 33 डीपीआर यथा राज्य/डिस्कॉम्स के

प्रत्येक जिले/वृत्त हेतु एक, तैयार की। इन 33 परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत ₹ 2,819.41 करोड़ थी।

नौ जिले/वृत्त कार्यालय (प्रत्येक डिस्कॉम्स से तीन वृत्त कार्यालय, जो कुल 33 जिलों का 27.27 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं), जिनकी स्वीकृत लागत ₹ 1026.53 करोड़ (कुल स्वीकृत लागत का 36.41 प्रतिशत) थी, राज्य में योजना के कार्यान्वयन के विस्तृत मूल्यांकन हेतु चयन किए गये थे।

हमने क्या पाया है एवं हम क्या अनुशंसा करते हैं

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को मुख्य रूप से पांच अध्यायों यथा परियोजना निर्माण एवं निष्पादन; संविदा प्रबंधन; निगरानी एवं गुणवत्ता आश्वासन तंत्र; वित्त पोषण तंत्र; एवं लाभार्थी सर्वेक्षण में समाहित किया गया है। प्रमुख निष्कर्ष नीचे उजागर किए गये हैः

परियोजना निर्माण एवं निष्पादन

- आवश्यकता आंकलन दस्तावेज (एनएडी) तैयार नहीं किया था एवं इसलिए डिस्कॉम्स फीडर पृथक्करण की आवश्यकता एवं उप-पारेषण व वितरण तंत्र में गंभीर रिक्तियों को चिन्हित करने में विफल रहे।

(अनुच्छेद 2.3, पृष्ठ 9)

- स्वीकृत राशि के अनुसार, डिस्कॉम्स द्वारा तैयार की गई पूरक डीपीआर वेब पोर्टल पर अपलोड करने से पूर्व राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) के समक्ष इसके अनुमोदन हेतु नहीं रखी गई थी।

(अनुच्छेद 2.5, पृष्ठ 11)

- डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत प्रावधान होने के उपरांत भी, डिस्कॉम्स ने राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर तंत्र के तहत अपने जीएसएस/बिलिंग कार्यालयों एवं अन्य परिसरों को ऑप्टिकल फाइबर तंत्र से जोड़ने की पहल नहीं की थी।

(अनुच्छेद 2.6, पृष्ठ 12)

- जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम द्वारा परियोजनाओं को प्रदान किए जाने में {निगरानी समिति (एमसी) के अनुमोदन से एलओए जारी करने में} क्रमशः 164 से 276 दिवसों, 276 से 331 दिवसों एवं 185 से 352 दिवसों के मध्य सारभूत विलम्ब था।

(अनुच्छेद 2.8, पृष्ठ 13)

- डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत प्रदान की गई 33 परियोजनाओं में से कोई भी निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हुई थी एवं जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स में क्रमशः 367 दिवसों से 857 दिवसों, 697 दिवसों से 752 दिवसों एवं 19 दिवसों से 604 दिवसों के मध्य अत्यधिक विलंब था।

(अनुच्छेद 2.9, पृष्ठ 14)

- फीडर पृथक्करण कार्य में डीपीआर में जो परिकल्पित एवं अनुमोदित किया गया था, से अत्यधिक कटौती की गई थी। चयनित परियोजनाओं में, डीपीआर में पृथक्करण हेतु परिकल्पित 541 फीडर के समक्ष केवल 271 फीडर ही पृथक्कृत किए गये थे। पृथक्कत किए गये फीडर के आगे के विश्लेषण से उजागर हुआ कि 182 फीडर भार को नए फीडर पर पृथक किए बिना डाल कर अर्थतः पृथक्कृत किए गये थे।

- बहुत पहले वर्ष 2008 में फीडर पृथक्करण का कार्य प्रारंभ करने एवं XI व XII योजना में एवं डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत क्रमशः ₹ 2083.95 करोड़ एवं ₹ 329.29 करोड़ व्यय करने के पश्चात भी, डिस्कॉम्स कृषि एवं गैर कृषि फीडर के पृथक्करण का कार्य पूर्ण नहीं कर सके।

(अनुच्छेद 2.12, पृष्ठ 19)

- 33/11 किलो वोल्ट (केवी) या 66/11 केवी सब-स्टेशनों (एसएस) के नए एसएस/आवर्धन हेतु उप-पारेषण एवं वितरण तंत्र में गंभीर रिक्तियों की पहचान करने के लिए भार प्रवाह अध्ययन नहीं किए गये थे। ग्रामीण विद्युतीकरण कारपोरेशन (आरईसी) ने डिस्कॉम्स से भार प्रवाह अध्ययन मांगे (सितंबर 2016) परन्तु यह प्रदान नहीं किए गये थे।

(अनुच्छेद 2.13.1, पृष्ठ 21)

- निर्धारित मानदंडों की अनुपालना नहीं करने के साथ-साथ डीपीआर तैयार करते समय नियोजन समूह की सहभागिता नहीं होने, डिस्कॉम्स के विभिन्न समूहों के मध्य समन्वय के अभाव की परिणीति डीपीआर में अलाभकारी एसएस को शामिल किए जाने के रूप में हुई जिसके कारण 91 एसएस (कुल परिकल्पित 208 एसएस का 43.75 प्रतिशत) के स्थान में परिवर्तन हुआ।

(अनुच्छेद 2.13.2, पृष्ठ 21)

- डिस्कॉम्स ने डिस्कॉम्स समन्वय संगोष्ठी द्वारा निर्धारित विविधता कारक के अनुसार डीटी की स्थापना नहीं की थी एवं आवश्यकता से अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर्स के पेटे ₹ 53.15 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

(अनुच्छेद 2.13.4, पृष्ठ 25)

- डिस्कॉम्स ने कृषि एवं गैर-कृषि भार हेतु पृथक फीडर बनाए जाने के स्थान पर चयनित परियोजनाओं में नवनिर्मित 182 फीडर पर मिश्रित भार रखा।

(अनुच्छेद 2.13.6, पृष्ठ 27)

- तीनों डिस्कॉम्स में से किसी ने भी वितरण ट्रांसफार्मर्स पर मीटर लगाने का प्रावधान नहीं किया। साथ ही, योजना के अन्तर्गत निधि स्वीकृत किए जाने के उपरांत भी 3,626 दोषपूर्ण फीडर मीटरों को प्रतिस्थापित नहीं किया गया था।

- डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत ₹ 97.10 करोड़ की राशि स्वीकृत किए जाने के उपरांत भी, जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स ने एक भी दोषपूर्ण मीटर को प्रतिस्थापित नहीं किया था।

साथ ही, जोधपुर डिस्कॉम ने 2.08 लाख दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन हेतु कोई प्रावधान नहीं किया था।

- डिस्कॉम्स ने निर्धारित समयावधि के भीतर दोषपूर्ण मीटरों को प्रतिस्थापित नहीं किए जाने के पेटे 2016-20 के दौरान ₹ 50.37 करोड़ की छूट भी पारित की थी।

(अनुच्छेद 2.13.7, पृष्ठ 28)

- डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकरण हेतु परिकल्पित सभी 104 यूईवी पूर्व में ही विद्युतीकृत/अन्य माध्यमों से विद्युतीकृत थे, जिससे यह इंगित हुआ कि डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विचार किया गया यूईवी का विद्युतीकरण वास्तविक नहीं था।

(अनुच्छेद 2.14, पृष्ठ 30)

- डिस्कॉम्स ने 20.58 लाख ग्रामीण घरों (12वीं योजना के अंतर्गत 13.36 लाख एवं डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 7.22 लाख) को विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाना परिकल्पित किया, जिसमें से 15.20 लाख विद्युत कनेक्शन (12 वीं योजना के अंतर्गत 9.35 लाख एवं डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 5.89 लाख) मार्च 2021 तक प्रदान किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.15, पृष्ठ 32)

- डिस्कॉम्स मार्च 2018 सभी तक विद्युत पहुँचाना सुनिश्चित नहीं कर सके क्योंकि वे लक्षित कनेक्शनों में से केवल 19.74 प्रतिशत कनेक्शन ही जारी कर सके। डिस्कॉम्स मार्च 2021 तक तक केवल 81.65 प्रतिशत अविद्युतीकृत ग्रामीण घरों को ही कनेक्शन प्रदान कर सके। साथ ही,डिस्कॉम्स मार्च 2018 एवं मार्च 2021 तक बीपीएल ग्रामीण घरों को क्रमशः केवल 15.90 प्रतिशत एवं 85.52 प्रतिशत कनेक्शन ही जारी कर सके।

(अनुच्छेद 2.15.1, पृष्ठ 32)

- डिस्कॉम्स ने गलत तरीके से अविद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत घोषित किया जैसाकि नई परिभाषा के तहत निर्धारित सभी मानदण्ड पूर्ण नहीं किए गए थे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 10,320 विद्यालय नवम्बर 2020 तक अविद्युतीकृत थे। इस प्रकार डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन के पश्चात भी, डिस्कॉम्स राज्य में 100 प्रतिशत गांव विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे।

(अनुच्छेद 2.15.4, पृष्ठ 35)

- डिस्कॉम्स के ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल श्रेणी में स्थायी रूप से संबंध-विच्छेद किए गए उपभोक्ता (पीडीसी) में वृद्धि थी।

(अनुच्छेद 2.18, पृष्ठ 37)

- डिस्कॉम्स एटीएंडसी हानियों को कम किए जाने के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके। लक्ष्यों की उपलब्धि नहीं होने के प्रमुख कारण संग्रहण दक्षता में गिरावट की प्रवृत्ति एवं विद्युत की चोरी थे।

(अनुच्छेद 2.20, पृष्ठ 39)

संविदा प्रबन्धन

- डिस्कॉम्स ने परामर्शदाताओं/पीएमए की सेवाओं के प्रापण एवं डीडीयूजीजेवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु टर्नकी संविदाएं प्रदान किए जाते समय राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता (आरटीपीपी) अधिनियम/नियमों एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा जारी किए गये निर्देशों/दिशानिर्देशों की अनुपालना नहीं की थी।

(अनुच्छेद 3.6, पृष्ठ 49)

- अजमेर डिस्कॉम ने ₹ 8.45 करोड़ का मूल्य विचलन (पीवी), आरईसी द्वारा जारी एवं एसएलएससी से अनुमोदित एसबीडी में कॉपर वाउण्ड डीटी पर पीवी अनुमत्य किए जाने के प्रावधान के अनस्तित्व में होने के उपरांत भी, अनियमित रूप से अनुमत्य किया।

(अनुच्छेद 3.11, पृष्ठ 54)

निगरानी एवं गुणवत्ता आश्वासन तंत्र

- डिस्कॉम्स ने निष्पादित कार्यों की भौतिक प्रगति अक्टूबर 2018 के पश्चात एसएलएससी को प्रस्तुत नहीं की थी।

(अनुच्छेद 4.3, पृष्ठ 58)

- अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स इन डिस्कॉम्स के पीएमए द्वारा देखी गई गैर-अनुरूपताओं की सामयिक अनुपालना सुनिश्चित करने में विफल रहे क्योंकि 86.70 प्रतिशत एवं 47.00 प्रतिशत गैर-अनुरूपताएं पांच माह से 35 माह के मध्य अवधि हेतु सुधार हेतु लंबित थी।

(अनुच्छेद 4.10, पृष्ठ 64)

- डिस्कॉम्स/पीएमए का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था क्योंकि आरईसी गुणवत्ता अनुवीक्षकों (आरक्यूएम) ने प्रत्येक प्रकार के निष्पादित कार्यों में बड़ी संख्या में गंभीर/प्रमुख दोषों को उजागर किया।

(अनुच्छेद 4.11, पृष्ठ 67)

वित्त पोषण तंत्र

- डिस्कॉम ने अनुदान की प्रथम किश्त जारी किए जाने हेतु दावों को प्रस्तुत करने में एमसी द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन की तिथि से 532 दिवस एवं 939 दिवसों के मध्य का सारभूत समय लिया।

(अनुच्छेद 5.2, पृष्ठ 74)

- चूंकि मापदण्ड पूर्ण नहीं पाए गए थे, एमओपी ने अनुदान की तृतीय किश्त जारी करते समय, गुणवत्ता दोषों को सुधार नहीं किए जाने, प्रारंभिक दो किश्तों के तहत जारी अनुदान का 90 प्रतिशत उपयोग नहीं किए जाने एवं डिस्कॉम्स द्वारा राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के दावे के पेटे ₹181.61 करोड़ की राशि की कटौती की थी।

(अनुच्छेद 5.3, पृष्ठ 75)

- अनुदान की गणना/दावा किए जाने की प्रणाली दोषपूर्ण थी क्योंकि दावे एसजीएसटी (₹ 214.91 करोड़) को, इसकी अमान्यता के उपरांत भी, सम्मिलित करते हुए किए गये थे एवं इस प्रकार ₹ 128.95 करोड़ मूल्य के अनुदान से वंचित होना पड़ा।

(अनुच्छेद 5.4, पृष्ठ 76)

- जयपुर डिस्कॉम ने एसएलएससी के साथ-साथ एमसी के अनुमोदन के बिना ₹ 48.22 करोड़ मूल्य के अमान्य भूमिगत केबिल कार्य निष्पादित किए।

(अनुच्छेद 5.5, पृष्ठ 77)

- पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के वित्तीय समापन की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई थी जिसके कारण अनुदान की अंतिम किश्त प्राप्त होने में इस सीमा तक विलंब हुआ।

(अनुच्छेद 5.6, पृष्ठ 78)

- डिस्कॉम्स अतिरिक्त अनुदान यथा ऋण घटक का 50 प्रतिशत का पात्र होने हेतु निर्धारित माइलस्टोन्स को प्राप्त करने में विफल रहे।

(अनुच्छेद 5.8, पृष्ठ 79)

- डिस्कॉम्स प्रबंधन लागत में वृद्धि को टालने हेतु सतर्क नहीं था। अतः 19 परियोजनाएं प्रदान की गई लागत के भीतर पूर्ण नहीं की जा सकीं।

(अनुच्छेद 5.9, पृष्ठ 80)

लाभार्थी सर्वेक्षण

सर्वेक्षित नमूने में किए गये लाभार्थी सर्वेक्षण के परिणामों से प्रकट हुआ (i) डीपीआर तैयार किए जाने से पूर्व विस्तृत सर्वेक्षण का अभाव; (ii) पर्याप्त जागरूकता कार्यक्रम की कमी; (iii) टूटी हुई किट मदें प्रदान करना; एवं (iv) गलत बिलिंग एवं लाभार्थियों की शिकायतों का निवारण न किया जाना।

(अनुच्छेद 6.3, 6.4, 6.5, 6.7 एवं 6.8, पृष्ठ 85 से 95)

सिफारिशें

जन केन्द्रित योजना को अधिक प्रभावी व दक्षतापूर्वक क्रियान्वित करने एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग किए जाने के क्रम में, राज्य सरकार/डिस्कॉम्स को निम्नलिखित सिफारिशों पर विचार करना चाहिएः

- ***प्रणाली सुदृढ़ीकरण आवश्यकताओं की पहचान करने हेतु तंत्र विकसित करें।***
- ***विधिवत अद्यतन प्रणाली सुदृढ़ीकरण आवश्यकताओं के आधार पर रणनीतिक एवं परिचालन योजना तैयार करें।***
- ***लाभार्थियों की पहचान करने हेतु योजना विशिष्ट डीपीआर तैयार किए जाने से पूर्व विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिए एक तंत्र विकसित करें जिससे कि लाभ नियत एवं लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे।***

- *परियोजनाओं को प्रदान किए जाने एवं निष्पादित किए जाने में विलंब को टालने हेतु एक प्रणाली विकसित करें।*
- *नियत लाभ प्राप्त करने हेतु योजना के अंतर्गत परिकल्पित कार्यो को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।*
- *प्रत्येक स्तर पर मीटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित कर उचित ऊर्जा लेखांकन हेतु एक तंत्र का निर्माण करें।*
- *लक्षित दृष्टिकोण के साथ चोरी की रोकथाम हेतु ऊर्जा लेखापरीक्षा पर ध्यान केंद्रित कर एटीएंडसी हानियों को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।*
- *आरटीपीपी अधिनियम/नियमों, सीवीसी के निर्देशों/दिशानिर्देशों, भारत सरकार की योजना एवं अन्य अनिवार्य मानदंडों के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु इसकी उपापन प्रक्रिया को सुदृढ़ करें।*
- *निविदा मानकों का उल्लंधन करने एवं मूल्य विचलन के पेटे अतिरिक्त भुगतान जारी किए जाने हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें।*
- *मौजूदा निगरानी तंत्र का समालोचनात्मक परीक्षण करें एवं इसे सुदृढ़ करने हेतु उपयुक्त कदम उठाएं, तथा*
- *सुनिश्चित करें कि पर्याप्त निवारक हैं, सीटीएल विफल सामग्री को प्रयुक्त किए जाने जैसे गंभीर कमियों के प्रति अधिक विशिष्ट रूप से उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही तय करें।*
- *निष्पादित कार्यो में दोषों का सुधार समय पर सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र विकसित करें।*
- *डिस्कॉम्स को योजनाओं का लाभ लेने एवं समय पर निधियों की प्राप्ति हेतु सभी औपचारिकताओं को वास्तविक समय में पूर्ण करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए।*
- *योजनाओं के क्रियान्वयन से पहले लाभार्थियों की पहचान करने के लिए एक तंत्र विकसित करे।*
- *गलत बिलिंग एवं शिकायतों के निवारण नहीं किए जाने से बचने के लिए प्रणाली को संस्थागत एवं सुदृढ़ बनाए।*
- *निष्पादित कार्यो की कमियों को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाए।*

अध्याय-I

परिचय

अध्याय–I

परिचय

1.1 ऊर्जा तक पहुंच एक मूलभूत पूर्व आवश्यकता है जिसकी अनुपलब्धता अथवा अपर्याप्त आपूर्ति का जीवन एवं आजीविका के सभी पहलुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः ग्रामीण विद्युतीकरण को क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माताओं द्वारा ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में उचित रूप से पहचाना गया है।

यहां उल्लेख करना उचित है कि ग्रामीण विद्युतिकरण का आशय केवल दो बिन्दुओं के मध्य विद्युत का पारेषण मात्र ही नहीं है अपितु यह सही पूरकता विकसित करने तथा सुलभ, उपलब्ध एवं किफायती विद्युतीकरण प्रदान करने के बारे में भी है। ग्रामीण विद्युतीकरण एवं इससे संबंधित सार्वजनिक प्रयासों पर दिये जाने वाले ध्यान में समयानुसार परिवर्तन आया है। 1990 के दशक में कृषि हेतु विद्युतीकरण प्रदान करने का प्रारंभिक दृष्टिकोण ने और अधिक समग्र दृष्टिकोण, यथा प्रत्येक ग्रामीण घर हेतु विद्युत का मार्ग प्रशस्त किया।

उपभोक्ता आधार में वृद्धि, जीवन शैली एवं उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की मांग दिन प्रतिदिन बढती जा रही है जिसके कारण वितरण तंत्र को निरन्तर सुदृढिकरण एवं संवर्धन किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में साधारण वितरण तंत्र के कारण विद्युत की अपर्याप्त एवं अविश्वसनीय उपलब्धता, बारम्बार विद्युत कटौती एवं आपूर्ति व मांग के मध्य का अंतर, कृषि उपभोक्ताओं के साथ-साथ गैर-कृषि उपभोक्ताओं को की जाने वाली विद्युत आपूर्ति को प्रभावित करता है। कृषि एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं को समर्पित फीडर के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति वितरण कंपनी को प्रभावी मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) हेतु आवश्कतानुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति को विनियमित करने की अनुमति प्रदान करता है। फीडरों का पृथक्करण कृषि भार को निम्न मांग के घंटों में स्थानांतरित करके भार वक्र को समान करने में सहायता करता है एवं इस प्रकार उच्च भार के प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, विद्युत वितरण के सतत व्यावसायिक संचालन हेतु उपभोक्ता के छोर पर मीटरिंग एवं वितरण ट्रांसफार्मर व फीडर पर मीटरिंग, उचित ऊर्जा लेखाकंन हेतु एक तंत्र का निर्माण करने एवं उच्च हानियों के स्थानों की पहचान करने के लिए आवश्यक है।

ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु राज्य योजना

1.2 भारत सरकार (जीओआई) की ग्रामीण विद्युत नीति एवं विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार, राजस्थान सरकार (जीओआर) ने वर्ष 2009 तक सभी ग्रामीण घरों तक विद्युत की उपलब्धता प्रदान करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राज्य के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) योजना अधिसूचित की (सितंबर 2008)। तत्पश्चात, राज्य में पृथक आरई योजना तैयार नहीं की गई थी।

2008 की आरई योजना में निम्नलिखित परिकल्पित थाः

- विद्यमान बुनियादी ढांचे को सुदृढ करना;
- ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्रदान करना, जिसके लिए कृषि एवं ग्रामीण फीडरों का पृथक्करण आवश्यक है;
- एलटी तंत्र का उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) में परिवर्तन; एवं
- ट्रांसफार्मर्स का संवर्द्धन इत्यादि।

तत्पश्चात, 'सभी के लिए विद्युत' कार्यक्रम के अंतर्गत, राजस्थान सरकार ने 2014-19 के दौरान कार्यान्वित किये जाने हेतु उत्पादन, पारेषण एवं वितरण योजना तैयार की (दिसम्बर 2014)। वितरण योजना में विद्यमान वितरण प्रणाली, कार्यान्वयन के अंतर्गत योजनाएं, अविद्युतीकृत घरों/गांवों को विद्युतीकृत करने हेतु निधि की आवश्यकता सम्मिलित थी। इसमें भारत सरकार के हस्तक्षेप, उपभोक्ता स्तर पर राजस्थान सरकार के अक्षय ऊर्जा से संबंधित प्रयास तथा पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा दोनों के लिए राज्य की कार्य योजना भी प्रस्तावित थी।

प्रस्तावित योजनाएं एवं निधि की आवश्यकता

1.3 बारम्बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने की घटनाओं को समाप्त करने हेतु एवं विद्युत कटौती की घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए; राज्य में फीडर एवं सबस्टेशन सुधार कार्यक्रम लागू किये जाने प्रस्तावित थे। इन कार्यक्रमों में, फीडर सुधार, 33/11 केवी सब-स्टेशन के समीप के गांवों में तीन फेज आपूर्ति, सब-स्टेशन सुधार कार्यक्रम, 24X7 विद्युत आपूर्ति हेतु अतिरिक्त 33/11केवी सब-स्टेशन, एटीएंडसी हानियों में कमी आदि की आवश्यकता का आंकलन किया गया था। इन कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु निवेश योजना के आंकलन के विवरण निम्नानुसार थेः

तालिका संख्या 1.1

डिस्कॉम्स की निवेश योजना के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	योग	टिप्पणियां
राज्य योजना	1513.00	1437.00	1372.00	1549.74	1595.17	7466.91	
केंद्र प्रायोजित योजनाएं	885.00	1516.83	1150.00	1103.19	739.00	5394.02	आरजीजीवीवाई[1] एवं आरएपीडीआरपी[2]
अन्य वितरण योजनाएं	2532.00	754.23	417.00	372.00	394.94	4470.17	आईपीडीएस[3] एवं डीडीयूजीजेवाई[4]

स्रोतः राजस्थान 24X7 सभी के लिए विद्युत प्रलेख

1 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना।

2 पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम।

3 एकीकृत विद्युत विकास योजना।

4 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना।

राज्य योजना के अंतर्गत परिकल्पित कुल निवेश (₹ 7,466.91 करोड़) में से, उप-पारेषण एवं वितरण कार्यक्रम (₹ 3263 करोड़) एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों (₹ 4203.91 करोड़) हेतु प्रदान किए गए थे।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

1.4 उप-पारेषण एवं वितरण के बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (एमओपी, भारत सरकार) ने डीडीयूजीजेवाई आरंभ की (दिसंबर 2014)।

डीडीयूजीजेवाई के उद्देश्य थे:

- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं की आपूर्ति को विवेकपूर्ण तरीके से किए जाने की सुविधा हेतु कृषि एवं गैर कृषि फीडरों का पृथक्करण;
- वितरण ट्रांसफार्मर्स, फीडर एवं उपभोक्ताओं के छोर पर मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण (एसटीएंडडी) की आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण एवं आवर्धन; तथा
- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत निर्धारित (अगस्त 2013) लक्ष्यों के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण।

डीडीयूजीजेवाई में सभी वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया। साथ ही, डीडीयूजीजेवाई को एक पांच स्तरीय तंत्र अर्थात एमओपी, भारत सरकार, निगरानी समिति[5] (एमसी), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) यथा योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी, राज्य स्तरीय स्थायी समिति[6] (एसएलएससी) एवं संबंधित डिस्कॉम के माध्यम से लागू किया जाना था। योजना में आरईसी, राज्य सरकार एवं उपक्रम (डिस्कॉम) के मध्य त्रिपक्षीय करार एवं डिस्कॉम्स द्वारा एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) नियुक्त किए जाने का भी प्रावधान था। योजना का कार्यान्वयन मार्च 2019 तक पूर्ण किया जाना था। तथापि, एमओपी, भारत सरकार ने योजना को मार्च 2020 तक बढ़ा दिया (अगस्त 2019) एवं आगे योजना को मार्च 2021 तक बढ़ा दिया (24 जुलाई 2020)।

5 इसकी अध्यक्षता सचिव (विद्युत), एमओपी, भारत सरकार द्वारा की जाती है तथा इसमें एमओपी एवं अन्य मंत्रालयों यथा वित्त, ग्रामीण विकास, कृषि, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) एवं योजना आयोग के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में तथा आरईसी सदस्य सचिव एवं संयोजक के रूप में सम्मिलित हैं।

6 इसका नेतृत्व मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार करते हैं तथा इसमें राज्य सरकार के विभागों के सचिव (अर्थात ऊर्जा, शहरी विकास एवं आवास, कृषि, स्थानीय स्वायत्त शासन, पीएचईडी, पंचायती राज, वित्त (व्यय) एवं वन तथा छह विद्युत कंपनियों (आरआरवीपीएनएल, आरआरवीयूएनएल, आरआरईसीएल एवं तीन डिस्कॉम्स), आरईसी आदि के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं।

हितधारकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

1.5 योजना को लागू करने में पाँच हितधारकों की भूमिका का विवरण निम्नानुसार है:

एमओपी
- नीति निर्माण एवं योजना लागत (बजटीय सहायता सहित) का अनुमोदन
- निधि जारी करना
- योजना एवं उसके कार्यान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन

एमसी
- परिचालन दिशानिर्देशों का अनुमोदन एवं परियोजना की स्वीकृति
- समय विस्तार प्रदान करना एवं अतिरिक्त अनुदान अनुमोदित करना
- योजना के कार्यान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा

आरईसी
- कार्यान्वयन रूपरेखा, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (डीपीआर) का मूल्यांकन एवं सभी एजेंसियों के साथ समन्वय
- अनुदान घटक को शासित करना एवं डिस्कॉम को निधि जारी करना
- परियोजनाओं की निगरानी एवं एमआईएस पोर्टल का रखरखाव

एसएलएससी
- एमसी के अनुमोदन के लिए डीपीआर की अनुशंसा करना
- कार्यो के अ-दोहराव/अतिव्यापनता को सुनिश्चित करना
- प्रगति की निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण एवं परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों का समाधान

डिस्कॉम
- डीपीआर तैयार करना एवं परियोजना का निष्पादन व निगरानी
- ग्रामीण घरों को 24X7 विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- राज्य-विशिष्ट नीतिगत मुद्दों की अनुपालना सुनिश्चित करना

योजना के प्रावधानों के अनुसार, डिस्कॉम्स द्वारा क्षेत्र की विशिष्ट तंत्र आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण आधारभूत ढांचा कार्यों के सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता देने एवं योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार तैयार की गई डीपीआर एसएलएससी द्वारा आरईसी को अनुशंसित की जानी थी। आरईसी द्वारा एमसी को डीपीआर का प्रस्तुतिकरण एवं अनुशंसा की जानी थी एवं उन्हें एमसी द्वारा अनुमोदित किया जाना था। एमसी (दिसंबर 2014 में गठित) आरईसी द्वारा तैयार परिचालन दिशानिर्देशों के अनुमोदन/संशोधन करने एवं योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने हेतु सशक्त थी।

ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति

1.6 राजस्थान राज्य में 31 मार्च 2015 को ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका संख्या 1.2

राजस्थान में डिस्कॉम-वार ग्रामीण विद्युतीकरण का विवरण

विवरण	जयपुर डिस्कॉम		अजमेर डिस्कॉम		जोधपुर डिस्कॉम		योग	
	2011 की जनगणना के अनुसार	**31 मार्च 2015 को कुल घर**	**2011 की जनगणना के अनुसार**	**31 मार्च 2015 को कुल घर**	**2011 की जनगणना के अनुसार**	**31 मार्च 2015 को कुल घर**	**2011 की जनगणना के अनुसार**	**31 मार्च 2015 को कुल घर**
कुल घर	4528936	5213675	4244536	4642192	4200329	4829999	12973801	14685866
ग्रामीण घर	3232212	3640884	3370121	3689892	3245352	3715817	9847685	11046593
कुल विद्युतीकृत घर	2898754	3665789	2729916	3457567	2434662	2859197	8063332	9982553
ग्रामीण विद्युतीकृत घर	1948928	2235640	2035998	2649366	1595883	1797310	5580809	6682316
ग्रामीण अविद्युतीकृत घर	1283284	1405244	1334123	1040526	1649469	1918507	4266876	4364277

स्त्रोतः 2011 की जनगणना के आंकड़े एवं डीपीआर

नोटः डिस्कॉम्स ने परियोजना वार डीपीआर तैयार किए जाते समय, 31 मार्च 2015 को कुल घरों के आंकड़े 2011 की जनगणना के आंकड़ों का बहिर्वेशन (इक्स्ट्रापोलेशन) करके प्राप्त किए हैं। बहिर्वेशन 2001 से 2011 तक जनसंख्या की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) द्वारा किया गया था।

वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में 98.48 लाख ग्रामीण घर थे, जिनमें से 55.81 लाख ग्रामीण घरों (56.67 प्रतिशत) के पास विद्युत की पहुंच थी।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

1.7 निष्पादन लेखापरीक्षा में 2015-20 की अवधि के दौरान राज्य में सभी तीन डिस्कॉम्स द्वारा डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन को सम्मिलित किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में तीनों डिस्कॉम्स के प्रधान कार्यालयों के साथ-साथ नौ चयनित वृत कार्यालयों (अर्थात प्रत्येक डिस्कॉम से तीन वृत कार्यालयों) में संधारित डीपीआर को तैयार एवं अनुमोदन; परियोजना कार्यों को प्रदान एवं निष्पादन करने; निधियों की व्यवस्था एवं उपयोग (भारत सरकार के अनुदान सहित); कार्यों/सामग्री की गुणवत्ता तथा योजना की निगरानी से संबंधित अभिलेखों की विस्तृत समीक्षा सम्मिलित थी। विस्तृत जांच हेतु वृत कार्यालय/परियोजनाएं बिना प्रतिस्थापन स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाचयन (एसआरएसडब्ल्यूओआर) पद्धति के द्वारा चयनित किए गये थे। नमूना चयन से संबंधित विवरण **अनुबंध-1** में दिया गया है। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान नौ[7] जिलों (कुल 33 जिलों का 27.27 प्रतिशत) की नमूना जांच की

7 जयपुर, टोंक, बूंदी, अजमेर, बांसवाड़ा, सीकर, बाड़मेर, जालोर एवं पाली।

गई थी। इन नौ जिलों को योजना हेतु कुल स्वीकृत लागत ₹ 2,819.41 करोड़ में से ₹ 1,026.53 करोड़ (36.41 प्रतिशत) आवंटित किए गए थे।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

1.8 निष्पादन लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिए की गई थी कि क्याः

- ढांचागत कार्यों की आवश्यकता का आंकलन करने एवं डीपीआर तैयार किए जाने की प्रणाली पर्याप्त थी;
- परियोजनाओं का निष्पादन मितव्ययी, दक्ष एवं प्रभावी था;
- निष्पादन की निगरानी एवं निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता हेतु तंत्र पर्याप्त था; तथा
- योजना के उद्देश्य कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से पूर्ण किए गये थे।

लेखापरीक्षा मानदंड

1.9 लेखापरीक्षा उद्देश्यों के लिए मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थेः

- योजना के कार्यान्वयन हेतु एमओपी, भारत सरकार, निगरानी समिति एवं आरईसी द्वारा जारी नीति, दिशानिर्देश, आदेश, परिपत्र एवं निर्देश;
- स्वीकृत डीपीआर के साथ-साथ डीपीआर तैयार करने, प्रस्तुत करने एवं अनुमोदन एवं डीपीआर में बाद के संशोधनों से संबंधित अभिलेख;
- आरईसी एवं राजस्थान सरकार के साथ निष्पादित त्रिपक्षीय करार;
- विद्युत अधिनियम 2003;
- बीओडी, निगम स्तरीय क्रय समिति (सीएलपीसी), डिस्कॉम्स समन्वय संगोष्ठी (डीसीएफ) एवं डिस्कॉम की अन्य समितियां के एजेंडा एवं कार्यवृत्त;
- प्रत्येक डिस्कॉम के नियोजन अनुभाग द्वारा संधारित अभिलेख;
- प्रासंगिक अभिलेखों के साथ परियोजनाओं के निष्पादन से संबंधित संविदाएं;
- निगरानी समिति,एसएलएससी एवं डिस्कॉम स्तर की समितियों द्वारा परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी से संबंधित अभिलेख;
- परियोजनाओं के तीसरे पक्ष के निरीक्षण (टीपीआई) के प्रतिवेदन।

लेखापरीक्षा कार्यविधि

1.10 लेखापरीक्षा मानदंडों के संदर्भ में लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली में निम्न शामिल थेः

- 9 जुलाई 2020 को आयोजित प्रविष्टि सभा के दौरान सरकार/डिस्कॉम्स को लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं लेखापरीक्षा मानदंडों की व्याख्या करना;
- तीनों डिस्कॉम्स के प्रधान कार्यालय एवं नौ चयनित वृत कार्यालयों/परियोजनाओं (प्रत्येक डिस्कॉम से तीन वृत कार्यालय/परियोजनाएं) के अभिलेखों की जांच;
- लेखापरीक्षा प्रश्नों को जारी करना, उनके प्रत्युत्तर प्राप्त करना एवं डिस्कॉम्स के प्रबंधन के साथ वार्तालाप करना;
- सरकार/डिस्कॉम्स को प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर तथ्यात्मक विवरण पत्र जारी करना (18 मार्च 2021);
- समापन सभा (27 मई 2021) के दौरान लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सरकार/डिस्कॉम्स के प्रबंधन के साथ चर्चा; तथा
- लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सरकार के विचारों/उत्तरों (मई 2021) को सम्मिलित करने के उपरांत सरकार/डिस्कॉम्स को प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना (जून 2021)।

आभार

1.11 निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान ऊर्जा विभाग, डिस्कॉम्स एवं उनके अधिकारियों द्वारा दिए गए सहयोग एवं सहायता के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

1.12 लेखापरीक्षा निष्कर्षों को मुख्य रूप से निम्नलिखित पांच अध्यायों में समाहित किया गया हैः

- परियोजना निर्माण एवं निष्पादन;
- संविदा प्रबंधन;
- निगरानी एवं गुणवत्ता आश्वासन तंत्र;
- वित्त पोषण तंत्र; एवं
- लाभार्थी सर्वेक्षण

लेखापरीक्षा निष्कर्ष राज्य में डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन में तीनों डिस्कॉम्स के प्रदर्शन को उजागर करते हैं।

ये लेखापरीक्षा निष्कर्ष मात्र नौ चयनित परियोजनाओं में निष्पादित कार्यों के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित हैं एवं डिस्कॉम्स में ऐसे और मामले होने की संभावना है। इसलिए, सरकार/ डिस्कॉम प्रबंधन से अन्य सभी ऐसे मामलों की समीक्षा करने, जिनमें समान कमियों/अनियमितताओं की संभावना है, तथा जहां समान कमियां/अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां सुधारात्मक कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष राज्य सरकार/डिस्कॉम्स को जून 2021 में प्रेषित किए गये थे। निष्पादन लेखापरीक्षा पर सरकार का उत्तर अगस्त 2021 में प्राप्त हुआ एवं इस पर प्रतिवेदन में विचार किया गया है।

अध्याय–II

परियोजना निर्माण एवं निष्पादन

अध्याय–II

परियोजना निर्माण एवं निष्पादन

2.1 जैसा कि **अनुच्छेद 1.4** में संदर्भित है, परियोजनाओ के नियोजन एवं निष्पादन में डीडीयूजीजेवाई योजना के निम्नलिखित कारकों को सम्मिलित किया गया हैः

- **कृषि एवं गैर कृषि फीडरों का पृथक्करण:** फीडर पृथक्करण से अभिप्राय कृषि एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं को समर्पित फीडरो से पृथक रुप से विद्युत की आपूर्ति किया जाना जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति का विवेकपूर्ण तरीके से रोस्टरिंग की सुविधा प्रदान किया जाना;
- ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा उचित ऊर्जा लेखांकन हेतु तंत्र उपलब्ध करवाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मर्स, फीडर एवं उपभोक्ताओं के छोर पर मीटरिंग सहित **उप–पारेषण एवं वितरण की आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण एवं आवर्धन;** तथा
- **12वीं व 13वीं योजना हेतु आरजीजीवीवाई के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण।**

परियोजना निर्माण

2.2 योजना के अंतर्गत परियोजना निर्माण दो चरणों में किया जाना था। चरण- I में वितरण प्रणाली के दक्ष प्रबंधन हेतु सभी प्रासंगिक मानकों[8] एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत चल रहे कार्यों पर विचार करते हुए फीडर पृथक्करण की आवश्यकता एवं उप-पारेषण व वितरण तंत्र में गंभीर रिक्तियों की पहचान की जानी थी। चरण- II में आरईसी द्वारा प्रथम चरण में मान्य कार्य का व्यापक कार्यक्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण एवं कार्य की विभिन्न मदों के लिए दरों की नवीनतम अनुमोदित अनुसूची के आधार जिला/वृत्त/क्षेत्रवार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किये जाने थे। इकाइयों को डीपीआर तैयार करते समय उपक्रमों को संसद सदस्य सहित जन प्रतिनिधियों से परामर्श करना एवं आरईसी को डीपीआर प्रस्तुत करते समय इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक था।

आवश्यकता आंकलन दस्तावेज तैयार करना

2.3 डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, डिस्कॉम्स को निर्धारित प्रारूप (आरईसी द्वारा परिचालित) में आवश्यकता आंकलन दस्तावेज (एनएडी) तैयार करने आवश्यक थे जिसमें प्रस्तावित कार्य के क्षेत्र एवं लागत अनुमानों की पुष्टि करने हेतु औचित्यता (प्राथमिक रूप से भार प्रवाह अध्ययन के माध्यम से) के साथ सभी प्रासंगिक सूचनाएं हों। एनएडी दस्तावेज में प्रस्तावित अवसंरचना (नए सब-स्टेशनों, फीडरों का आवर्धन, डीटी,एलटी लाइन, कैपेसिटर बैंक, मीटर

---

8 उपभोक्ता मिश्रण, उपभोग पद्धति, वोल्टेज विनियमन, एटीएंडसी हानि स्तर, एचटी व एलटी अनुपात, ट्रांसफार्मर्स एवं फीडर/लाइनों का अनुकूलतम भार, प्रतिक्रियाशील विद्युत प्रबंधन, विद्युत घटक सुधार, निष्पादन के मानक इत्यादि।

इत्यादि) के साथ परियोजना क्षेत्र, का सामान्य विवरण विद्युत आपूर्ति, चालू योजनाओं, उपभोक्ताओं, घरों, गांवों, विद्यमान अवसंरचना का विवरण (सबस्टेशनों, फीडरों, वितरण ट्रांसफार्मर्स, एलटी लाइन, मीटरों इत्यादि) शामिल होना चाहिए था। योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले कार्य के विस्तृत कार्यक्षेत्र एवं संबंधित डिस्कॉम्स के परामर्श से कुल लागत पर पहुंचने के लिए आरईसी द्वारा एनएडी की जांच की जानी आवश्यक थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीनों डिस्कॉम्स में से किसी ने भी फीडर पृथक्करण की आवश्यकता एवं उप-पारेषण व वितरण तंत्र में गंभीर रिक्तियों को चिन्हित करने हेतु एनएडी तैयार नहीं किया था जिसके आधार पर कार्य के क्षेत्र का निर्णय किया जाना था। एनएडी के अभाव में, परिकल्पित/निष्पादित कार्य/मात्रा में वृहद विचलन पाए गये थे, जैसा कि **अनुच्छेद 2.11** में उजागर किया गया है।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि एनएडी समय एवं निधि की बाध्यता के कारण तैयार नहीं किया गया था। इसने आगे कहा कि योजना में परिकल्पित कार्य गत योजनाओं के अन्तर्गत भी किए गये थे एवं नियमित रूप से निगरानी की जाती थी। साथ ही, डिस्कॉम्स के गतिशील आंकडो एवं सब-स्टेशनों एवं लाइनों के डिजाइन के लिए उपयोग किए जाने वाले व्यावहारिक आंकडो की उपलब्धता को देखते हुए भार प्रवाह अध्ययन नहीं किया गया था।

उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार एनएडी को तैयार किया जानी था जो कि फीडर पृथक्करण की आवश्यकता एवं उप-पारेषण व वितरण तंत्र में गंभीर रिक्तियों को चिन्हित करने में सहायता कर सकता था। साथ ही, डिस्कॉम्स ने एनएडी तैयार किए जाने हेतु पृथक निधि प्रदान किए जाने के मुद्दे को आरईसी/एमओपी के समक्ष कभी भी नहीं उठाया था।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना

2.4 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) आरईसी द्वारा प्रथम चरण में मान्य किए गये व्यापक कार्यक्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण एवं कार्य की विभिन्न मदों के लिए दरों की नवीनतम अनुमोदित अनुसूची के आधार पर तैयार किए जाने आवश्यक थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अजमेर डिस्काम ने डीपीआर विभागीय रूप से तैयार किए जबकि जयपुर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स ने डीपीआर तैयार करने हेतु वैपकोस लिमिटेड को नियुक्त किया (मार्च 2015)। जारी किए गए कार्यादेशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सम्मिलित था:

- एमओपी के दिशानिर्देशों के अनुसार जीपीएस के साथ अध्ययन, क्षेत्र सर्वेक्षण;
- कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं हेतु एचटी फीडरों के भौतिक पृथक्करण के लिए प्रस्ताव;
- नए वितरण ट्रांसफार्मर्स एवं विद्यमान वितरण ट्रांसफार्मर्स का संवर्धन/परिवर्धन;
- वितरण ट्रांसफार्मर्स एवं संबद्ध एलटी लाइनों के लिए पुनः स्थान निर्धारण;
- नए फीडरों से निकासी हेतु एचटी लाइनों का निर्माण;
- 33 केवी एवं 11 केवी प्रणाली का अध्ययन एवं प्रस्ताव तथा विद्यमान अतिभारित 33 केवी एवं 11 केवी फीडरों का विभाजन व संवर्धन;
- नए सब-स्टेशनों का निर्माण एवं विद्यमान अतिभारित सब-स्टेशनों का संवर्धन; एवं
- ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा हेतु सब-स्टेशनों, फीडरों तथा उपभोक्ताओं की मीटरिंग का प्रस्ताव।

डिस्कॉम्स द्वारा तैयार की गई डीपीआर की संवीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ उजागर हुईः

- **जयपुर एवं जोधपुर डिस्कॉमः** कार्यादेश में उल्लिखित कार्यों की मात्रा के आंकलन हेतु, वैपकोस को दोनों डिस्कॉम्स के अधिकृत अभियंताओं के परामर्श से एक विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण करना था एवं इसे डिस्कॉम्स के संबंधित अधीक्षण अभियंता, संचालन एवं रखरखाव (एसई, ओएंडएम) से अनुमोदित करवाना था। तथापि, वैपकोस द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण किए जाने एवं डिस्कॉम्स के संबंधित एसई (ओएंडएम) वृत्त द्वारा इसके अनुमोदन के संबंध में अभिलेखों में कुछ भी नहीं पाया गया था।
- इसी प्रकार, **अजमेर डिस्कॉम** में, डीपीआर तैयार किए जाने से पूर्व संबंधित ओएंडएम वृत्त द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण करने की कोई जानकारी अभिलेखों में नहीं पाई गई थी।

सरकार ने कहा कि डीपीआर परामर्शदाता एवं संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ विस्तृत संयुक्त सर्वेक्षण के पश्चात तैयार किए गये थे। डीपीआर एसई (ओएंडएम) वृत्त द्वारा अनुमोदित की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं था क्योंकि डिस्कॉम्स परियोजना-वार विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदनों को प्रदान करने में विफल रहे थे।

परियोजनाओं का अनुमोदन

2.5 एसएलएससी ने डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत गैर-विद्युतिकृत ग्रामीण गृहों के विद्युतीकरण; कृषि एवं गैर कृषि उपभोक्ता फीडरों के पृथक्करण; वितरण तंत्र के सुदृढीकरण हेतु सभी तीनों डिस्कॉम्स की ₹ 3,557.32 करोड़[9] की 33 परियोजनाओं की डीपीआर को आरईसी के माध्यम से भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की निगरानी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु अनुमोदित किया (जुलाई 2015)। तथापि, आरईसी के डीडीयूजीजेवाई वेब पोर्टल पर केवल ₹ 3,241.05 करोड़[10] की 33 परियोजनाओं की डीपीआर अपलोड की गई थी जिसके लिए अभिलेखों में कोई स्पष्टीकरण नहीं पाया गया था। आरईसी ने, ₹ 3,241.05 करोड़ की मांग के समक्ष, निगरानी समिति की ₹ 2,819.41 करोड़[11], ₹ 14.03 करोड़ के परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) प्रभारों सहित, की स्वीकृति से अवगत करवाया (अगस्त 2015)। साथ ही, आरईसी ने राज्य सरकार को ऑनलाइन वेब पोर्टल पर घटक-वार एवं परियोजनावार स्वीकृत लागत के भीतर पूरक डीपीआर (अनुमोदित मापदंडों पर आधारित पर पुर्ननिर्मित) प्रस्तुत करने के लिए कहा (सितंबर 2015)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स द्वारा तैयार की गई पूरक डीपीआर (पीएमए प्रभारों के अतिरिक्त ₹ 2,805.38 करोड़) वेब पोर्टल पर अपलोड करने से पूर्व एसएलएससी के समक्ष इसके

9 जयपुर डिस्कॉम- ₹ 1,043.36 करोड़, अजमेर डिस्कॉम- ₹ 955.02 करोड़, जोधपुर डिस्कॉम- ₹ 1,558.94 करोड़।

10 जयपुर डिस्कॉम- ₹ 1,158.62 करोड़, अजमेर डिस्कॉम- ₹955.01 करोड़, जोधपुर डिस्कॉम- ₹ 1,127.42 करोड़।

11 जयपुर डिस्कॉम- ₹ 1,032.22 करोड़, अजमेर डिस्कॉम- ₹ 833.50 करोड़, जोधपुर डिस्कॉम- ₹ 953.69 करोड़।

अनुमोदन हेतु नहीं रखे गये थे। साथ ही, जिस दिनांक को पूरक डीपीआर अपलोड किए गए थे, वह डिस्कॉम्स के अभिलेखों में नहीं पाये गये थे।

सरकार ने कहा कि एसएलएससी ने मूल प्रस्तावों को अनुमोदित किया था एवं इसलिए पुर्ननिर्मित डीपीआर को समयबद्ध रूप से अपलोड सुनिश्चित करने हेतु, इसके समक्ष आगामी संशोधनों को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसने आगे कहा कि लागत वृद्धि को टालने हेतु डिस्कॉम्स को समय सीमा का ध्यान रखना था एवं इसलिए, डीपीआर में विचलनों/सुधारों को परियोजनाओं के समापन के समय एसएलएससी से अनुमोदित करवा लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना को समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करने में, सांविधिक समिति की औपचारिक स्वीकृति साधारणतया अंतिम चरण में प्राप्त की जाती है।

उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि एसएलएससी जिसका गठन, निगरानी समिति के अनुमोदन हेतु डीपीआर की सिफारिश करने एवं परियोजना कार्यों में दोहराव/अतिव्यापनता की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए किया गया था, को पूरक डीपीआर तैयार करते समय सम्मिलित किए गए परिवर्तनों/संशोधनों/कटौतियों से अवगत/शामिल नहीं किया गया था। साथ ही, एसएलएससी की अनदेखी करने हेतु दिया गया तर्क भी स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पूरक डीपीआर तैयार करते समय एसएलएससी को शामिल नहीं करने से इसके गठन का उद्देश्य ही विफल हो गया था। साथ ही, चूंकि तिथि, जिस पर पूरक डीपीआर अद्यतन की गई थी, उपलब्ध नहीं थी, समय पर पुर्ननिर्मित डीपीआर को अपलोड किए जाने का सरकार का दावा लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर तंत्र

2.6 डीडीयूजीजेवाई में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर तंत्र (एनओएफएन) के अंतर्गत स्थापित किए जा रहे ऑप्टिक फाइबर तंत्र का विस्तार करके डिस्कॉम्स के सभी 33 केवी या 66 केवी ग्रिड सब-स्टेशनों/बिलिंग कार्यालयों/क्षेत्रीय/वृत्त/मंडल कार्यालयों को जोड़ा जाना परिकल्पित था। साथ ही, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत टर्मिनल उपकरण सहित एनओएफएन के अनुपस्थित लिंक को जोड़ने के लिए 100 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया था, बशर्ते ऐसी संयोजकता भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत शामिल/अनुमोदित न हो।

डिस्कॉम्स को राज्य में एनओएफएन कार्यक्रम हेतु भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड अथवा किसी प्राधिकृत एजेंसी जैसे कि बीएसएनएल, रेलटेल, पीजीसीआईएल आदि के परामर्श से पृथक एवं समेकित डीपीआर तैयार करनी आवश्यक थी। साथ ही, प्रस्तावित कार्यान्वयन पद्धति एवं माइलस्टोन्स लागत के साथ डीपीआर में शामिल किये जाने थे एवं एसएलएससी की सिफारिश के पश्चात, डीपीआर आरईसी को प्रस्तुत किए जाने थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डिस्कॉम्स के सभी 33 केवी या 66 केवी ग्रिड सब-स्टेशन/बिलिंग कार्यालय/क्षेत्रीय/वृत्त/मंडल कार्यालय ऑप्टिकल फाइबर तंत्र से जुड़े हुए नहीं थे। तथापि, डिस्कॉम्स ने एनओएफएन के अंतर्गत ऑप्टिक फाइबर तंत्र के लिए डीपीआर तैयार नहीं किए थे जिसके लिए अभिलेखों में कोई कारण नहीं पाया गया था। इस प्रकार, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत प्रावधान होने के उपरांत भी पहल नहीं किए जाने के कारण, डिस्कॉम्स अपने जीएसएस/बिलिंग कार्यालयों एवं अन्य परिसरों को ऑप्टिकल फाइबर तंत्र से जोड़ने से वंचित रह गए।

सरकार ने कहा कि एनओएफएन को विकसित किए जाने के स्थान पर ग्रामीण तंत्र सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी गई थी। इसने आगे कहा कि एनओएफएन को सम्मिलित किए जाने से अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध निधियों के और कम हो सकती थी।

उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं था क्योंकि डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों में एनओएफएन हेतु डीपीआर तैयार किया जाना परिकल्पित था एवं एनओएफएन के कार्यान्वयन हेतु 100 प्रतिशत अनुदान का पृथक प्रावधान था। इस प्रकार, डिस्कॉम्स ने भारत सरकार से शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त करके एनओएफएन को कार्यान्वित किए जाने का अवसर खो दिया।

परियोजना निष्पादन

योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब

2.7 डिस्कॉम्स द्वारा जिला/वृत्त/मंडल-वार डीपीआर तैयार किए जाने थे एवं राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) द्वारा सिफारिश किए जाने के पश्चात, डीपीआर वेब पोर्टल के माध्यम से आरईसी को ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने थे। प्रत्येक डीपीआर की एक हार्ड कॉपी (वेब पोर्टल से मुद्रित की गई) भी अभिलेख एवं संदर्भ के लिए आरईसी को प्रस्तुत की जानी थी। निगरानी समिति (एमसी) के अनुमोदन के पश्चात, टर्नकी परियोजनाओं एवं आंशिक टर्नकी/विभागीय आधार परियोजनाओं को डिस्कॉम्स द्वारा कार्यादेश प्रपत्र (एलओए) जारी करने की दिनांक से क्रमशः 24 माह एवं 30 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना था।

JVVNL

12 परियोजनाएं
- प्रदान करने में विलंब 164 से 276 दिवसों के मध्य था।
- पूर्णता में विलंब 367 से 857 दिवसों के मध्य था।

Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited

11 परियोजनाएं
- प्रदान करने में विलंब 276 से 331 दिवसों के मध्य था।
- पूर्णता में विलंब 697 से 752 दिवसों के मध्य था।

Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Limited

10 परियोजनाएं
- प्रदान करने में विलंब 185 से 352 दिवसों के मध्य था।
- पूर्णता में विलंब 19 से 604 दिवसों के मध्य था।

परियोजनाओं को प्रदान करने में विलम्ब

2.8 डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजनाऐं एमसी द्वारा अनुमोदन की सूचना की तिथि से छः माह के भीतर प्रदान की जानी थी। एसएलएससी को डीपीआर प्रस्तुत किए जाने, इसके अनुमोदन, आरईसी को ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने, एमसी के अनुमोदन, एलओए जारी किए जाने की तिथि एवं परियोजनाओं के पूर्ण होने की प्रगति का विवरण **अनुबंध-2** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम ने ठेकेदारों को एलओए जारी किए जाने में, एमसी द्वारा अनुमोदन किए जाने की तिथि से छः माह के आगे, सारभूत समय लिया जोकि क्रमशः 164 से 276 दिवसों, 276 से 331 दिवसों एवं 185 से 352 दिवसों के मध्य था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एलओए जारी करने में विलंब मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) को अंतिम रूप नहीं देने; ठेकेदारों को आपूर्ति हेतु उच्च कीमत मदों[12] के प्रापण किए जाने का प्रारंभिक निर्णय, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था; विनिर्देश को अंतिम रूप देने में विलंब; बोलीदाताओं से अपर्याप्त प्रतिक्रिया आदि, जिसके कारण बोली खोलने की दिनांक कई बार बढ़ाई गई थी, के कारण था। इसके अतिरिक्त, कोई भी परियोजना निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हुई थी, तथापि, एमओपी,भारत सरकार ने स्वतः ही परियोजनाओं को पूर्ण करने की समय सीमा को क्रमशः मार्च 2020 तक एवं पुनः मार्च 2021 तक (अगस्त 2019 एवं जुलाई 2020) बढ़ा दिया था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप देने एवं निविदा के तरीके, डिस्कॉम्स की बीओडी के निर्देशों के अनुसार बोलीदाताओं के साथ पुनः मोलभाव को देखते हुए परियोजनाओं को प्रदान करने में विलंब वास्तविक था।

परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब

2.9 योजना के प्रावधान एवं एलओए में निर्दिष्ट नियमों व शर्तों के अनुसार, ठेकेदारों को उन्हें प्रदान किये गए कार्यों को एलओए जारी होने की तिथि से 24 माह की अवधि में पूर्ण करना आवश्यक था। साथ ही, कार्यादेशों में निर्दिष्ट नियमों व शर्तों के अनुसार, ठेकेदारों को कार्य की वास्तविक मात्रा का आंकलन करने हेतु डिस्कॉम्स के अधिकृत अभियंता के साथ जीपीएस आधारित विस्तृत सर्वेक्षण किए जाने थे। उन्हें एलओए जारी होने की तिथि से दो माह की अवधि में राजनीतिक मानचित्र पर उचित सत्यता के साथ जीपीएस समन्वय का उल्लेख करते हुए ऑटोकैड पर एकल रेखा आरेख भी तैयार करने थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि योजना के अंतर्गत प्रदान की गई 33 परियोजनाओं में से कोई भी मूल रुप से निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हुई थी एवं जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स में क्रमशः 367 दिवसों से 857 दिवसों, 697 दिवसों से 752 दिवसों एवं 19 दिवसों से 604 दिवसों के मध्य अत्यधिक विलंब था। अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि परियोजनाएं निम्नलिखित कारणों से निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हो सकी:

- ठेकेदारों द्वारा सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब,
- डिस्कॉम्स के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण की गई बिल ऑफ क्वांटिटी (बीओक्यू) के अनुमोदन में विलंब,
- ग्रिड सब-स्टेशन (जीएसएस) के स्थान/स्थल एवं सपाट सीमेण्ट कंक्रीट (पीसीसी) स्तंभों के विनिर्देशों में परिवर्तन,
- डीडीयूजीजेवाई कार्यो से पूर्व 'पॉवर फोर ऑल' हेतु प्राथमिकता में परिवर्तन, एवं
- 'सौभाग्य' योजना के अंतर्गत कार्य को संबंधित परियोजना के ही ठेकेदार को प्रदान करने ने भी डीडीयूजीजेवाई परियोजना के कार्यान्वयन की गति को धीमा किया।

सभी तीनों डिस्कॉम्स की चयनित परियोजनाओं में, लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित ठेकेदार ने प्राधिकृत अभियंता के साथ एक बार में सम्पूर्ण सर्वेक्षण कार्य को पूर्ण करने के स्थान पर, टुकड़ों में सर्वेक्षण किया अर्थात ब्लॉक-वार सर्वेक्षण किया एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात उस ब्लॉक में कार्य शुरू किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि इस पद्धति को अपनाने के कारण,

12 पॉवर ट्रांसफार्मर्स, वितरण ट्रांसफार्मर्स, एबी केबल, कंडक्टर, मीटर एवं भूमिगत केबल।

डिस्कॉम्स के प्राधिकारी कार्य/बीओक्यू की वास्तविक मात्रा का आंकलन करने की स्थिति में नहीं थे एवं डीपीआर में आंकलित कार्य एवं क्षेत्र में निष्पादित कार्य में अत्यधिक विचलन था (**जैसा कि ऊपर तालिका 2.1 में दर्शाया गया है**)। साथ ही, इससे कार्य निष्पादन में भी सारभूत विलंब हुआ क्योंकि प्रत्येक अवसर पर, ठेकेदार ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात ही कार्य शुरू किया।

सरकार ने सम्पूर्ण सर्वेक्षण को एक बार में नहीं किए जाने के तथ्य को स्वीकार किया एवं कहा कि लोक अशांति को टालने के लिए ब्लॉक-वार सर्वेक्षण सामयिक स्थिति की आवश्यकता थी। इसने आगे स्वीकार किया कि ब्लॉक-वार सर्वेक्षण में विलंब हुआ लेकिन न्यूनतम लोक बाधाओं के साथ निष्पादन में आसानी की तुलना में यह महत्वपूर्ण नहीं था। पूर्णता में विलंब के मुद्दे पर, सरकार ने कहा कि सभी परियोजना कार्य आरईसी द्वारा आंवटित समय सीमा में पूर्ण कर लिए गये थे।

उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि कोई भी परियोजना कार्य मूल रूप से निर्दिष्ट समय सीमा में पूर्ण नहीं किए जा सके एवं योजना का विस्तार परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब के कारण हुआ था। साथ ही, ब्लॉक-वार सर्वेक्षणों ने भी कार्य की वास्तविक मात्रा/बीओक्यू का अनुचित आंकलन किया एवं परियोजनाओं के निष्पादन में असामान्य विलंब का कारण बना।

परियोजना की घटक-वार स्वीकृत लागत के समक्ष वास्तविक लागत

2.10 परियोजनाओं की घटक-वार स्वीकृत लागत एवं डिस्कॉम्स द्वारा प्रत्येक घटक पर 31 दिसम्बर 2020[13] तक किया गया वास्तविक व्यय नीचे चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट संख्या 2.1

घटक-वार अनुमोदित लागत एवं वास्तविक लागत की स्थिति

(₹ करोड़ में)

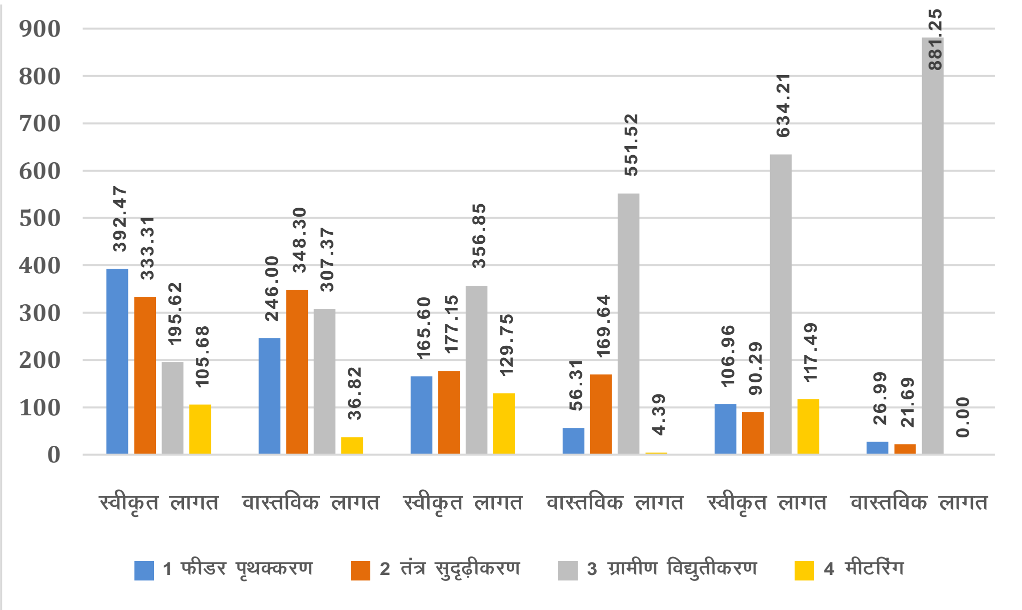

नोटः 31 दिसम्बर 2020 को लागत के वास्तविक आंकड़े हैं।

13 डिस्कॉम्स के पास दिसम्बर 2020 के पश्चात वास्तविक लागत का घटक-वार ब्रेकअप उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि डिस्कॉम्स ने डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत परिकल्पित एवं स्वीकृत फीडर पृथक्करण, तंत्र सुदृढ़ीकरण, मीटरिंग आदि से संबंधित कार्यों को कम करके ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों पर अधिक व्यय किया।

फीडर पृथक्करण (₹ 665.04 करोड़), तंत्र सुदृढ़ीकरण (₹ 600.76 करोड़), ग्रामीण विद्युतीकरण (₹ 1,186.69 करोड़) एवं मीटरिंग (₹ 352.92 करोड़) हेतु स्वीकृत लागत के समक्ष डिस्कॉम्स ने इन चार घटकों पर क्रमशः ₹ 329.30 करोड़, ₹ 539.63 करोड़, ₹ 1,740.14 करोड़ एवं ₹ 41.21 करोड़ व्यय किए। यह इंगित करता था कि डिस्कॉम्स ने अन्य तीन घटकों हेतु आंवटित निधियों में कटौती कर मुख्यतः ग्रामीण विद्युतीकरण पर ध्यानकेंद्रित किया।

भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां

2.11 योजना के अंतर्गत, भौतिक उपलब्धियां मुख्य रूप से फीडर पृथक्करण (भौतिक एवं वस्तुतः दोनों); उप-पारेषण एवं वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण; माइक्रो-ग्रिड एवं ऑफ-ग्रिड वितरण तंत्र एवं सब-स्टेशनों, फीडरों, वितरण ट्रांसफार्मरों एवं उपभोक्ता के परिसर में मीटरिंग (बिना मीटर वाले कनेक्शन, दोषपूर्ण मीटर एवं इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटर के प्रतिस्थापन के लिए) से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, 12वीं एवं 13वीं योजना हेतु आरजीजीवीवाई के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण को भी आरजीजीवीवाई को डीडीयूजीजेवाई में समाहित करके पूर्ण किया जाना था।

स्वीकृत/अनुमोदित भौतिक कार्यों के साथ-साथ 31 मार्च 2021 तक वास्तविक पूर्ण किए गये कार्यों के डिस्कॉम-वार विवरण **अनुबंध-3** में दिए गये हैं।

फीडर पृथक्करण एवं तंत्र सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत लिए गये विभिन्न कार्यों की मात्रा में अत्यधिक विचलन था, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका संख्या 2.1

स्वीकृत, प्रदान किए गए भौतिक प्रगति का 31 मार्च 2021 को विवरण

क्र.सं.	विवरण	इकाई	स्वीकृत एवं प्रदान की गई मात्रा	मार्च 2021 तक वास्तविक पूर्ण मात्रा	प्रतिशतता
1.	फीडर पृथक्करण (क्र.सं 6 के अलावा)	संख्या	2551	1498	59
2.	नए 33/11केवी सब-स्टेशन	संख्या	208	230	111
3.	33/11केवी सब-स्टेशन का संवर्धन	संख्या	5	80	1600
4.	वितरण ट्रांसफार्मर्स	संख्या	39084	75093	192
5.	एलटी लाईन	सीकेएम[14]	22683.00	44279.80	195
6.	11केवी लाईन	सीकेएम	21414.43	19755.44	92
7.	33 व 66केवी लाईन	सीकेएम	1930.70	1751.92	91
8.	ऊर्जा मीटर-उपभोक्ता (अ+ब)	संख्या	961827	589838	61
अ	नये कनेक्शन		523062	589838	113
ब	दोषपूर्ण मीटर का प्रतिस्थापन		438765	0	0
9.	ऊर्जा मीटर-11केवी फीडर	संख्या	8562	2182	26

स्रोतः डीपीआर एवं डिस्कॉम्स द्वारा प्रदान की गई सूचना

14 सर्किट किलोमीटर

- डीडीयूजीजेवाई प्रारंभ किए जाते समय 7,22,360 अ-विद्युतीकृत ग्रामीण गृह (आरएचएच) थे। डिस्कॉम्स-वार अ-विद्युतीकृत आरएचएच का विवरण **तालिका 2.3** में दिया गया है। इन अ-विद्युतीकृत आरएचएच को कनेक्शन प्रदान किए जाने के लिए, डीपीआर में मात्र 5,23,062 ऊर्जा मीटर एवं 39,084 वितरण ट्रांसफार्मर्स (डीटी) परिकल्पित किए गये थे जिसके समक्ष, 5,89,838 आरएचएच को विद्युत कनेक्शन जारी करने के लिए 31 मार्च 2021 तक कुल 75,093 डीटी स्थापित किए गए थे।

- यद्यपि डीपीआर में प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं नए कनेक्शन हेतु डीटी की स्थापना परिकल्पित की गई थी परन्तु नए डीटी पर मीटर स्थापित करने एवं डीटी पर स्थापित दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

- सभी 33 जिलों/परियोजनाओं की डीपीआर में योजना के अंतर्गत 41,765 गांवों/ बस्तियों को विद्युतीकृत किए जाने हेतु सम्मिलित किया गया था। तथापि, 16,765 गांव/ बस्तियाँ (22 जिले/परियोजनाएं) एवं 2,327 गांव/बस्तियाँ (17 जिले/परियोजनाएं), जिन्हें अ-विद्युतीकृत दर्शाया गया था, टर्नकी ठेकेदारों द्वारा कार्य को निष्पादित किए जाने से पूर्व किए गये स्थल सर्वेक्षण के समय क्रमशः पूर्व से ही विद्युतीकृत एवं अस्तित्व में नहीं पाये गये थे, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका संख्या 2.2

विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित गांवों/बस्तियों की डिस्कॉम-वार स्थिति

(आंकड़े संख्या में)

डिस्कॉम	विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित गांव/बस्तियाँ		गांव/बस्तियाँ, जो कि स्थल सर्वेक्षण के दौरान पूर्व में ही विद्युतीकृत पाये गये थे		गांव/बस्तियाँ, जो कि स्थल सर्वेक्षण के दौरान अस्तित्व में नहीं पाये गये थे	
	जिले/ परियोजनाएं	गांव/ बस्तियाँ	जिले/ परियोजनाएं	गांव/ बस्तियाँ	जिले/ परियोजनाएं	गांव/ बस्तियाँ
जयपुर	12	9026	9	7624*	9	1705
अजमेर	11	13266	4	1153	2	115
जोधपुर	10	19473	9	7988	6	507
योग	**33**	**41765**	**22**	**16765**	**17**	**2327**

स्रोतः डीपीआर एवं डिस्कॉम्स द्वारा प्रदान की गई सूचना

***जयपुर डिस्कॉम ने सूचित किया कि यह आंकड़ा ठेकेदार द्वारा किए गये सर्वेक्षण से संबंधित है एवं इसमें कुछ बस्तियाँ/गांव सम्मिलित हैं जो डीपीआर में सम्मिलित नहीं हैं।**

नये कनेक्शन प्रदान करने/दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन हेतु 14,59,173 ऊर्जा मीटरों[15] की आवश्यकता के समक्ष डिस्कॉम्स ने डीपीआरों में 9,61,827 ऊर्जा मीटरों का ही प्रावधान रखा, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

15 ऊर्जा मीटर (यथा उपभोक्ता के छोर पर स्थापित किया गया मीटर) एक ऐसा उपकरण है जो उपभोग की गई विद्युत की मात्रा को मापता है।

तालिका संख्या 2.3

डिस्कॉम-वार ऊर्जा मीटरों की आवश्यकता के समक्ष डीपीआरों में किया गया प्रावधान

(आंकड़े संख्या में)

डिस्कॉम	डीडीयूजीजेवाई के प्रारंभ में ऊर्जा मीटरों की आवश्यकता			डीपीआरों में प्रावधित किए गये ऊर्जा मीटर		
	आरएचएच को नये कनेक्शन जारी करने हेतु	विद्यमान दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन हेतु	योग	आरएचएच को नये कनेक्शन जारी करने हेतु	विद्यमान दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन हेतु	योग
जयपुर	152888	145513	298401	160476	129589	290065
अजमेर	213884	382290	597074	87879	309176	397055
जोधपुर	355588	208110	563698	274707	0	274707
योग	**722360**	**735913**	**1459173**	**523062**	**438765**	**961827**

स्रोतः डीपीआर एवं डिस्कॉम्स द्वारा प्रदान की गई सूचना

डिस्कॉम्स ऊर्जा मीटरों को स्थापित किए जाने के लक्ष्यों (जो कि आवश्यकता से कम थे) को भी प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत वह केवल 5,89,838 ऊर्जा मीटर[16] ही स्थापित कर सके। लक्षित स्थापना की अनुपलब्धि डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत दोषपूर्ण मीटरों को प्रतिस्थापन नहीं किए जाने के कारण थी।

इस प्रकार, परियोजना डीपीआरों को तैयार किए जाने से पूर्व विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण के अभाव में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत निष्पादित कार्यों की परिकल्पित/अनुमोदित मात्रा में वृहद विचलन था। इससे यह भी प्रकट होता है कि डीपीआर वास्तविक आंकड़ों पर तैयार नहीं किए किए गये थे एवं इसलिए निष्पादित कार्यों के बिल ऑफ क्वांटिटी (बीओक्यू) को बार-बार संशोधित करना पड़ा था। कार्यों के निष्पादन में पायी गई कमियों की चर्चा **अनुच्छेदो 2.12 से 2.15** में की गई है।

सरकार ने कहा कि डीपीआर विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात तैयार किए गए थे एवं फीडर पृथक्करण एवं प्रणाली सुधार गतिविधि में मात्रा में विचलन समय व्यतीत होने के कारण स्थल की स्थितियों में परिवर्तन, अन्य योजनाओं के अंतर्गत घरेलू कनेक्शन जारी करने को प्राथमिकता देने, केंद्रीय श्रम दर संविदा (सीएलआरसी) के माध्यम से कार्यों के निष्पादन एवं निधियों की सीमा के कारण था।

उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि अभिलेखों में विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण प्रतिवेदन नहीं पाए गए थे। साथ ही, गांव/बस्तियाँ, जो कि पूर्व में ही विद्युतीकृत थी अथवा विद्यमान नहीं थी, को डीपीआर में सम्मिलित किए जाने ने इंगित किया कि सर्वेक्षण उचित रूप से नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, समय अंतराल मात्राओं में सारभूत विचलनों (26 प्रतिशत एवं 195 प्रतिशत[17] के मध्य) को न्यायोचित नहीं ठहराता था एवं डीपीआर तैयार करते समय, नियोजन स्तर पर एक विस्तृत सर्वेक्षण करके एवं योजना समूह को शामिल करके इसे टाला जा सकता था।

निष्पादित कार्य का घटक-वार विश्लेषण आगामी **अनुच्छेदों 2.12 से 2.15** में किया गया है।

16 सभी ऊर्जा मीटर ग्रामीण गृहों को नये कनेक्शन जारी किए जाने के लिए उपयोग किए गये थे।

17 33/11 केवी सब-स्टेशनों के संवर्धन के प्रकरण में 1600 प्रतिशत विचलन को छोड़कर।

कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण

2.12 ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग की सुविधा के लिए कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण के कार्य की परिकल्पना की गई थी। तदनुसार, डिस्कॉम्स को फीडरों के पृथक्करण की आवश्यकता को चिन्हित करना था। साथ ही, केवल 20-25 प्रतिशत के लगभग फीडर पृथक्करण को ही शामिल करने के डिस्कॉम्स के प्रस्ताव पर, आरईसी ने इस शर्त के साथ कि प्राथमिकता उन फीडरों को दी जाए जहां 30-40 प्रतिशत कृषि विद्युत भार जुड़े हुए थे, अपनी सहमति व्यक्त की (मार्च 2015)।

कुल 19,379 ग्रामीण फीडर में से, डिस्कॉम्स ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 2,551 फीडर का पृथक्करण, जैसा कि **तालिका 2.1** में दिया गया है, प्रस्तावित किया। कुल ग्रामीण फीडर, डीपीआर में परिकल्पित फीडर पृथक्करण एवं किए गए वास्तविक पृथक्कृत फीडर का डिस्कॉम्स-वार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका संख्या 2.4

कुल ग्रामीण फीडर, प्रस्तावित/स्वीकृत फीडर पृथक्करण एवं डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत मार्च 2021 तक वास्तविक पृथक्कृत फीडर का विवरण

डिस्कॉम	ग्रामीण फीडरों की कुल संख्या	कुल ग्रामीण फीडर के समक्ष डीपीआर में प्रस्तावित एवं स्वीकृत फीडर पृथक्करण		पृथक्करण हेतु स्वीकृत फीडर के समक्ष वास्तव में पृथक्कृत फीडर		कुल ग्रामीण फीडरों से पृथक्कृत फीडरों की प्रतिशतता
		संख्या	%	संख्या	%	%
जयपुर	4503	1351	30.00	992	73.43	22.03
अजमेर	7315	769	10.51	325	42.26	4.44
जोधपुर	7561	431	0.06	181	42.00	2.39
कुल	**19379**	**2551**	**13.16**	**1498**	**58.72**	**7.73**

स्रोतः डीपीआर एवं डिस्कॉम्स द्वारा प्रदान की गई सूचना

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स द्वारा प्रस्तावित फीडर पृथक्करण कुल ग्रामीण फीडरों के 20-25 प्रतिशत की अपनी प्रारंभिक प्रतिबद्धता से अत्यधिक कम थे। साथ ही, तीनों डिस्कॉम्स में से किसी ने भी डीपीआर तैयार किए जाने से पूर्व भार प्रतिशतता एवं फीडर की लंबाई के विवरण तैयार नहीं किए थे। जयपुर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स ने केवल 3000 से अधिक व 4000 तक की जनसंख्या वाले गांवों में कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं हेतु एचटी फीडर के भौतिक पृथक्करण का निर्णय किया, जबकि अजमेर डिस्कॉम्स द्वारा कोई मानदंड नहीं अपनाया गया था। साथ ही, वास्तविक रूप से किए गये फीडर पृथक्करण कार्य में, डीपीआर में परिकल्पित एवं अनुमोदित से, सारभूत रूप से कटौती की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कृषि एवं ग्रामीण फीडर के पृथक्करण का कार्य प्रारंभिक रूप से ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) योजना 2008 में आंकलित एवं शुरू किया गया था एवं XI एवं XII पंचवर्षीय योजना के दौरान फीडर सुधार कार्यक्रम पर ₹ 2,083.95 करोड़ का व्यय किया गया था। साथ ही, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत ₹ 329.29 करोड़ का व्यय किया गया। तथापि, डिस्कॉम्स फीडर पृथक्करण कार्य मार्च 2021 तक पूर्ण नहीं कर सके क्योंकि डिस्कॉम्स डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कुल ग्रामीण फीडरों का केवल 7.73 प्रतिशत (1498 ग्रामीण फीडर) पृथक्करण ही सुनिश्चित

कर सके थे। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत फीडर पृथक्करण हेतु स्वीकृत निधियों के अतिरिक्त, डिस्कॉम्स ने तत्पश्चात फीडर पृथक्करण कार्य को पूर्ण करने हेतु ₹ 2,126.92 करोड़[18] की अतिरिक्त आवश्यकता का आंकलन किया (नवंबर 2015) एवं तदनुसार डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त निधियाँ प्रदान किए जाने हेतु डीपीआर को आरईसी को प्रस्तुत किए।

नौ चयनित परियोजनाओं के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि डिस्कॉम्स ने डीपीआर में पृथक्करण हेतु परिकल्पित 541 फीडर के समक्ष केवल 271 फीडर (दिसम्बर 2020 तक) ही पृथक्कृत किए थे। इन पृथक्कत किए गये फीडर में से, जयपुर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स के 182 फीडर अर्थतः पृथक्कृत[19] किए गये थे जबकि जयपुर डिस्कॉम्स के केवल दस फीडर ही वास्तविक रूप से कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों के रूप में पृथक्कृत किए गये थे। शेष 79 पृथक्कत फीडर के प्रकरण में, अजमेर डिस्कॉम्स ने अर्थतः पृथक्कृत एवं वास्तविक पृथक्कृत फीडर की सूचना प्रदान नहीं की थी।

इस प्रकार, बहुत पहले वर्ष 2008 में फीडर पृथक्करण का कार्य प्रारंभ करने एवं XI व XII योजना में एवं डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत क्रमशः ₹ 2083.95 करोड़ एवं ₹ 329.29 करोड़ व्यय करने के पश्चात भी, डिस्कॉम्स कृषि एवं गैर कृषि फीडर के पृथक्करण का कार्य पूर्ण नहीं कर सके। साथ ही, अधिकांश फीडर वास्तविक रूप से फीडर पृथक्कत किए जाने के स्थान पर अर्थतः पृथक्कत किए गये थे।

सरकार ने परिकल्पित फीडर पृथक्करण की अनुपलब्धि के तथ्य को स्वीकार किया एवं कहा कि योजना के अंतर्गत अपर्याप्त निधियों के कारण इसे नहीं लिया जा सका। इसने आगे कहा कि डिस्कॉम्स ने घरेलू कनेक्शनों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। समापन सभा के दौरान, सरकार ने स्वीकार किया कि उसने प्रारंभ से ही फीडर के अर्थतः पृथक्करण का निर्णय लिया था, जिसको डिस्कॉम्स द्वारा आज तक अनुसरण किया था। तथापि, राज्य सरकार ने अब महसूस किया है कि फीडर का भौतिक पृथक्करण अतिआवश्यक है एवं इसलिए, इसे उच्च वितरण हानियों वाले फीडर/क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ भारत सरकार की नई शुरू की गई योजना[20] के अंतर्गत लिया जाएगा।

इस प्रकार तथ्य यही रहा कि एचटी फीडर के भौतिक पृथक्करण का निर्णय लेने के पश्चात भी, तीनों डिस्कॉम्स में से किसी ने भी योजना के अंतर्गत परिकल्पित कृषि फीडरों को भौतिक रूप से पृथक्कृत नहीं किया। इसके अतिरिक्त, फीडर को भौतिक रूप से पृथक्कत किए जाने के योजना के दिशानिर्देशों की अनुपालना नहीं किए जाने के साथ ही फीडर के भौतिक पृथक्करण पर अनिर्णय ने, डिस्कॉम्स ने डीडीयूजीजेवाई सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल ग्रामीण फीडर के मात्र 7.73 प्रतिशत पृथक्करण पर अत्यधिक व्यय किया।

---

18 जयपुर डिस्कॉम- ₹ 877.87 करोड़, अजमेर डिस्कॉम- ₹ 789.76 करोड़ एवं जोधपुर डिस्कॉम- ₹ 459.87 करोड़।

19 जहाँ फीडर का भार कृषि एवं गैर कृषि भार को पृथक किए बिना नए फीडर पर डाल दिया गया था।

20 वितरण क्षेत्र पुर्नोत्थान योजना (जून 2021)

उप-पारेषण एवं वितरण ढांचे का सुदृढ़ीकरण एवं आवर्धन

तंत्र सुदृढ़ीकरण

2.13 तंत्र सुदृढ़ीकरण से संबंधित प्रकरणों का विवेचन निम्न उप-अनुच्छेदों में किया गया है।

उप-पारेषण एवं वितरण तंत्र में गंभीर रिक्तियों की पहचान

2.13.1 वितरण तंत्र के दक्ष प्रबंधन हेतु डिस्कॉम्स को सभी प्रासंगिक मानकों[21] एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत चल रहे कार्यों पर विचार करते हुए उप-पारेषण एवं वितरण तंत्र में गंभीर रिक्तियों की पहचान की जानी थी।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि डिस्कॉम्स ने डीपीआर तैयार किए जाने से पूर्व उप-पारेषण एवं वितरण तंत्र में गंभीर रिक्तियों की पहचान करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया था। साथ ही, 33/11 केवी या 66/11 केवी सब-स्टेशनों के नए निर्माण एवं आवर्धन की औचित्यता हेतु भार प्रवाह अध्ययन भी नहीं किए गये थे जो कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि आरईसी ने डिस्कॉम्स को डीपीआर में प्रस्तावित सब-स्टेशनों के निर्माण/आवर्धन के भार प्रवाह अध्ययन प्रदान करने के लिए कहा (सितंबर 2016)। लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स ने आज तक भार प्रवाह अध्ययन प्रदान नहीं किये थे।

सरकार ने कहा कि डिस्कॉम्स ने सब-स्टेशनों के निर्माण/आवर्धन को प्रस्तावित करते समय उनके पास उपलब्ध वास्तविक व्यावहारिक रूपरेखा आंकड़ों के उपयोग के साथ अन्य मापदंडों यथा वोल्टेज विनियमन, लागत-लाभ अनुपात एवं भार वहन करने की क्षमता की जांच की थी। इसने आगे आश्वासन दिया कि भविष्य में नई सॉफ्टवेयर आधारित तकनीकों को अपनाया जाएगा।

उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि प्रस्तावित सब-स्टेशनों की भार प्रवाह अध्ययन न तो अभिलेख में पाये गये एवं न ही आरईसी को उपलब्ध करवाए गये थे।

सब-स्टेशनों का निर्माण

2.13.2 डिस्कॉम्स ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 33/11 केवी के 208 सब-स्टेशन (एसएस) का निर्माण परिकल्पित किया, जैसा कि **तालिका 2.1** में दिया गया है। तंत्र सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत डीपीआर में परिकल्पित नए एसएस (संबद्ध 66/33/11 केवी लाइनों सहित) के निर्माण एवं वास्तविक रुप से निर्मित एसएस का डिस्कॉम्स-वार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

21 उपभोक्ता मिश्रण, उपभोग पद्धति, वोल्टेज विनियमन, एटीएंडसी हानि स्तर, एचटी एवं एलटी अनुपात, ट्रांसफार्मर्स एवं फीडर/लाइनों का अनुकूलतम भार, प्रतिक्रियाशील विद्युत प्रबंधन, विद्युत कारक सुधार, निष्पादन के मानक इत्यादि

तालिका संख्या 2.5

डीडीयूजीजेवाईज के अंतर्गत प्रस्तावित एवं मार्च 2021 तक निर्मित सब-स्टेशनों का विवरण

डिस्कॉम का नाम	डीपीआर में प्रस्तावित एसएस की संख्या	प्रस्तावित स्थल पर बनाए गए एसएस की संख्या	प्रस्तावित स्थल पर नहीं बनाए गए एसएस की संख्या	डीपीआर में प्रस्तावित की जगह अन्य स्थल पर बनाये गए एसएस	वास्तव में निर्मित एसएस की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 (3+5)**
जयपुर	107	46	61	71	117
अजमेर	85	62	23	34	96
जोधपुर	16	9	7	8	17
कुल	**208**	**117**	**91**	**113**	**230**

स्रोतः डीपीआर एवं डिस्कॉम्स द्वारा प्रदान की गई सूचना।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि प्रस्तावित स्थल पर केवल 117 एसएस (56.25 प्रतिशत) का निर्माण किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रत्येक डिस्कॉम 33/11 केवी एसएस के निर्माण के नियोजन की देखरेख हेतु एक समर्पित 'योजना समूह' रखता है, तथापि, तीनों डिस्कॉम्स के योजना समूह डीपीआर में सम्मिलित किए गये प्रस्तावित एसएस के स्थलों को अंतिम रूप देने से पूर्व, तकनीकी/वित्तीय व्यवहार्यता का आंकलन करने में, भार प्रवाह अध्ययन करने में शामिल नहीं पाए गए थे। यह भी देखा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में नए 33/11 केवी एसएस के निर्माण हेतु अध्यक्ष डिस्कॉम्स के आदेशानुसार जारी किए गये (जुलाई 2014) निर्धारित मानदंड/मानक[22] की अनुपालना डीपीआर तैयार करते समय नहीं की गई थी। तत्पश्चात, योजना समूह द्वारा आंकलन के पश्चात, 91 एसएस प्रस्तावित स्थलों पर निर्माण किए जाने हेतु व्यवहार्य नहीं पाए गये थे, जिसके कारण एसएस के स्थान में परिवर्तन हुआ।

उपरोक्त के अतिरिक्त, जीएसएस के निर्माण में योजना समूह एवं डीडीयूजीजेवाई समूह के मध्य समन्वय के अभाव के संबंध में पायी गई अन्य कमियां निम्नानुसार थीं:

जयपुर डिस्कॉम- अलवर परियोजना में, ठेकेदार (मैसर्स इंडिया कमर्शियल सर्विसेज, जयपुर) ने नौ[23] एसएस, इस तथ्य के उपरांत भी कि एसई योजना ने उस समय तक केवल तीन[24] एसएस हेतु अपनी स्वीकृति दी थी, का निर्माण प्रारंभ कर दिया (नवंबर 2017)। साथ ही जयपुर परियोजना में, प्रारंभिक रूप से परियोजना डीपीआर में सम्मिलित पांच[25] एसएस का निर्माण बाद में हटा दिया गया था क्योंकि इन एसएस का निर्माण केंद्रीय श्रम दर संविदा (सीएलआरसी) के अंतर्गत पूर्व ही प्रारंभ हो चुका था (सितंबर 2016 एवं जुलाई 2017 के मध्य) एवं कार्य पूर्ण होने के करीब था। .

---

22 उपयुक्त भूमि की उपलब्धता, विद्यमान एसएस से दूरी, सीएमआरआई भार सर्वेक्षण, लाभ-लागत अनुपात (12 प्रतिशत) इत्यादि

23 बस्सी जोगियां, घाट, डोली, बड़ौदा खान, सीताराम नगला, रोमिजा थान, श्री चांदपुरा (भूमि विवाद के कारण योजना के अंतर्गत निर्मित नहीं), तहला, पालपुर।

24 बस्सी जोगियां, घाट, डोली

25 टांडा एवं सुमेल (एपीपी 2017-18 में) घासीपुरा, सुराणा टोडी एवं रीको शाहपुरा (एपीपी 2018-19 में)

अजमेर डिस्कॉम– योजना के अंतर्गत निर्मित 21 एसएस के प्रकरण में लाभ-लागत अनुपात 12 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से कम पाया गया था एवं 8 प्रतिशत से 11.78 प्रतिशत के मध्य सीमा में था।

साथ ही, सब-स्टेशनों के स्थल में बाद में किए गये बदलाव के संबंध में जिला विद्युत समिति एवं एसएलएससी का विशिष्ठ अनुमोदन अभिलेख में नहीं पाया गया था जिसने यह इंगित किया कि स्थलों में बदलाव संबंधी प्रकरण इन समितियों के समक्ष नहीं रखा गया था। इसके अतिरिक्त तीनों डिस्कॉम्स की चयनित परियोजनाओं में, 46 एसएस[26] में से, 17 एसएस[27] संबंधित डीपीआर में प्रस्तावित स्थलों पर निर्मित नहीं किए गये थे, जिसके लिए अभिलेखों में कोई औचित्य नहीं पाया गया था।

इस प्रकार, निर्धारित मानदंडों की अनुपालना नहीं करने के साथ-साथ डीपीआर तैयार करते समय योजना समूह की सहभागिता नहीं होने, डिस्कॉम्स के विभिन्न समूहों के मध्य समन्वय के अभाव की परिणीति डीपीआर में अलाभकारी एसएस को शामिल किए जाने के रूप में हुई जिसके कारण 91 एसएस (कुल परिकल्पित एसएस का 43.75 प्रतिशत) के स्थान में परिवर्तन हुआ।

सरकार ने डीपीआर तैयार करते समय डिस्कॉम्स के योजना समूहों की सहभागिता नहीं होने के तथ्यों को स्वीकार किया। इसने आगे कहा कि स्थानों में परिवर्तन भूमि की अनुपलब्धता, स्थान की स्वीकार्यता के साथ-साथ परियोजनाओं के नियोजन एवं निष्पादन में समय अंतराल के कारण था। यह कहा गया था कि सब-स्टेशनों का निर्माण करते समय तकनीकी रूपरेखा मापदंडों की अनुपालना की गई थी। सरकार ने यह भी कहा कि स्थानों में परिवर्तन के लिए एसएलएससी अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा एवं परियोजनाओं के समापन करने के समय आरईसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि उल्लिखित बाधाओं को एसएलएससी/डीईसी की नियमित बैठकों में मुद्दों से अवगत कराकर समाधान किया जा सकता था, जो नहीं किया गया था।

ट्रांसफार्मर क्षमता

2.13.3 वितरण ट्रांसफॉर्मर्स (डीटी) की विफलता दर का आंकलन करने हेतु, डिस्कॉम्स समन्वय संगोष्ठी (डीसीएफ) ने एकल फेज डीटी से कनेक्शन जारी करने हेतु मानदंड तय किए (जुलाई 2009)। तत्पश्चात डिस्कॉम्स ने मानदंडों में संशोधन किया (फरवरी 2017) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन जारी करने हेतु 'विविधता अनुपात' 1:1 निर्धारित किया। यह मानदंड विभिन्न योजनाओं (डीडीयूजीजेवाई सहित) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन जारी किए जाने हेतु भी लागू था। निर्धारित विविधता अनुपात के अनुसार, डिस्कॉम्स को ट्रांसफार्मर की एक केवीए क्षमता के समक्ष एक कनेक्शन जारी किया जाना था। तदनुसार, डिस्कॉम्स को एक से पाँच उपभोक्ताओं, छः से 10 उपभोक्ताओं एवं 11 से 16 उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी किए जाने हेतु क्रमशः 5 केवीए, 10 केवीए एवं 16 केवीए के डीटी स्थापित करने थे।

डिस्कॉम्स ने 39,084 डीटी स्थापित किया जाना परिकल्पित किया जिसके समक्ष मार्च 2021 तक 75,093 डीटी स्थापित किए गये थे, जैसा कि **तालिका 2.1** में दिया गया है।

---

26 जयपुर डिस्कॉम-19 एसएस, अजमेर डिस्कॉम-23 एसएस एवं जोधपुर डिस्कॉम- 4 एसएस।

27 जयपुर डिस्कॉम-12 एसएस, अजमेर डिस्कॉम-3 एसएस एवं जोधपुर डिस्कॉम- 2 एसएस।

ट्रांसफार्मर क्षमता हेतु निर्धारित मानदंडों के आंकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत प्रत्येक स्थापित ट्रांसफार्मर से जारी किए गए कनेक्शनों का विवरण मांगा (अगस्त 2020)। तथापि, तीनों डिस्कॉम्स में से कोई भी जनवरी 2021 तक अपेक्षित विवरण प्रदान नहीं कर सका। तथापि डिस्कॉम्स ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अगस्त 2020[28] तक सृजित अवसंरचना की ग्राम-वार सूचना, जो कि आरईसी गुणवत्ता अनुवीक्षक (आरक्यूएम) द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के उद्देश्य से तैयार की गई थी, प्रदान की। इसके पश्चात, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत सृजित अवसंरचना की ग्राम-वार सूचना को अद्यतन किया जाना नहीं पाया गया था।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अगस्त 2020 तक सृजित अवसंरचना की ग्राम-वार सूचना ने 56,568 डीटी[29] स्थापित किया जाना दर्शाया। इन नये स्थापित डीटी के लेखापरीक्षा विश्लेषण से उजागर हुआ कि डिस्कॉम्स ने योजना के कार्यान्वयन में मानदंडों की अनुपालना नहीं की थी एवं अधिक क्षमता[30]/कम क्षमता[31] वाले ट्रांसफार्मर्स स्थापित किए जैसा कि नीचे तालिका में दिखाया गया है:

तालिका संख्या 2.6

31 अगस्त 2020 तक डिस्कॉम्स-वार स्थापित ट्रांसफार्मर का विवरण

डिस्कॉम	ट्रांसफार्मर क्षमता						कुल
	क्षमता पर		कम क्षमता		अधिक क्षमता		
	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	
जयपुर	881	5.33	628	3.80	15007	90.87	16516
अजमेर	5536	64.47	448	5.22	2603	30.31	8587
जोधपुर	21744	69.11	2395	7.61	7326	23.28	31465
कुल	**28161**	**49.78**	**3471**	**6.14**	**24936**	**44.08**	**56568**

स्रोतः डीडीयूजीजेवाई की प्रगति प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा ने देखा किः

जयपुर डिस्कॉम ने डीपीआर तैयार करते समय एक गांव में अविद्युतीकृत ग्रामीण गृहों (आरएचएच) की संख्या पर ध्यान दिए बिना आरएचएच को कनेक्शन जारी किए जाने हेतु केवल 16 केवीए क्षमता के ट्रांसफॉर्मर्स प्रस्तावित किए। तदनुसार, एमसी द्वारा डीपीआर अनुमोदित की गई थी।

अजमेर डिस्कॉम ने बांसवाड़ा की परियोजना डीपीआर में केवल तीन 10 केवीए ट्रांसफार्मर्स का प्रावधान रखा जबकि डिस्कॉम्स की अन्य परियोजनाओं में सभी क्षमता (5 केवीए, 10 केवीए, 16

28 जयपुर एवं जोधपुर डिस्कॉम (जून 2020) एवं अजमेर डिस्कॉम (अगस्त 2020)।

29 5 केवीए के 16,700 डीटी, 10 केवीए के 16,925 डीटी, 16 केवीए के 22,879 डीटी एवं 25 केवीए के 64 डीटी।

30 अधिक क्षमता ट्रांसफार्मरः जहाँ स्थापित ट्रांसफार्मर के स्थान पर एक कम क्षमता वाला ट्रांसफार्मर कनेक्शनो की अपेक्षित संख्या जारी किए जाने हेतु पर्याप्त होता।

31 कम क्षमता ट्रांसफार्मरः जहाँ जारी किए गये कनेक्शनों की संख्या ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता से अधिक थी।

केवीए एवं 25 केवीए) का प्रावधान रखा था। साथ ही, इसने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत प्रापण एवं स्थापित किए गए ट्रांसफार्मर्स का श्रेणी-वार विवरण प्रदान नहीं किया था।

जोधपुर डिस्कॉम ने प्रत्येक क्षमता (5 केवीए, 10 केवीए एवं 16 केवीए) के ट्रांसफार्मर हेतु प्रावधान किया। तथापि, इसने आवश्यक क्षमता के अनुसार ट्रांसफार्मर्स की स्थापना सुनिश्चित नहीं थी। सतर्कता के अभाव के कारण ठेकेदारों द्वारा विविधता अनुपात के जो आवश्यक था, के स्थान पर अधिक क्षमता एवं कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर्स स्थापित किए गये थे। एक चयनित परियोजना (पाली) में, लेखापरीक्षा ने देखा कि सक्षम प्राधिकारी ने ठेकेदार को 5 केवीए ट्रांसफार्मर्स की अनुपलब्धता के कारण 10 केवीए ट्रांसफार्मर्स स्थापित करने की अनुमति दी थी। तदनुसार, ठेकेदार ने केवल एक से चार के मध्य कनेक्शन जारी करने हेतु 10 केवीए के 739 डीटी स्थापित किए।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि संविदा करार में प्रावधान के अभाव/कम क्षमता वाले डीटी की अनुपलब्धता के कारण उच्च क्षमता वाले डीटी की अनुमति दी गई थी।

तथ्य यह रहा कि अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर्स की स्थापना की परिणीति अधिक व्यय एवं अन्य गतिविधियों हेतु संसाधनों से वंचित होने के रूप में हुई, जैसा कि **अनुच्छेद 2.13.4** में चर्चा की गई है।

अतिशय ट्रांसफार्मर क्षमता पर ₹ 53.15 करोड़ का अधिक व्यय

2.13.4 डीसीएफ द्वारा निर्धारित विविधता अनुपात (1:1) के अनुसरण में डिस्कॉम्स द्वारा जारी किए जाने वाले कनेक्शनों की संख्या को देखते हुए डीटी स्थापित किये जाने थे। चूंकि डिस्कॉम्स ने डीटी-वार जारी किए गये कनेक्शनों का विवरण संधारित नहीं किया था, डीसीएफ द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार 10 केवीए डीटी (6,301 डीटी) एवं 16 केवीए (18,571) डीटी की स्थापना की पर्याप्तता के आंकलन हेतु डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत सृजित अवसंरचना की ग्राम-वार सूचना का आगे विश्लेषण किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि डिस्कॉम्स ने संबंधित मानदंडों के अंतर्गत निर्धारित क्षमता से अधिक क्षमता के डीटी स्थापित किये थे, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 2.7

निर्धारित क्षमता से अधिक क्षमता वाले डीटी का उपयोग

डिस्कॉम	10 केवीए डीटी की संख्या	16 केवीए डीटी की संख्या			सकल योग
	1 से 5 उपभोक्ता कनेक्शनों को जारी किए जाने में उपयोग	1 से 5 उपभोक्ता कनेक्शनों को जारी किए जाने में उपयोग	6 से 10 उपभोक्ता कनेक्शनों को जारी किए जाने में उपयोग	योग	
जयपुर	0	11722	3285	15007	15007
अजमेर	1027	74	1438	1512	2539
जोधपुर	5274	1064	988	2052	7326
योग	**6301**	**12860**	**5711**	**18571**	**24872**

स्रोतः डिस्कॉम्स द्वारा प्रदान की गई सूचना।

इस प्रकार, डिस्कॉम्स ने निर्धारित मानदंडों के अनुसार डीटी की स्थापना का ध्यान नहीं रखा था क्योंकि 10 केवीए डीटी (37.23 प्रतिशत) एवं 16 केवीए डीटी (81.17 प्रतिशत) के प्रमुख भाग वहाँ स्थापित किए गये थे, जहां कम क्षमता वाले डीटी की स्थापना उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन जारी करने की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु पर्याप्त होती। यह मुख्यतया 5 केवीए एवं 10 केवीए डीटी की आवश्यकता को डीपीआर[32] में सम्मिलित नहीं करने के कारण था। इसके अतिरिक्त, ऐसे प्रकरण थे जहां अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स ने डीपीआर में 5-10 केवीए डीटी के प्रावधान होने के पश्चात भी, निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवश्यक क्षमता से अधिक क्षमता वाले डीटी स्थापित किए।

परिणामस्वरूप, डिस्कॉम्स ने आवश्यक क्षमता से अधिक के डीटी की स्थापना पर ₹ 53.15 करोड़[33] का अधिक व्यय किया। चूंकि अजमेर डिस्कॉम द्वारा वास्तव में स्थापित डीटी के अद्यतन आंकड़े अभी तक प्राप्त होने हैं, वास्तविक अतिरिक्त व्यय की मात्रा और अधिक होगी। गैर-अनुपालना का प्रभाव और भी अधिक एवं कई गुना था, क्योंकि जयपुर डिस्कॉम्स ने आरईसी के साथ पत्र व्यवहार के समय (जुलाई 2017 एवं दिसंबर 2017) स्वयं एहसास किया कि उच्च क्षमता वाले डीटी की स्थापना न केवल उसके वित्तीय भार व तकनीकी हानियों में वृद्धि करेगा अपितु यह विद्युत के दुरुपयोग/चोरी के लिए अवसर भी देगा।

सरकार ने कहा कि डिस्कॉम्स की सामान्य विशिष्टता समिति ने आरजीजीवीवाई XII योजना के अनुरूप डीटी का उपयोग करने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2015) एवं इसलिए, जयपुर डिस्कॉम की सीएलपीसी ने परियोजनाओं को प्रदान किए जाने हेतु मात्र 16 केवीए डीटी पर ही विचार किया (नवंबर 2015)। इसने आगे कहा कि अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम के पास जारी किए गये कनेक्शनों के डीटी वार विवरण उपलब्ध नहीं थे एवं शीघ्र ही विस्तृत आंकडे प्रदान करने का आश्वासन दिया।

उत्तर युक्तिसंगत नहीं था क्योंकि डिस्कॉम्स ने डीटी के उपापन हेतु असंगत दृष्टिकोण अपनाया। साथ ही, जयपुर डिस्कॉम ने विलंब से कम क्षमता वाले डीटी (5 केवीए/10 केवीए) की आवश्यकता को स्वीकार किया एवं 16 केवीए डीटी को कम क्षमता वाले डीटी के साथ बदलने की अनुमति के लिए आरईसी से संपर्क किया, जिसकी आरईसी द्वारा अनुमति नहीं दी गयी थी। इसके अतिरिक्त, कनेक्शन की डीटी वार विस्तृत सूचना प्रतीक्षित थी **(नवम्बर 2021)**।

स्थापित ट्रांसफार्मरों का निष्पादन

2.13.5 'विविधता अनुपात' के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में एक केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर के समक्ष एक कनेक्शन ही जारी किया जाना था। तथापि, डिस्कॉम्स ने निर्देश की अनुपालना नहीं की थी एवं ट्रांसफार्मर की क्षमता से अधिक कनेक्शन जारी किए। जैसा कि ऊपर **तालिका-2.6** से स्पष्ट है, डिस्कॉम्स ने 3471 ट्रांसफार्मर कम क्षमता के स्थापित किए, अर्थात जारी किए गए कनेक्शनों

32 समस्त 12 डीपीआर जयपुर डिस्कॉम की थी एवं एक डीपीआर (बांसवाड़ा) अजमेर डिस्कॉम से संबंधित थी, जिसमें क्रमशः 5-10 केवीए डीटी एवं 10 केवीए डीटी स्थापित करने का प्रावधान नहीं था।

33 डिस्कॉम वार अधिक व्यय की गणना ₹ 36.51 करोड़ (जयपुर डिस्कॉम), ₹ 3.71 करोड़ (अजमेर डिस्कॉम) एवं ₹ 12.93 करोड़ (जोधपुर डिस्कॉम) थी, जिसकी गणना डीडीयूजीजेवाई परियोजनाओं के अंतर्गत टर्नकी संविदाएं प्रदान करने के समानांतर डीटी हेतु निर्णीत (मार्च-अप्रैल 2017) भंडार निर्गम दरों के आधार पर की गई थी।

की संख्या ट्रांसफार्मर की क्षमता से अधिक थी एवं इसलिए ट्रांसफार्मर पर इसकी स्थापना के प्रथम दिवस से अत्यधिक बोझ हो गया था एवं इसके जलने के जोखिम अधिक था।

चयनित परियोजनाओं में स्थापित किए गये ट्रांसफार्मर्स के निष्पादन का आंकलन करने हेतु, लेखापरीक्षा ने स्थापित ट्रांसफार्मर्स एवं जले हुए ट्रांसफार्मर्स के आंकड़े प्राप्त किये जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः

तालिका संख्या 2.8

चयनित परियोजनाओं में स्थापित एवं जले हुए ट्रांसफार्मर्स का विवरण

डिस्कॉम	चयनित परियोजना	स्थापित ट्रांसफार्मर्स की संख्या	जले हुए ट्रांसफार्मर्स की संख्या	जले हुए ट्रांसफार्मर्स का प्रतिशत
जयपुर	टोंक	1316	440	33.43
	बूंदी	743	58	7.81
	भरतपुर	1374	96	6.99
अजमेर	अजमेर	438	12	2.74
	सीकर	2188	176	8.04
	बांसवाड़ा	4836	182	3.76
जोधपुर	बाड़मेर	16318	937	5.74
	पाली	1174	291	24.79
	जालौर	3257	131	4.02
योग		**31664**	**2323**	**7.33**

स्रोतः चयनित परियोजनाओं से प्राप्त सूचना।

यह देखा जा सकता है कि 2017-18 से 2020-21 तक चार वर्षों की अवधि के दौरान अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर एवं जालौर के अलावा सभी चयनित परियोजनाओं में स्थापित ट्रांसफार्मर्स की विफलता दर एमओपी द्वारा निर्धारित ट्रांसफार्मर्स की स्वीकार्य विफलता दर (यथा 1.50 प्रतिशत प्रति वर्ष) की तुलना में असामान्य रूप से उच्च थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि टोंक परियोजना के मामले में, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर्स स्थापित किए जाने संबंधी प्रकरण, जिसके कारण ट्रांसफार्मल जल सकता है, अधिशासी अभियंता को कई बार प्रतिवेदित किए गया था, तथापि, इस मामले में कोई कार्यवाही अभिलेखों पर नहीं पायी गई थी। यद्यपि जले हुए ट्रांसफार्मर्स को संबंधित ठेकेदारों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था क्योंकि ये वारंटी के अधीन थे लेकिन ग्रामीणों को जले हुए ट्रांसफार्मर्स के प्रतिस्थापन में लगने वाले समय तक विद्युत के व्यवधान को सहन करना पड़ा।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया।

तंत्र सुदृढ़ीकरण के भाग पर नए फीडरों का निर्माण

2.13.6 साधारणतया एक प्राथमिक वितरण लाइन या फीडर को, फीडर की लंबाई के आधार पर 1-4 एमवीए का भार वहन करने के लिए रूपरेखित किया जाता है, इसलिए 11 केवी पर द्वितीय सब-स्टेशन से निकलने वाले फीडरों की संख्या 3 या अधिक है। साथ ही, आरईसी ने योजना के अंतर्गत निर्मित किये जाने वाले एसएस के आरेख एवं रूपरेखा प्रदान किए थे। तदनुसार, नव निर्मित 230 एसएस पर, तीनों डिस्कॉम्स द्वारा 918 की संख्या[34] में नए फीडर निर्मित किए

34 जयपुर डिस्कॉम-452 फीडर, अजमेर डिस्कॉम-424 फीडर एवं जोधपुर डिस्कॉम- 42 फीडर

गये थे। चयनित परियोजनाओं में नवनिर्मित 182 फीडर[35] के लेखापरीक्षा विश्लेषण से उजागर हुआ कि डिस्कॉम्स ने कृषि एवं गैर-कृषि भार हेतु पृथक फीडर बनाए जाने के स्थान पर इन फीडरों पर मिश्रित भार रखा। इस प्रकार डिस्कॉम्स के अविवेकपूर्ण नियोजन ने योजना के मूल उद्देश्य अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग की सुविधा प्रदान करने को विफल कर दिया था। इसके अतिरिक्त, चयनित परियोजनाओं में इन फीडर (11केवी लाइन) के निर्माण पर ₹12.55 करोड़[36] व्यय करने के उपरांत भी डिस्कॉम्स को भविष्य में ऐसे फीडर के पृथक्करण पर और व्यय करना होगा।

सरकार ने कहा कि निधियों की कमी के कारण जयपुर डिस्कॉम ने 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 3000 अथवा अधिक जनसंख्या वाले गांवों में सीधे विद्युत आपूर्ति करने के लिए फीडर बनाए जाने का निर्णय किया। इसने आगे कहा कि अजमेर डिस्कॉम ने पृथक कृषि फीडर संबंधी प्रभावी नियोजन की कोशिश की। तथापि, राज्य के कुछ हिस्सों में, आवास ढाँचा फीडर पृथक्करण के लिए सहायक नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि किसी भी चयनित परियोजना (बाड़मेर के अलावा) में छितराये हुए आवास नहीं थे। इसलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग के लिए कृषि फीडर एवं गैर-कृषि फीडर भौतिक पृथक्करण कर निर्माण किए जा सकते थे।

नए मीटर स्थापित करना/दोषपूर्ण मीटरों प्रतिस्थापन

2.13.7 डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, डिस्कॉम्स को वितरण ट्रांसफार्मर्स, फीडर एवं उपभोक्ता के छोर पर मीटरिंग परिकल्पित किया जाना आवश्यक था। तथापि, डिस्कॉम्स ने कनेक्शन जारी करने/दोषपूर्ण मीटर के प्रतिस्थापन हेतु 9,61,827 उपभोक्ता ऊर्जा मीटरो एवं 8,562 फीडर मीटर (3,626 दोषपूर्ण फीडर मीटर सहित) की आवश्यकता परिकल्पित की, जैसा कि **तालिका 2.1** में दिया गया है। साथ ही, डिस्कॉमस ने डीटी पर मीटर की स्थापना का कोई प्रावधान नहीं रखा था।

मीटरों को वितरण ट्रांसफार्मर्स, फीडर एवं उपभोक्ता छोर पर स्थापित किए जाने संबंधी अभिलेखों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से उजागर हुआ कि:

- **वितरण ट्रांसफार्मर्स पर मीटरिंग:** चूंकि तीनों डिस्कॉम्स में से किसी ने भी वितरण ट्रांसफार्मर्स पर मीटर लगाने का प्रावधान नहीं किया था, डिस्कॉम्स ने 75,093 डीटी पर मीटर स्थापित नहीं किये थे।
- **उपभोक्ता के छोर पर मीटरिंग:** डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कनेक्शन जारी करते समय तीनों डिस्कॉम्स ने उपभोक्ता छोर पर 5,89,838 मीटर स्थापित किए गये थे।
- **दोषपूर्ण उपभोक्ता मीटरों का प्रतिस्थापन:** जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत एक भी दोषपूर्ण मीटर को, इस तथ्य के उपरांत भी कि दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन के लिए ₹ 97.10 करोड़[37] स्वीकृत किए गए थे, प्रतिस्थापित नहीं किया था। साथ ही, 2,08,110 दोषपूर्ण मीटर होने के बावजूद, जोधपुर

35 जयपुर डिस्कॉम-73 फीडर, अजमेर डिस्कॉम-106 फीडर एवं जोधपुर डिस्कॉम- 3 फीडर

36 जयपुर डिस्कॉम-₹ 4.37 करोड़, अजमेर डिस्कॉम- ₹ 7.77 करोड़ एवं जोधपुर डिस्कॉम- ₹ 0.41 करोड़

37 जयपुर डिस्कॉम-₹ 32.43 करोड़, अजमेर डिस्कॉम-₹ 64.67 करोड़

डिस्कॉम ने ऐसे मीटरों के प्रतिस्थापन किए जाने हेतु डीपीआर में कोई प्रावधान नहीं किए थे।

- **फीडर पर मीटरिंग:** योजना के अन्तर्गत निधि स्वीकृत किए जाने के उपरांत भी 3,626 दोषपूर्ण फीडर मीटरों[38] को प्रतिस्थापित नहीं किया गया था।

आपूर्ति के नियम एवं शर्तों (टीसीओएस) के अनुसार, दोषपूर्ण मीटरों को इसकी पहचान के दो माह के भीतर प्रतिस्थापित करना आवश्यक था एवं यदि इन्हे निर्धारित अवधि में प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है, तो इसका पता लगने के पश्चात मीटर प्रतिस्थापित होने तक मासिक/पाक्षिक बिलिंग के प्रकरण में, कुल बिल पर पांच प्रतिशत की छूट तृतीय मासिक बिल से एवं द्विमासिक बिलिंग के प्रकरण में, द्वितीय बिल से अनुमत्य की जानी है।

तीनों डिस्कॉम्स की चयनित परियोजनाओं में, लेखापरीक्षा ने देखा कि 31 मार्च 2020 को 2,81,580 मीटर, दोष का पता लगने के पश्चात, दो माह से अधिक की अवधि के लिए दोषपूर्ण पड़े हुये थे। तथापि, यह प्रतिस्थापित नहीं किए गये थे एवं इसलिए ओएंडएम वृत्त कार्यालयों को बिल राशि के पांच प्रतिशत की छूट पारित करनी पड़ी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि डिस्कॉम्स को निर्धारित समयावधि के भीतर दोषपूर्ण मीटरों को प्रतिस्थापित नहीं किए जाने के पेटे 2016-20 के दौरान ₹ 50.37 करोड़ की छूट पारित करनी पड़ी थी।

इस प्रकार, डिस्कॉम्स डीटी पर मीटरों की स्थापित किए जाने एवं दोषपूर्ण फीडर मीटरों के साथ-साथ उपभोक्ता मीटरों के प्रतिस्थापन के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे। इसके अतिरिक्त, वितरण ट्रांसफार्मर्स पर मीटर व्यवस्था के अभाव में एवं दोषपूर्ण फीडर मीटर के प्रतिस्थापन नहीं किए जाने से, डिस्कॉम्स पर्याप्त ऊर्जा लेखांकन हेतु एक मजबूत तंत्र सुनिश्चित किए जाने में विफल रहे थे। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम्स उच्च हानि क्षेत्रों की पहचान करने एवं चोरी इत्यादि के कारण होने वाली हानियों में कमी हेतु उपचारी उपाय सुनिश्चित करने में भी विफल रहे थे।

सरकार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संकेंद्रित भार के अभाव के कारण डीटी मीटरिंग के साथ-साथ दोषपूर्ण घरेलू एवं फीडर मीटरों के प्रतिस्थापन पर डीडीयूजीजेवाई के कार्यक्षेत्र में विचार नहीं किया गया था एवं डिस्कॉम्स ने नियमित आधार पर दोषपूर्ण मीटरों को प्रतिस्थापित किया था।

उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि योजना में दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापित किया जाना परिकल्पित था एवं एमओपी ने भी इस मद में निधियां स्वीकृत की थी। इस प्रकार, डिस्कॉम्स वितरण प्रणाली के सभी स्तरों पर ऊर्जा के निर्बाध लेखांकन एवं लेखापरीक्षा को सुनिश्चित करने में विफल रहे।

ग्रामीण विद्युतीकरण

ग्रामीण विद्युतीकरण में गांवों के विद्युतीकरण के साथ-साथ घरों का विद्युतीकरण सम्मिलित है एवं इसलिए सभी अ-विद्युतीकृत गांवों व घरों तक विद्युत पहुँच उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विद्युत अवसंरचना का विकास सम्मिलित है। गांवों एवं घरों के विद्युतीकरण की स्थिति पर चर्चा नीचे **अनुच्छेद 2.14 एवं 2.15** में की गई है।

38 जयपुर डिस्कॉम-1525, अजमेर डिस्कॉम-964 एवं जोधपुर डिस्कॉम-1137

ग्रामीण विद्युतीकरण

2.14 अक्टूबर 1997 से पूर्व, एक गाँव को विद्युतीकृत के रूप में वर्गीकृत किया जाता था यदि इसके राजस्व क्षेत्र में किसी भी उद्देश्य के लिए विद्युत का उपयोग किया जा रहा हो। अक्टूबर 1997 के पश्चात, एक गांव को विद्युतीकृत माना जाता था, यदि गांव की राजस्व सीमा के भीतर आवासित इलाके में किसी भी उद्देश्य के लिए विद्युत का उपयोग किया जाता हो। इसके पश्चात, एमओपी के कार्यालय ज्ञापन (फरवरी 2004) एवं ग्रामीण विद्युतीकरण नीति (अगस्त 2006) ने निर्दिष्ट किया कि एक गांव को विद्युतीकृत घोषित किया जाएगा, यदि (1) मूल अवसंरचना जैसे वितरण ट्रांसफार्मर एवं वितरण लाइनें आवासित इलाके के साथ-साथ न्यूनतम एक दलित बस्ती गांव, जहां यह अस्तित्व में है; में प्रदान की गई हो (2) सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, पंचायत कार्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों एवं सामुदायिक केंद्रों इत्यादि को विद्युत प्रदान की गई हो एवं (3) विद्युतीकृत गृहों की संख्या गाँव में कुल गृहों की संख्या का कम से कम 10 प्रतिशत होनी चाहिए।

(i) मार्च 2015 तक डिस्कॉम-वार गांवों की कुल संख्या, विद्युतीकृत गांवों, डीडीयूजीजेवाई से पूर्व विद्युतीकृत किए जाने वाले गांव एवं विभिन्न स्कीमों/योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत अविद्युतीकृत गांवों (यूईवी) की संख्या का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका संख्या 2.9

डिस्कॉम-वार गांवों की कुल संख्या, विद्युतीकृत गांवों एवं अविद्युतीकृत गांवों का विवरण

डिस्कॉम	2011 की जनगणना के अनुसार कुल गांव	मार्च 2015 तक विद्युतीकृत गांव	डीडीयूजीजेवाई से पूर्व विद्युतीकृत किए जाने वाले गांव	आरजीजीवीवाई 12वीं योजना के अंतर्गत स्वीकृत यूईवी की संख्या	आरआरईसीएल द्वारा विद्युतीकृत किए जाने वाले यूईवी की संख्या	डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत स्वीकृत यूईवी की संख्या
जयपुर	15145	14710	435	4	77	9
अजमेर	15379	15043	336	41	23	80
जोधपुर	14148	13780	368	194	52	15
कुल	**44672**	**43533**	**1139**	**239**	**152**	**104**

स्रोतः जनगणना आंकड़े, प्रगति प्रतिवेदन एवं डिस्कॉम द्वारा प्रदान की गई सूचना

डिस्कॉम्स के प्रगति प्रतिवेदनों (31 मार्च 2015) के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई से पूर्व 1,139 गांव विद्युतीकृत होने से शेष रहे थे। तथापि, आरईसी को उपलब्ध करवाए गये आंकड़े (अक्टूबर 2015) के अनुसार, राजस्थान में 495 यूईवी थे, जिनमें से 239 यूईवी का विद्युतीकरण पूर्व में ही 12वीं योजना (प्रथम चरण) के अंतर्गत स्वीकृत हुआ था जबकि 152 यूईवी आरआरईसीएल द्वारा विद्युतीकृत किए जाने थे। शेष रहे 104 यूईवी डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत स्वीकृत हुए थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूईवी के आंकड़ों में अंतर होने के कारण, शेष रहे 748 यूईवी (1139-239-152) के समक्ष, तीनों डिस्कॉम्स ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत मात्र 104 यूईवी के विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित किए। साथ ही, 31 मार्च 2020 को तीन डिस्कॉम्स के 709 गांव[39] विद्युतीकरण हेतु लंबित थे। यूईवी के आंकडों का गलत मिलान एवं सभी लंबित यूईवी को सम्मिलित नहीं किए जाने ने दर्शाया कि डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत डिस्कॉम्स द्वारा प्रस्तावित

39 जयपुर डिस्कॉम-371 यूईवी, अजमेर डिस्कॉम-107 यूईवी एवं जोधपुर डिस्कॉम-231 यूईवी।

गांव विद्युतीकरण पर्याप्त सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से समर्थित नहीं था। इस प्रकार, गांव विद्युतीकरण का नियोजन दोषपूर्ण था।

(ii) जैसा कि **तालिका 2.9** में दर्शाया गया है, डिस्कॉम्स ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत डीपीआर में 104 यूईवी का विद्युतीकरण परिकल्पित किया। अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि कुल 104 यूईवी में से, 12 यूईवी (अजमेर-4 एवं जोधपुर-8) पहले से ही विद्युतीकृत थे जबकि 79 यूईवी (जयपुर-9, अजमेर-65 एवं जोधपुर-5) डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संविदाएं प्रदान किए जाने से पूर्व ही सीएलआरसी के तहत विद्युतीकृत करवाए जा चुके थे। इसके अतिरिक्त, 13 यूईवी (जोधपुर-2 एवं अजमेर-11) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के माध्यम से विद्युतीकृत करवाए जा चुके थे। इस प्रकार, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकरण हेतु परिकल्पित सभी 104 यूईवी पूर्व में ही विद्युतीकृत/अन्य माध्यमों से विद्युतीकृत थे जिससे यह इंगित हुआ कि डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विचार किया गया यूईवी का विद्युतीकरण वास्तविक नहीं था।

डिस्कॉम्स के 2015-20 की अवधि हेतु वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनों में भी यह दर्शाया गया कि डीडीयूजीजेवाई के प्रारंभ होने के पश्चात केवल एक यूईवी (अजमेर डिस्कॉम) का विद्युतीकरण (2017-18) हुआ जैसा कि नीचे दिए गये चार्ट में दर्शाया गया हैः

चार्ट संख्या 2.2

2015-16 से 2019-20 के अंत तक गांव विद्युतीकरण की स्थिति

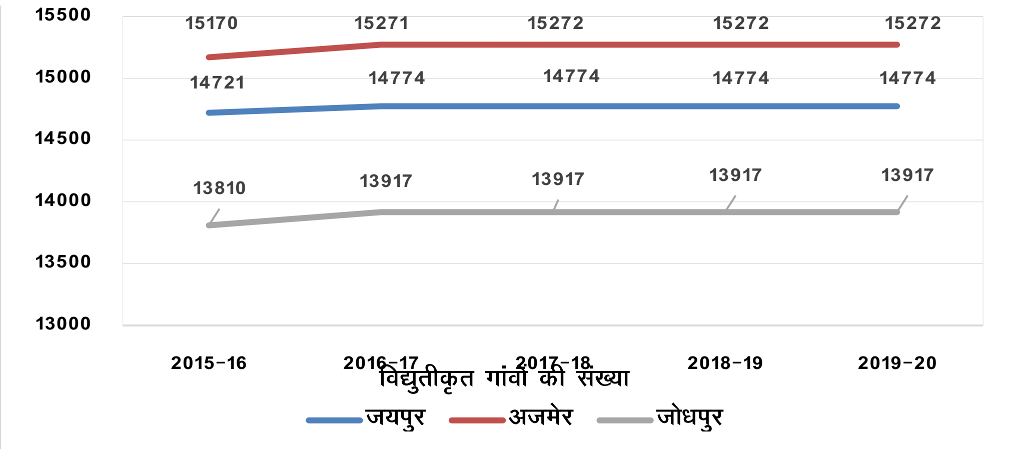

स्रोतः डिस्कॉम्स के प्रगति प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि डिस्कॉम्स ने यूईवी को गलत तरीके से विद्युतीकृत घोषित किया क्योंकि नई परिभाषा के अंतर्गत निर्धारित मापदंड पूर्ण रूप से संपन्न नहीं किए गये थे, जैसा कि **अनुच्छेद 2.15.4** में चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि नौ चयनित जिलों/परियोजनाओं से संबद्ध 3,093 सरकारी विद्यालयों को विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं किए गए थे। इसलिए, नई परिभाषा के अनुसार, इन यूईवी (डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत शामिल एवं विद्युतीकृत घोषित 104 यूईवी सहित) को विद्युतीकृत नहीं माना जाना चाहिए।

सरकार ने कहा कि 709 गांव, आबादी रहित गांव होने के कारण, विद्युतीकृत किए जाने हेतु विचार नहीं किए गये थे। इसने आगे कहा कि डिस्कॉम्स ने सभी यूईवी में सार्वजनिक स्थानों तक आवश्यक ढांचा निर्मित किया था परन्तु यह संस्थान विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु आगे नहीं आए थे।

उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि सार्वजनिक स्थानों के विद्युतीकरण के बिना गाँव को विद्युतीकृत घोषित करना गलत था। साथ ही, ऊर्जा विभाग को, योजना को कार्यान्वित करने वाला नोडल विभाग होने के कारण, यूईवी को विद्युतीकृत घोषित करने से पूर्व अन्य विभागों के साथ समन्वय के माध्यम से विद्युतीकरण के मानदंडों को पूर्ण करना आवश्यक था।

गृहों का विद्युतीकरण

2.15 भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने सभी घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक उपभोक्ताओं को 24 X 7 गुणवत्ता, विश्वसनीय एवं किफायती विद्युत की आपूर्ति एवं एक निश्चित समय-सीमा में कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति के उद्देश्य से 'पावर फॉर ऑल' कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु एक संयुक्त विवरण-पत्र जारी किया (13 दिसंबर 2014)। साथ ही, सभी असंबद्ध गृहों (डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत परिकल्पित ग्रामीण गृहों सहित) को मार्च 2019 तक चरणबद्ध तरीके से विद्युत उपलब्ध करवायी जानी थी।

कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु, डिस्कॉम्स ने एपीएल गृहों को 15 मार्च 2018 एवं 31 मार्च 2018 तक कनेक्शन जारी करने के निर्देश जारी किए (फरवरी 2018) जिन्होने क्रमशः 22 फरवरी 2018 तक एवं 22 फरवरी 2018 के पश्चात मांग पत्र जमा करवा दिये थे। साथ ही, आरजीजीवीवाई (डीडीयूजीजेवाई में समाहित) एवं निष्पादित त्रिपक्षीय करार के उद्देश्यों के अनुसार, बीपीएल को कनेक्शन मुफ्त प्रदान किए जाने थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डिस्कॉम्स ने 20.58 लाख ग्रामीण घरों (12वीं योजना के अंतर्गत 13.36 लाख एवं डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 7.22 लाख) को विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाना परिकल्पित किया, जिसमें से 15.20 लाख विद्युत कनेक्शन (12 वीं योजना के अंतर्गत 9.35 लाख एवं डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 5.89 लाख) मार्च 2021 तक प्रदान किए गए थे।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत जारी कनेक्शन

2.15.1 मार्च 2021 तक अविद्युतीकृत आरएचएच (बीपीएल एवं एपीएल दोनों) को डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत जारी किए गए कनेक्शनों का वर्ष-वार का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका संख्या 2.10

अविद्युतीकृत बीपीएल एवं एपीएल आरएचएच को 31 मार्च 2021 तक जारी किए गए कनेक्शनों का डिस्कॉम-वार विवरण

डिस्कॉम	डीपीआर के अनुसार अविद्युतीकृत आरएचएचस/ विद्युतीकरण लक्ष्य		सितंबर 2017 एवं मार्च 2018 के मध्य जारी किए गए कनेक्शन		मार्च 2019 तक जारी किए गए कनेक्शन		मार्च 2020 तक जारी किए गए कनेक्शन		मार्च 2021 तक जारी किए गए कनेक्शन	
	बीपीएल	एपीएल	बीपीएल	एपीएल	बीपीएल	एपीएल	बीपीएल	एपीएल	बीपीएल	एपीएल
	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
जयपुर	24794	128094	11943	49317	18944	98280	22066	116018	22066	116018
अजमेर	111711	102173	19038	16913	103649	86256	123218	86256	131153	86256
जोधपुर	97705	257883	6270	39128	42174	161332	45910	170168	47087	187258
योग	**234210**	**488150**	**37251**	**105358**	**164767**	**345868**	**191194**	**372442**	**200306**	**389532**
		722360		**142609**		**510635**		**563636**		**589838**

स्त्रोतः डिस्कॉम द्वारा प्रदान की गई डीपीआरस एवं सूचना।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कनेक्शन जारी करने में तीव्रता लाने एवं मार्च 2018 तक सभी तक विद्युत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु, डिस्कॉम्स ने कनेक्शन जारी करने के लिए आवश्यक सामग्री को केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (सीटीएल) में परीक्षण किए जाने की शर्त में शिथिलता दी। तथापि, सभी तीनों डिस्कॉम्स मार्च 2018 तक अविद्युतीकृत गृहों में विद्युत के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे एवं मार्च 2018 तक केवल 19.74 प्रतिशत कनेक्शन (7,22,360 लक्षित कनेक्शन के समक्ष 1,42,609 कनेक्शन) ही जारी किए गए थे। मार्च 2021 तक, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत लक्षित अविद्युतीकृत ग्रामीण गृहों (7,22,360) में से केवल 81.65 प्रतिशत (5,89,838)को ही कनेक्शन प्रदान किया जा सका।

साथ ही, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, डिस्कॉम्स बीपीएल ग्रामीण गृहों को लागत मुक्त कनेक्शन प्रदान करने के लिए उत्तरदायी थे। डिस्कॉम्स से सभी अविद्युतीकृत बीपीएल ग्रामीण गृहों को कनेक्शन प्रदान किए जाने अपेक्षित थे। तथापि, डिस्कॉम्स मार्च 2018 तक केवल 15.90 प्रतिशत बीपीएल ग्रामीण गृहों को ही कनेक्शन प्रदान कर सके। इसके अतिरिक्त, दो डिस्कॉम्स (जयपुर एवं जोधपुर) मार्च 2021 तक बीपीएल परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किए जाने के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके एवं क्रमशः 2,728 (11 प्रतिशत) तथा 50,618 (51.81 प्रतिशत) को कनेक्शन जारी किए जाने का अभाव था। अजमेर डिस्कॉम ने योजना के तहत बीपीएल परिवारों को लक्षित कनेक्शनों की संख्या से 19,442 अधिक कनेक्शन प्रदान किए। इस प्रकार, मार्च 2021 तक केवल 85.52 प्रतिशत बीपीएल ग्रामीण गृहों को कनेक्शन प्रदान किए जा सके।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सीटीएल में सामग्री के परीक्षण की शर्त में शिथिलता प्रदान करने एवं इस प्रकार सामग्री की गुणवत्ता को जोखिम में डालने के पश्चात भी, सभी अविद्युतीकृत उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाने के लक्ष्यों की तुलना में डिस्कॉम्स की उपलब्धि कम थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स ने सीटीएल परीक्षण सहित गुणवत्ता को कम करने वाली किसी भी शर्त में शिथिलता नहीं दी थी। इसने आगे कहा कि जयपुर डिस्कॉम्स में यद्यपि आरएचएच विद्युतीकरण में तीव्रता लाने हेतु सीटीएल परीक्षण में शिथिलता दी थी तथापि इसने सामग्री की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया था क्योंकि प्रेषण पूर्व निरीक्षण के दौरान निर्माता की कार्यशाला में सामग्री का संयुक्त निरीक्षण किया गया था। इसके अतिरिक्त, जयपुर डिस्कॉम्स ने सभी अविवादित, स्वेच्छाचारी एवं पात्र घरों को कनेक्शन जारी किए थे।

उत्तर विश्वसनीय नहीं था क्योंकि जयपुर डिस्कॉम ने निर्धारित समय सीमा के भीतर परिकल्पित कनेक्शन जारी करने की पुष्टि करने वाला कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था। साथ ही, अन्य दो डिस्कॉम्स ने परिकल्पित कनेक्शनों को जारी न करने का उत्तर नहीं दिया था।

बीपीएल/सार्वजनिक संस्थानों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने में डिस्कॉम्स के निष्पादन की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

बीपीएल परिवारों को कनेक्शन जारी करना

2.15.2 आरजीजीवीवाई (डीडीयूजीजेवाई में समाहित) का एक मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान करना था। तदनुसार, 12वीं योजना

(प्रथम चरण) एवं डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत क्रमशः 4.43 लाख[40] बीपीएल परिवारों एवं 2.34 लाख बीपीएल परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाने परिकल्पित थे। तथापि, डिस्कॉम्स इन योजनाओं के अंतर्गत क्रमशः 2.41 लाख[41] बीपीएल परिवारों (दिसम्बर 2019 तक) एवं 2.00 लाख[42] बीपीएल परिवारों (मार्च 2021 तक) को ही विद्युत कनेक्शन प्रदान कर सके।

सरकार ने कहा कि जयपुर डिस्कॉम में सभी अविवादित, स्वच्छाचारी एवं पात्र गृहों को विद्युत कनेक्शन जारी किये गये थे। इसने आगे कहा कि जोधपुर डिस्कॉम ने सौभाग्य एवं डीडीयूजीजेवाई की अंतिम सीमा तिथि यथा 31 मार्च 2019 के पश्चात चिन्हित किए गये अतिरिक्त ग्रामीण गृहों हेतु कनेक्शनों को कवर करने हेतु अतिरिक्त डीपीआर तैयार की।

उत्तर विश्वसनीय नहीं था क्योंकि डिस्कॉम्स सभी बीपीएल घरों को विद्युत प्रदान करने के लिए उत्तरदायी थे जो सुनिश्चित नहीं किया गया था।

कनेक्शन जारी करने में विलंब/कमियां

2.15.3 डिस्कॉम्स के राजस्व नियमावली के अनुसार, विद्युत कनेक्शन, सेवा कनेक्शन आदेश (एससीओ) जारी होने की तिथि से 15 दिवसों के भीतर जारी किया जाना चाहिए। चयनित परियोजनाओं में तीन डिस्कॉम्स द्वारा उपलब्ध करवाए गये कनेक्शन जारी करने से संबंधित आंकड़ों को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका संख्या 2.11

विद्युत कनेक्शन जारी किए जाने में विलम्ब

(आंकड़े: संख्या में)

विवरण	जयपुर	अजमेर	जोधपुर
1 अप्रैल 2017 के पश्चात जारी कनेक्शन	18528	36830	32710
निर्धारित समयसीमा के भीतर जारी कनेक्शन	3678	36830	32709
निर्धारित समयसीमा के पश्चाक जारी कनेक्शन	14580	0	1
• एक वर्ष तक का विलम्ब	14050	0	1
• एक से तीन वर्षों तक का विलम्ब	489	0	0
• तीन से पाँच वर्षों तक का विलम्ब	27	0	0
• पाँच वर्षो से अधिक क विलम्ब	14	0	0

स्रोत: डिस्कॉम्स द्वारा प्रदान की गई सूचना।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जयपुर डिस्कॉम ने 14050 कनेक्शन एक वर्ष तक के विलम्ब से जारी किए जबकि 530 कनेक्शनों को जारी किए जाने में अत्यधिक यथा एक वर्ष से पाँच वर्षों तक का विलम्ब था। साथ ही, लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाए गये आंकड़ों के अनुसार, अजमेर डिस्कॉम एवं जोधपुर डिस्कॉम (एक प्रकरण के अलावा) में सभी प्रकरणों में एससीओ जारी किए जाने एवं कनेक्शन जारी किए जाने की तिथि समान ही पायी गई थी। इसने इंगित किया कि इन दो डिस्कॉम्स द्वारा उपलब्ध करवाए गये आंकड़ें विश्वसनीय नहीं थे।

40 जयपुर डिस्कॉम-1.35 लाख, अजमेर डिस्कॉम-1.49 लाख एवं जोधपुर डिस्कॉम-1.59 लाख।

41 जयपुर डिस्कॉम-52,206, अजमेर डिस्कॉम-1,12,012 एवं जोधपुर डिस्कॉम-76,924।

42 जयपुर डिस्कॉम-22,066, अजमेर डिस्कॉम-1,31,153 एवं जोधपुर डिस्कॉम-47,087।

कनेक्शन जारी किए जाने से संबंधित आंकड़ो के आगे के विश्लेषण से उजागर हुआ कि 4,804 उपभोक्ताओं[43] को विद्युत कनेक्शन, जिसमें एससीओ मार्च 2017 से पूर्व, अर्थात कार्यों को प्रदान करने से पूर्व, जारी किये गये थे, के दावे डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत किए गये थे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि एससीओ जारी किए जाने के स्थान पर फीडर-वार कनेक्शन जारी किए जाने के निर्देशों, आरओडब्ल्यू समस्याओं, डीटी के स्थान के संबंध में लाभार्थियों के मध्य विवाद इत्यादि के कारण कनेक्शन जारी करने में विलंब हुए थे।

सार्वजनिक संस्थानों के विद्युतीकरण की सीमा

2.15.4 गांव विद्युतीकरण की नई परिभाषा में निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अतिरिक्त, एक गांव को विद्युतीकृत घोषित किया जाएगा यदि सार्वजनिक स्थानों जैसे कि विद्यालयों, पंचायत कार्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों एवं सामुदायिक केंद्रों इत्यादि पर विद्युत प्रदान की जाती है। आरईसी ने भी डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत गांव विद्युतीकरण के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में इन सार्वजनिक संस्थानों को विद्युत अवसंरचना के विस्तार करने पर जोर दिया (12 मई 2017)। साथ ही, राजस्थान सरकार ने डिस्कॉम्स से अविद्युतीकृत विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कनेक्शन प्रदान करने का अनुरोध किया (15 जून 2017)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरईसी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के राज्य सरकार को पत्र, जिसमें यह कहा गया था कि राजस्थान राज्य में 45576 विद्यालय विद्युत आपूर्ति कनेक्शन के बिना चल रहे थे, की प्रति अग्रेषित की (मई 2017)। आरईसी ने राज्य सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में अविद्युतिकृत विद्यालयों के आंकड़ों का मिलान करने एवं इन विद्यालयों के लिए विद्युत अवसंरचना प्रदान किए जाने की सूचना निर्धारित प्रारूप में प्रदान करने के लिए कहा। प्रत्युत्तर में राज्य सरकार ने सूचित किया (मई 2017) कि ग्रामीण क्षेत्रों के 30191 विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन नहीं है। तत्पश्चात, एमओपी, भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को गाँवों के सभी विद्यालयों में विद्युतीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया (जुलाई 2019) क्योंकि उन्होंने सभी गाँवों को 100 प्रतिशत विद्युतीकृत किए जाने की घोषणा की थी। साथ ही, यह भी सलाह दी गई थी कि सरकारी विद्यालयों हेतु कम टैरिफ श्रेणी पर विचार करें जिससे उनकी संचालन लागत कम होगी एवं उन्हें विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित किया जाए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स द्वारा तैयार की गई डीपीआर में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों को कनेक्शन प्रदान किए जाने हेतु आवश्यक विद्युत अवसंरचना का प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार/डिस्कॉम्स ने न तो सरकारी विद्यालयों के लिए कम टैरिफ के लिए कार्यवाही शुरू की एवं न ही ग्रामीण क्षेत्रों के सभी स्कूलों में विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित किये। साथ ही, भारत सरकार ने राज्य द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर राजस्थान राज्य को 100 प्रतिशत विद्युतीकृत घोषित किया (अप्रैल 2018)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य/डिस्कॉम्स द्वारा प्रदान की गई सूचना गलत थी क्योंकि 100 प्रतिशत विद्युतीकृत घोषित करने हेतु सभी परिकल्पित मानदण्ड पूर्ण नहीं किए गए थे। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 10,320 विद्यालयों को विद्युत कनेक्शन

---

43 जयपुर डिस्कॉम-3,215, अजमेर डिस्कॉम-137 एवं जोधपुर डिस्कॉम-1,452।

प्रदान नहीं किये जा सके थे (नवंबर 2020)। अन्य सार्वजनिक स्थलों जैसे कि पंचायत कार्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों एवं सामुदायिक केंद्रों इत्यादि के विद्युतीकरण संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं थी।

इस प्रकार डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन के पश्चात भी, डिस्कॉम्स राज्य में 100 प्रतिशत गांव विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे।

सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों का विद्युतीकरण नहीं होने के तथ्य को स्वीकार किया। इसने आगे कहा कि यद्यपि सभी यूईवी में सार्वजनिक स्थानों तक आवश्यक आधारभूत अवसंरचना का निर्माण किया गया था, तथापि आवेदन प्राप्त होने एवं मांग जमा करने के पश्चात कनेक्शन जारी किए गए थे।

उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि निर्धारित मानदंडों को पूर्ण किए बिना गांव को विद्युतीकृत घोषित करना गलत था।

विद्युत आपूर्ति का निष्पादन

2.16 डीडीयूजीजेवाई का एक मुख्य उद्देश्य गैर-कृषि उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति एवं कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति प्रदान करना था। विद्युत की विश्वसनीय आपूर्ति हेतु, अधिकतम मांग को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता होनी चाहिए; विद्युत का उपभोग कुशलतापूर्वक किया जाना चाहिए; एवं टीएंडडी प्रणाली को अत्यधिक विद्युत कटौती का सामना नहीं करना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विद्युत मांग, विद्युत मांग की पूर्ति, अधिकतम मांग एवं अधिकतम मांग की पूर्ति की स्थिति को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका संख्या 2.12

2016-20 के दौरान विद्युत मांग एवं अधिकतम मांग की कमी का विवरण

(आंकड़े मिलियन इकाईयों में)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
विद्युत मांग	67638	71194	79815	81281
विद्युत मांग की पूर्ति	67415	70603	79626	81222
कमी	**223**	**591**	**189**	**59**
अधिकतम मांग	10613	11722	13276	14277
अधिकतम मांग की पूर्ति	10348	11564	13276	14277
कमी	**265**	**158**	**0**	**0**

स्रोतः सीईए आंकड़े

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए गत चार वर्षों के दौरान राज्य में विद्युत की आवश्यकता एवं विद्युत की उपलब्धता के मध्य का अंतर नगण्य था। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान अधिकतम मांग एवं अधिकतम मांग पूर्ति के मध्य का अंतर केवल 2.50 प्रतिशत तथा 1.35 प्रतिशत के मध्य था, जबकि 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान, राज्य अधिकतम मांग को 100 प्रतिशत पूर्ण करने में सक्षम था।

बिलिंग चक्र

2.17 राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने अपने टैरिफ आदेश 2017 में अधिदेश किया कि डिस्कॉम्स को बिलिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन हेतु कदम उठाने चाहिए, जिससे कि कम से कम 1 अप्रैल 2018 से सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए मासिक आधार पर बिलिंग की जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जयपुर डिस्कॉम्स ने घरेलू उपभोक्ताओं को, जयपुर परियोजना के अलावा जहाँ बिल जनवरी 2019 से मासिक आधार पर जारी किए जा रहे हैं, अप्रैल 2019 तक द्विमासिक[44] आधार पर विद्युत बिल जारी किए। साथ ही, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स ने क्रमशः दो परियोजनाओं एवं एक परियोजना में मासिक बिलिंग विलंब से शुरू की (दिसंबर 2020)। जबकि शेष परियोजनाओं में उन्होंने मासिक बिलिंग शुरू नहीं की थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स आरईआरसी के आदेश के क्रियान्वयन में तत्पर नहीं थे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि मासिक बिलिंग केवल अजमेर शहर वृत्त में ही की जा रही है।

इस प्रकार तथ्य यही रहा कि अजमेर डिस्कॉम (अजमेर शहर वृत्त के अलावा) एवं जोधपुर डिस्कॉम ने आरईआरसी के निर्देशों का पालन नहीं किया था।

बीपीएल की विद्युत बिल भुगतान क्षमता

2.18 डिस्कॉम्स के राजस्व नियमावली के वाक्यांश-21 में प्रावधान है कि प्रथम बिल कनेक्शन जारी होने की तिथि से तीन माह से अधिक विलंबित नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीनों डिस्कॉम्स के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत बिल नियमित आधार पर जारी नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे प्रकरणों में, लाभार्थियों को लगता है कि वे समस्त राशि का भुगतान एक मुश्त नहीं कर सकते हैं एवं इसलिए कभी-कभी अत्यधिक संचित बकाया एवं यहां तक कि संबंध-विच्छेद का भय रहता है। लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, गलत बिलिंग के प्रकरण भी पाये गए थे, जिसकी चर्चा **अनुच्छेद 6.7** में की गई है।

(अ) प्रथम बिल जारी किए जाने में विलंब

सभी तीनों डिस्कॉम्स की नौ चयनित परियोजनाओं में 99,342 लाभार्थियों के बिलिंग आंकड़ों (वित्तीय वर्ष 2019-20) के विश्लेषण से उजागर हुआ कि 8,940 लाभार्थियों[45] को प्रथम बिल जारी किए जाने में एक दिवस से 1,289 दिवसों के मध्य का अत्यधिक विलंब था। बिलिंग आंकड़े (वित्तीय वर्ष 2019-20) भी अपूर्ण पाए गये थे क्योंकि इसमें चयनित परियोजनाओं के 6,920 लाभार्थियों के अभिलेख दर्ज नहीं थे।

---

44 द्विमासिक से आशय 'प्रत्येक दो माह में एक बार' से है।

45 जयपुर डिस्कॉम-1,234 (1 से 632 दिवस), अजमेर डिस्कॉम-5,722 (1 से 1,289 दिवस) एवं जोधपुर डिस्कॉम-1,984 (1 से 1,016 दिवस)।

(ब) बीपीएल लाभार्थियों को बिल

डिस्कॉम्स के एमआईएस अभिलेखों (मार्च 2020 से नवंबर 2020) के विश्लेषण से उजागर हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बीपीएल उपभोक्ताओं को विद्युत उपभोग बिल जारी करने में कमी थी। जयपुर डिस्कॉम में, 18.35 प्रतिशत से 20.60 प्रतिशत के मध्य नियमित बीपीएल ग्रामीण उपभोक्ताओं को विद्युत बिल जारी नहीं किए गए थे। अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स के एमआईएस ने विपरीत स्थिति दर्शायी अर्थात जारी किए गए विद्युत बिलों की संख्या नियमित बीपीएल ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या से अधिक थी, जो इंगित करता है कि एमआईएस या तो गलत थी अथवा माह के दौरान जारी किए गए पूरक बिल भी जारी किए गए बिलों के आंकड़ों में शामिल थे।

एमआईएस के विश्लेषण से आगे उजागर हुआ कि डिस्कॉम्स के ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल श्रेणी में स्थायी रूप से संबंध-विच्छेद किए गए उपभोक्ता (पीडीसी) में वृद्धि का दौर था। जयपुर डिस्कॉम में, ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल पीडीसी मार्च 2020 में 1,00,176 से बढ़कर नवंबर 2020 में 1,09,270 हो गये। इसी प्रकार अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम में, इसी अवधि में यह क्रमशः 1,19,908 से बढ़कर 1,21,536 एवं 56,448 से बढ़कर 57,069 पीडीसी हो गये। चयनित परियोजनाओं में लाभार्थियों के आगे के विश्लेषण से उजागर हुआ कि 31 मार्च 2020 को 2,047 लाभार्थियों के विद्युत कनेक्शन संबंध-विच्छेद कर दिए गए थे। इन 2,047 लाभार्थियों में से 919 लाभार्थी पीडीसी में परिवर्तित हो गए थे। बीपीएल पीडीसी की संख्या में निरंतर वृद्धि इंगित करती है कि बीपीएल उपभोक्ता विद्युत बिलों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं थे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण, बीपीएल लाभार्थी विद्युत बिलों का भुगतान करने में विफल रहे जिसके कारण पीडीसी में वृद्धि हुई।

भुगतान में चूक की सीमा

2.19 तीन डिस्कॉम्स द्वारा विद्युत के विक्रय के पेटे व्यापार प्राप्तियों के विश्लेषण से उजागर हुआ कि विद्युत के विक्रय हेतु व्यापार प्राप्तियों के साथ-साथ पीडीसी के विरूद्ध बकाया राशि में वृद्धि का दौर था। डिस्कॉम्स-वार व्यापार प्राप्तियों एवं पीडीसी के विरूद्ध बकाया राशि की स्थिति नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाई गई है:

चार्ट संख्या 2.3

विद्युत के विक्रय के लिए देय राशि एवं पीडीसी के विरूद्ध देय राशि की डिस्कॉम-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

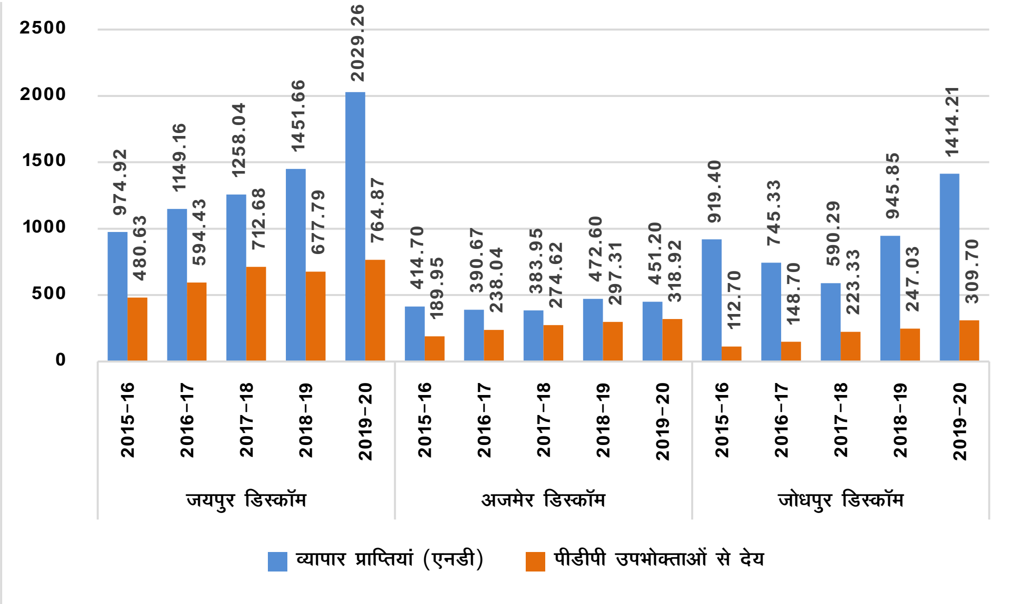

यह देखा जा सकता है कि जयपुर डिस्कॉम में 2018-19 के अलावा विद्युत के विक्रय के समक्ष व्यापार प्राप्तियों में नियमित उपभोक्ताओं के साथ-साथ पीडीसी में निरंतर वृद्धि हुई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि डिस्कॉम्स ने श्रेणी-वार नियमित उपभोक्ताओं एवं पीडीसी के विरूद्ध बकाया देय राशियों का विवरण नहीं रखा था। ऐसे आंकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा पीडीसी के विरूद्ध बकाया देय की आवधिकता ज्ञात नहीं कर सका। लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स पीडीसी से अपने देय राशि की वसूली में तत्पर नहीं थे जो कि पीडीसी के विरूद्ध देय राशि में निरंतर वृद्धि से स्पष्ट है।

सरकार ने कहा कि डिस्कॉम्स नियमित एवं पीडीसी देयता के बकाया का विवरण श्रेणीवार संधारित करते हैं एवं उत्तर के समर्थन में नमूना दस्तावेज प्रस्तुत किए।

उत्तर विश्वसनीय नहीं था क्योंकि प्रस्तुत किए गये दस्तावेजों में भी पीडीसी से बकाया देयता के श्रेणीवार विवरण नहीं थे। साथ ही, उत्तर पीडीसी से बकाया देयता में निरंतर वृद्धि के मुद्दे पर मौन था।

एकीकृत तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां

2.20 पारेषण व वितरण (टीएंडडी) हानियां विद्युत, जो कि उत्पादित की गई लेकिन अभीष्ट उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंची, को दर्शाती है। टीएंडडी हानियां तकनीकी अक्षमता (यथा तारों एवं उपकरणों की प्रतिरोधक क्षमता के कारण उत्पन्न विद्युत की हानि) एवं चोरी का परिणाम हैं। साथ ही, एकीकृत तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों की अवधारणा, इसे मापने के संदर्भ में हानि की स्थिति की वास्तविक तस्वीर दर्शाती है। यह विद्युत हानि (तकनीकी हानि + चोरी +बिलिंग में अक्षमता) एवं वाणिज्यिक हानि (भुगतान में चूक + संग्रहण में अक्षमता) का संयोजन है। एटीएंडसी हानि को सूत्र यथा {1-(बिलिंग दक्षता X संग्रहण दक्षता)} X 100 का प्रयोग कर मापा जाता है।

योजना का एक प्रमुख उद्देश्य राज्यों के परामर्श से ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रक्षेपवक्र (डिस्कॉम्स-वार) के अनुसार एटीएंडसी हानियों को कम करना था। एमओपी द्वारा निर्धारित एटीएंडसी हानियों को कम करने के लक्ष्यों के समक्ष वास्तविक उपलब्धि को नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका संख्या 2.13

एटीएंडसी हानियों को कम करने के लिए अनुमोदित प्रक्षेपवक्र का विवरण

(आंकड़े प्रतिशत में)

डिस्कॉम	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
जयपुर	22.50	35.74	20.50	29.84	19.00	25.22	17.50	25.66	16.00	27.61
अजमेर	18.50	27.81	17.50	25.18	16.50	22.94	15.50	23.31	14.50	21.99
जोधपुर	19.22	29.64	17.30	26.16	16.00	23.37	15.00	35.04	14.50	37.99
राजस्थान	**20.00**	**31.33**	**18.50**	**27.34**	**17.25**	**23.99**	**16.00**	**28.15**	**15.00**	**29.65**

स्रोतः डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देश एवं डिस्कॉम्स के वार्षिक प्रतिवेदन।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि डिस्कॉम्स डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अनुमोदित प्रक्षेपवक्र की सीमाओं के भीतर एटीएंडसी हानियों को सीमित नहीं कर सके।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत फीडर पृथक्करण, प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं मीटरिंग पर पूंजी निवेश ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त एवं विश्वसनीय विद्युत प्रदान करने एवं अधिक दक्षता के साथ विद्युत वितरण के परिणामस्वरूप हानियां कम करने के उद्देश्य से किया गया था। 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत आगत, डिस्कॉम्स द्वारा विक्रय की गई एवं वसूल की गई विद्युत का विवरण नीचे चार्ट में दिखाया गया है:

चार्ट संख्या 2.4

2017-18 से 2019-20 के दौरान डिस्कॉम्स वार आगत विद्युत के समक्ष विक्रय की गई एवं वसूल की गई विद्युत

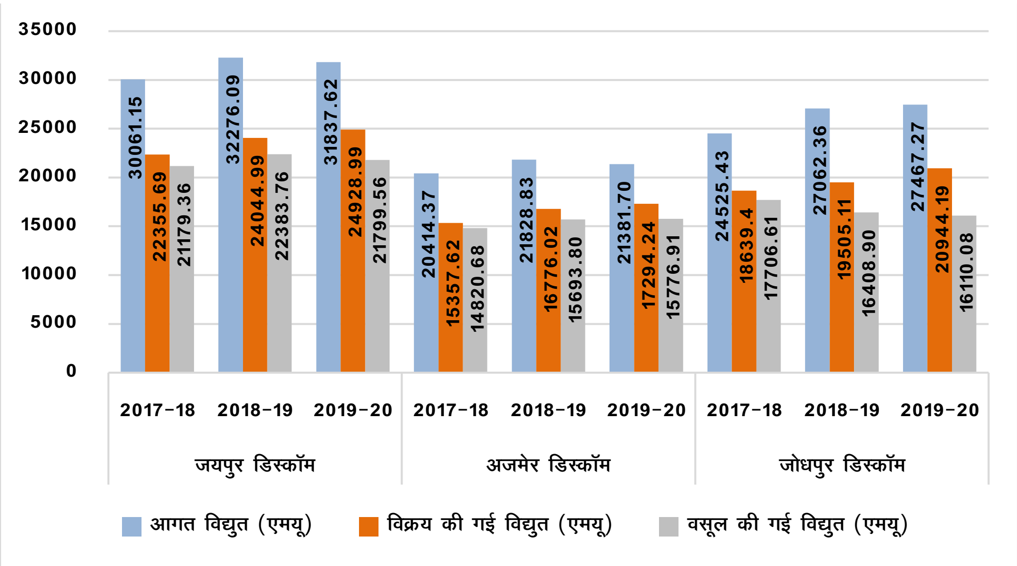

स्रोतः डिस्कॉम्स के वार्षिक लेखे

2017-20 की अवधि के दौरान, जोधपुर डिस्कॉम में आगत विद्युत की वसूली प्रतिशतता में 72.20 प्रतिशत से 58.65 प्रतिशत की अत्यधिक कमी आई एवं जयपुर डिस्कॉम में यह 70.45

प्रतिशत से कम होकर 68.47 प्रतिशत हो गई। अजमेर डिस्कॉम में, आगत विद्युत की वसूली प्रतिशतता में 72.60 प्रतिशत से 73.79 प्रतिशत का मामूली सुधार हुआ।

चार्ट संख्या 2.5

2017-18 से 2018-19 के दौरान डिस्कॉम्स वार एटीएंडसी हानियां

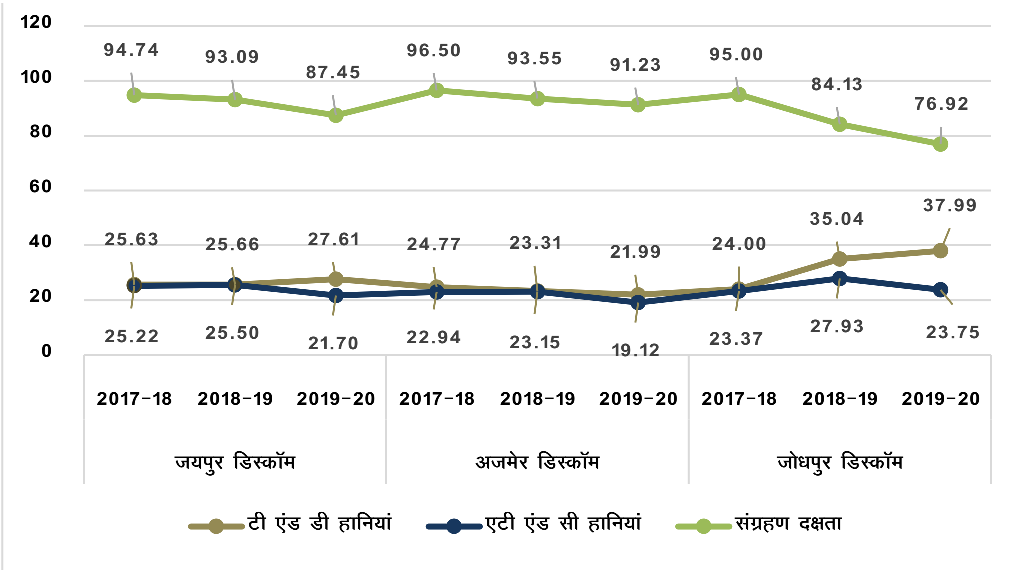

स्रोतः डिस्कॉम्स के वार्षिक लेखे

उपरोक्त ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि सभी तीनों डिस्कॉम्स की संग्रहण दक्षता में गिरावट की प्रवृत्ति थी जबकि इस अवधि के दौरान जयपुर एवं जोधपुर डिस्कॉम की एटीएंडसी हानियों में वृद्धि की प्रवृत्ति थीं। लेखापरीक्षा ने देखा कि तीनों डिस्कॉम्स में से कोई भी एटीएंडसी हानियों को कम किए जाने के लक्ष्यों, जो कि एमओपी द्वारा संबंधित डिस्कॉम्स के परामर्श से अंतिम रूप दिए गये थे, को प्राप्त नहीं कर सका। यह भी देखा गया था कि डिस्कॉम्स ने समीक्षा, योजना एवं निगरानी (आरपीएम) समिति को एटीएंडसी हानियों यथा वित्तीय वर्ष 2016 में 30.40 प्रतिशत की एटीएंडसी हानियों को वित्तीय वर्ष 2019 में 21.30 तक कम किए जाने के गलत आंकड़ें प्रस्तुत (जनवरी 2020) किये थे। लक्ष्यों की उपलब्धि नहीं होने के प्रमुख कारण संग्रहण दक्षता में गिरावट की प्रवृत्ति एवं विद्युत की चोरी थे।

सरकार ने कहा कि जयपुर डिस्कॉम में एटीएंडसी हानियों में गिरावट की प्रवृत्ति थी तथापि डीडीयूजीजेवाई हानि प्रक्षेपवक्र से अभी भी अंतर है। साथ ही, जयपुर डिस्कॉम द्वारा राज्य सरकार से टैरिफ सब्सिडी प्राप्त किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसने आगे कहा कि 31 मार्च 2021 को अजमेर डिस्काम के एटीएंडसी हानियों में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत परिकल्पित 14.25 प्रतिशत के समक्ष 13.73 प्रतिशत की कमी हुई है।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत था क्योंकि अजमेर डिस्कॉम के वित्तीय विवरणों मे वर्ष 2020-21 हेतु दर्शाई गई एटीएंडसी हानियां 21.60 प्रतिशत थी।

निष्कर्ष

परियोजना निर्माण

- डिस्कॉम्स ने एनएडी तैयार नहीं किए थे। परिणामस्वरूप, वह फीडर पृथक्करण की आवश्यकता एवं उप-पारेषण व वितरण तंत्र में गंभीर रिक्तियों की पहचान करने में विफल रहे।
- डिस्कॉम्स ने परियोजनाएं डीपीआर को तैयार किए जाने से पूर्व विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण नहीं किए थे जिसके कारण निष्पादित कार्यों की परिकल्पित/अनुमोदित मात्रा में व्यापक विचलन हुआ।
- डिस्कॉम्स अपने जीएसएस/बिलिंग कार्यालयों एवं अन्य परिसरों को ऑप्टिकल फाइबर तंत्र से जोड़ने से वंचित रहे थे क्योंकि डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत परिकल्पित होने के उपरांत भी डीपीआर तैयार नहीं की गई थी।

परियोजना क्रियान्वयन

- परियोजनाओं को प्रदान करने एवं निष्पादित किए जाने में अत्यधिक विलंब हुआ था।
- बहुत पहले वर्ष 2008 में फीडर पृथक्करण का कार्य प्रारंभ करने एवं XI व XII योजना में तथा डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अत्यधिक व्यय किए जाने के उपरांत भी, कृषि एवं गैर कृषि फीडर के पृथक्करण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं आवर्धन का कार्य निर्दिष्ट मानदंडों का पालन किए बिना किया गया था।
- डिस्कॉम्स ने डिस्कॉम्स समन्वय संगोष्ठी (डीसीएफ) द्वारा निर्धारित विविधता कारक के अनुसार डीटी स्थापित किए जाने की पालना नहीं की थी एवं आवश्यकता के आधिक्य में ट्रांसफार्मर क्षमता के पेटे ₹ 53.15 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।
- डिस्कॉम्स ऊर्जा के उचित लेखांकन के लिए तंत्र बनाने में विफल रहे क्योंकि डीटी पर मीटरिंग एवं फीडरों पर दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन को सुनिश्चित नहीं किया गया था।
- निर्धारित मानक/मानदंडों की पूर्ति सुनिश्चित किए बिना गांव 100 प्रतिशत विद्युतीकृत घोषित किए गये थे।
- बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं में पीडीसी की बढ़ती हुई प्रवृत्ति थी।
- डिस्कॉम्स मार्च 2019 तक 'पावर फॉल ऑल' के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ अनुमोदित प्रक्षेपवक्र के अनुसार एटीएंडसी हानियों में कमी करने में विफल रहे थे।

सिफारिशें

डिस्कॉम्स

- प्रणाली सुदृढ़ीकरण आवश्यकताओं की पहचान करने हेतु तंत्र विकसित करें।
- विधिवत अद्यतन प्रणाली सुदृढ़ीकरण आवश्यकताओं के आधार पर रणनीतिक एवं परिचालन योजना तैयार करें।
- लाभार्थियों की पहचान करने हेतु योजना विशिष्ठ डीपीआर तैयार किए जाने से पूर्व विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिए एक तंत्र विकसित करें जिससे कि लाभ नियत एवं लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे।
- परियोजनाओं को प्रदान किए जाने एवं निष्पादित किए जाने में विलंब को टालने हेतु एक प्रणाली विकसित करें।
- नियत लाभ प्राप्त करने हेतु योजना के अंतर्गत परिकल्पित कार्यो को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक स्तर पर मीटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित कर उचित ऊर्जा लेखांकन हेतु एक तंत्र का निर्माण करें।
- लक्षित दृष्टिकोण के साथ चोरी की रोकथाम हेतु ऊर्जा लेखापरीक्षा पर ध्यान केंद्रित कर एटीएंडसी हानियों को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।

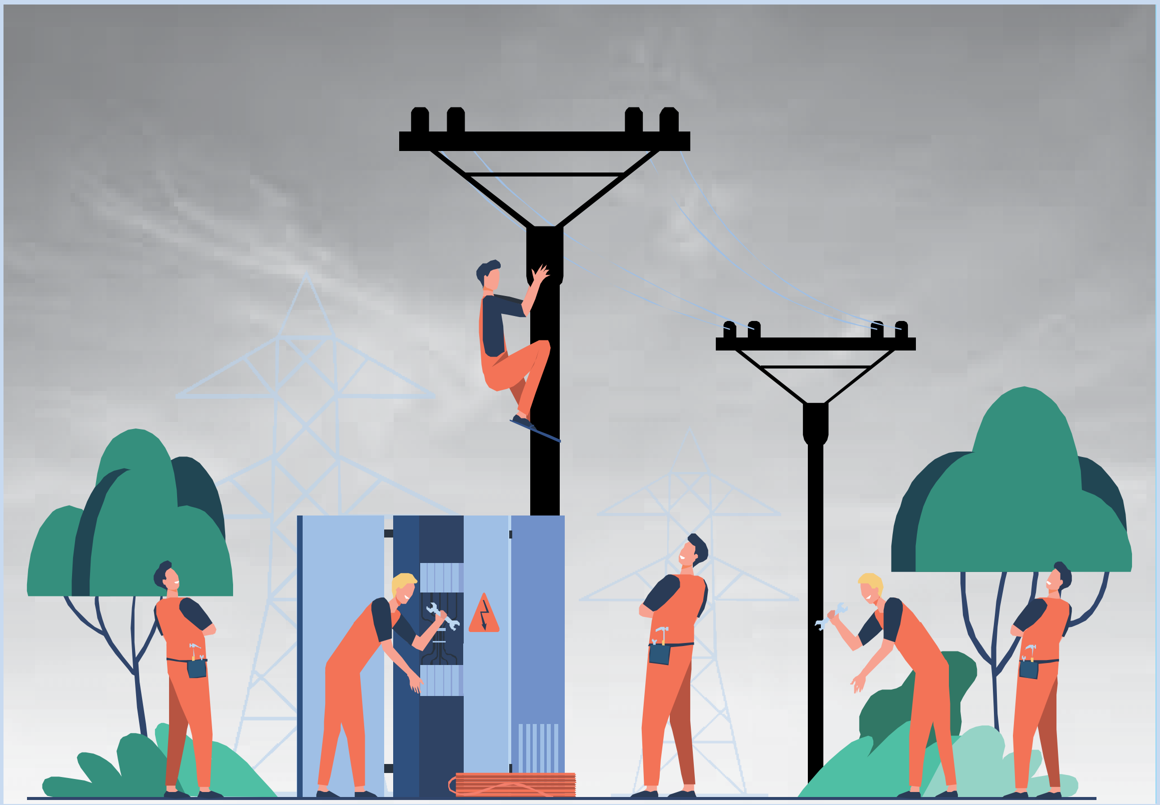

अध्याय–III

संविदा प्रबंधन

अध्याय III

संविदा प्रबंधन

3.1 संविदा प्रबंधन संविदाओं के निर्माण से लेकर उनके निष्पादन तक के प्रबंधन की प्रक्रिया है। इसमें उपयुक्त उपापन पद्धति का चयन, निविदाओं का आमंत्रण एवं अंतिम रूप देना एवं निर्धारित उपापन प्रक्रियाओं, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संविदाओं का प्रदान किया जाना, निविदा प्रक्रिया में वित्तीय औचित्य एवं समयबद्धता सुनिश्चित करना सम्मिलित है।

डीडीयूजीजेवाई ने डिस्कॉम्स स्तर पर योजना के कार्यान्वयन हेतु टर्नकी आधार पर परियोजना कार्यों को प्रदान करने के लिए उपक्रम-वार परियोजना निगरानी एजेंसी (पीएमए) की नियुक्ति एवं निष्पादन एजेंसियों/ठेकेदारों की नियुक्ति को निर्धारित किया। डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन के लिए, तीन डिस्कॉम्स ने, ₹ 14.03 करोड़ (कुल स्वीकृत लागत का 0.50 प्रतिशत) के प्रावधान के विरूद्ध ₹ 18.99 करोड़ की कुल लागत पर पीएमए (परियोजना निर्माण सहित) में परिभाषित कार्यों को निष्पादित करने के लिए चार एजेंसियों (छह संविदाएं) की नियुक्ति की।

साथ ही, संयुक्त स्वीकृत परियोजना लागत ₹ 2805.38 करोड़ (पीएमए शुल्क को छोड़कर) की 33 परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु डिस्कॉम्स ने ₹ 2427.00 करोड़ (निशुल्क निर्गम मद के रूप प्रदान किए गए मीटरों की लागत एवं सब-स्टेशनों पर सीएलआरसी के अंतर्गत किए गए निर्माण कार्यों की लागत, जिसकी गणना ₹ 244.11 करोड़ की गई, को छोड़कर) के 47 टर्नकी ठेके प्रदान किए ।

संविदा प्रबंधन में पायी गई कमियों की चर्चा इस अध्याय में की गई है।

उपापन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधान

3.2 डिस्कॉम्स द्वारा अपनाई जाने वाली उपापन प्रक्रिया निश्चित वैधानिक प्रावधानों के अधीन नियंत्रित होती है। प्रमुख प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान निम्नानुसार हैः

अ. ***आरटीपीपी अधिनियम, 2012/आरटीपीपी नियम, 2013 के प्रावधान***

3.3 राजस्थान सरकार ने राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता (आरटीपीपी) अधिनियम - 2012 अधिनियमित किया (मई 2012) एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने, बोलीदाताओं के निष्पक्ष एवं न्यायसंगत व्यवहार, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, दक्षता एवं मितव्ययिता बढ़ाने तथा उपापन प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा को सुनिश्चत करने के उद्देश्यों के साथ लोक उपापन को विनियमित करने के लिए आरटीपीपी अधिनियम -2012 एवं आरटीपीपी नियम- 2013 अधिसूचित (जनवरी 2013) किये। आरटीपीपी अधिनियम/नियम उनकी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी हुए एवं अधिनियम/नियमों के प्रावधान राज्य सरकार के स्वामित्व/नियंत्रित सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू थे। आरटीपीपी अधिनियम, 2012/आरटीपीपी नियम, 2013 के कुछ प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार हैंः

उपापन की पद्धति

- **धारा 28 में प्रावधान है कि एक उपापन करने वाली संस्था 10 पद्धतियों[46] में से किसी के भी माध्यम से उपापन की विषय वस्तु (अर्थात वस्तुएं, सेवाएं एवं कार्यो) का उपापन कर सकती है।**

एकल स्त्रोत उपापन

- **धारा 31 में प्रावधान है कि एक उपापन करने वाली संस्था एकल स्त्रोत उपापन पद्धति से उपापन की विषय वस्तु के उपापन का चयन इस धारा मे वर्णित[47] निर्धारित परिस्थितियों में कर सकती है। साथ ही, नियम 17 में प्रावधान है कि एक उपापन करने वाली संस्था इस पद्धति से विषय वस्तु का उपापन कर सकती है यदि सलाहकार या वृत्तिक सेवाओं की, अधिकतम बारह माह की अवधि एवं प्रत्येक मामले में ₹ 12 लाख की वित्तीय सीमा तक, आवश्यकता है; या उपापन की विषय वस्तु राजस्थान सरकार/भारत सरकार द्वारा प्रशासित हो।**

ब. *केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देश*

3.4 सीवीसी सरकारी विभागों/संगठनों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित) की गतिविधियों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए समय-समय पर दिशानिर्देश जारी करता है। कुछ प्रासंगिक दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं:

नामांकन के आधार पर कार्य प्रदान किया जाना

- **"नामांकन के आधार पर प्रदान किए गए कार्यो/क्रय/परामर्श संविदाओं में पारदर्शिता" पर सीवीसी के परिपत्र (9 मई 2006) मे प्रावधान है कि खुली निविदा, निविदा की सर्वाधिक अधिमानित पद्धति है एवं नामांकन के आधार पर निविदा मात्र अपरिहार्य परिस्थितियों में ही प्रदान की जानी चाहिए। सीवीसी ने एक कार्यालय आदेश के माध्यम से दोहराया (5 जुलाई 2007) कि निविदा प्रक्रिया या सार्वजनिक नीलामी किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा संविदा प्रदान करने की एक मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि कोई अन्य विधि, विशेषकर नामांकन के आधार पर, संविदा प्रदान करना, समानता के अधिकार की गारंटी देने वाले संविधान के अनुच्छेद 14, जिसके अनुसार सभी इच्छुक पक्षों को समानता का अधिकार है, का उल्लंघन होगा।**

इसके अतिरिक्त, उपापन क्रय नियमावली, निर्माण नियमावली एवं डिस्कॉम्स द्वारा समय-समय पर जारी अन्य परिपत्रों/आदेशों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

46 (क) खुली प्रतियोगी बोली; (ख) सीमित बोली; (ग) द्वि-स्तरीय बोली; (घ) एकल स्त्रोत उपापन; (ङ) इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम; (च) कोटेशनों के लिए अनुरोध (छ) मौके पर क्रय (ज) प्रतियोगी बातचीत (झ) दर संविदा; (ञ) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपापन के सिद्धान्तों का समाधान करने वाला और जिसको राज्य सरकार लोकहित में आवश्यक समझे, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उपापन की कोई भी अन्य पद्धति।

47 विषय वस्तु के संबंध में विशेष अधिकार रखने वाला एक विशिष्ट संभावित बोलीदाता; अचानक अप्रत्याशित घटना के कारण, कोई अति महत्वपूर्ण आवश्यकता विद्यमान हो; मानकीकरण के लिए अतिरिक्त आपूर्ति/सेवाओं का उपापन; वर्तमान संविदा का विस्तार; राष्ट्रीय सुरक्षा हित; कलात्मक विषय वस्तु; गोपनीय विषय वस्तु आदि।

परियोजनाओं के निर्माण एवं निगरानी के लिए एजेंसियों की नियुक्ति

3.5 डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों के अध्याय-II (परियोजना निर्माण एवं कार्यान्वयन) के वाक्यांश 11 में प्रावधान है कि परियोजना का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने व परियोजना प्रबंधन में उनकी सहायता के लिए उपक्रम-वार/डिस्कॉम-वार एक उपयुक्त परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) को प्राथमिकता से नियुक्त किया जाएगा। योजना के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार पीएमए पर किए गए व्यय के पेटे 100 प्रतिशत अनुदान अर्थात कार्यों की लागत का 0.50 प्रतिशत तक प्रदान करेगी। पीएमए की नियुक्ति पर स्वीकृत परियोजना लागत के 0.50 प्रतिशत से अधिक लागत, यदि कोई हो, को डिस्कॉम्स को स्वयं के संसाधनों से वहन करना होगा। इसमें आगे यह प्रावधान किया कि डिस्कॉम अपनी नीति/दिशानिर्देशों के अनुसार सीपीएसयू से या खुली बोली के माध्यम से किसी भी पीएमए का चयन कर सकता है। डीडीयूजीजेवाई के दिशानिर्देशों की निरंतरता में, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने अन्य दिशानिर्देश अर्थात डीडीयूजीजेवाई हेतु परियोजना प्रबंधन एजेंसी के लिए दिशानिर्देश (पीएमए दिशानिर्देश) जारी किए (जनवरी 2017)। पीएमए दिशानिर्देशों ने परियोजना निर्माण, बोली प्रक्रिया के संचालन व डीडीयूजीजेवाई की भौतिक व वित्तीय प्रगति की निगरानी मे डिस्कॉम्स की सहायता के लिए एक उपयुक्त पीएमए की नियुक्ति की आवश्यकता को दोहराया। पीएमए द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य मे परिभाषित गतिविधियों में वैकल्पिक गतिविधि यथा परियोजना निर्माण कार्य (एनएडी एवं डीपीआर तैयार करना) एवं अनिवार्य गतिविधियां यथा बोली प्रक्रिया की निगरानी एवं समन्वय, परियोजना नियोजन एवं कार्यान्वयन, गुणवत्ता निगरानी, एमआईएस एवं वेब पोर्टल का अद्यतनीकरण एवं नोडल एजेंसी/एमओपी आदि के साथ समन्वय सम्मिलित था।

डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देश जारी करने के पश्चात, जयपुर डिस्कॉम ने डीपीआर तैयार करने एवं परियोजना प्रबंधन कार्य हेतु नामांकन आधार पर एक एजेंसी नियुक्त करने के प्रयास प्रारम्भ किए (दिसंबर 2014)। तत्पश्चात, जयपुर डिस्कॉम ने अपनी परियोजनाओं के लिए एक पृथक पीएमए नियुक्त करने का निर्णय लिया (फरवरी 2015) एवं तदनुसार, इसने नामांकन के आधार पर एक एजेंसी को मात्र डीपीआर बनाने तक का सीमित कार्य करने के लिए नियुक्त किया। जोधपुर डिस्कॉम ने भी नियुक्तियों के लिए जयपुर डिस्कॉम द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि का अनुसरण करने का निर्णय लिया (मार्च 2015)। तदनुसार, जयपुर डिस्कॉम तथा जोधपुर डिस्कॉम ने डीपीआर तैयार करने के लिए वेपकोस लिमिटेड को नामित किया (मार्च 2015)।

अजमेर डिस्कॉम द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि अन्य दो डिस्कॉम्स से कुछ भिन्न थी क्योंकि इसने डीपीआर स्वयं तैयार की थी। तत्पश्चात, तीनों डिस्कॉम्स में से प्रत्येक ने दो पीएमए अर्थात (i) समस्त अनिवार्य गतिविधियों (क्षेत्र स्तर पर गुणवत्ता आश्वासन एवं निरीक्षण के अतिरिक्त) हेतु मुख्यलाय स्तर पर पीएमए एवं (ii) क्षेत्र स्तर पर गुणवत्ता आश्वासन एवं निरीक्षण के लिए वृत्त स्तर पीएमए नियुक्त किए (अगस्त 2015 एवं मई 2017)।

डिस्कॉम्स द्वारा डीडीयूजीजेवाई परियोजनाओं के निर्माण व निगरानी के लिए नियुक्त एजेंसियों एवं प्रदान किए गये कार्यादेशों व उन पर पीएमए हेतु आवंटित निधियों से अधिक व्यय को नीचे दर्शाया गया हैः

तालिका संख्या 3.1

पीएमए एवं अन्य सेवाओं के लिए एजेंसी की नियुक्ति (जनवरी 2021)

उद्देश्य (एजेंसी का नाम)	जयपुर डिस्कॉम		अजमेर डिस्कॉम		जोधपुर डिस्कॉम	
	कार्यादेश का मूल्य	वास्तविक व्यय	कार्यादेश का मूल्य	वास्तविक व्यय	कार्यादेश का मूल्य	वास्तविक व्यय
डीपीआर निर्माण (वेपकोस) *(₹ करोड़ में)*	3.53	2.94	-	-	3.27	3.26
मुख्यालय स्तर पीएमए (डेलोइट टौच तोहमात्सु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)[48] *(₹ करोड़ में)*	1.05	1. 36	1.04	1.79	1.09	1.61
वृत्त स्तर पीएमए (जयपुर डिस्कॉम के लिए एफआईपीएल एवं अजमेर व जोधपुर डिस्कॉम के लिए एमटीसीपीएल) *(₹ करोड़ में)*	2.70	2.63	3.15	3.04	3.16	4.25
कुल *(₹ करोड़ में)*	**7.28**	**6.93**	**4.19**	**4.83**	**7.52**	**9.12**
परियोजनाओं की स्वीकृत लागत *(₹ करोड़ में)*	1027.08		829.35		948.95	
स्वीकृत परियोजना लागत में पीएमए/सलाहकार लागत की प्रतिशतता	0.71	0.67	0.51	0.58	0.79	0.96
योजना के प्रावधान से अधिक पीएमए/सलाहकार लागत की प्रतिशतता	0.21	0.17	0.01	0.08	0.29	0.46

लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों मे प्रत्येक उपक्रम हेतु एक पीएमए की नियुक्ति का प्रावधान था तथापि तीनों डिस्कॉम्स में से प्रत्येक ने अपनी परियोजनाओं की निगरानी हेतु मुख्यालय स्तर व वृत्त स्तर पर पृथक पीएमए नियुक्त किए। साथ ही, जयपुर डिस्कॉम एवं जोधपुर डिस्कॉम के मामले में, पीएमए (डीपीआर निर्माण की लागत सहित) की कार्यादेश लागत के साथ-साथ वास्तविक लागत भी, पीएमए हेतु भारत सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्य राशि से सारभूत रूप से अधिक थी। परिणामस्वरूप, इन दोनों डिस्कॉम्स ने जनवरी 2021 तक अपने स्वयं की निधियों से क्रमशः ₹ 1.79 करोड़[49] एवं ₹ 4.37 करोड़[50] व्यय किए। चूंकि समापन प्रक्रिया अभी भी प्रगति पर है, योजना के समापन तक पीएमए व्यय का भार और बढ़ेगा।

सरकार ने पीएमए प्रभारों के संबंध में तथ्यों को स्वीकार किया। तथापि, उत्तर पृथक एजेंसियों की नियुक्ति के मुद्दे पर मौन था।

साथ ही, परियोजना निर्माण ऐजेंसी/पीएमए की नियुक्तियों मे पायी गई कमियों की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है:

48 प्रदान किए गये एवं वास्तविक व्यय के अलग-अलग मूल्यों की उपलब्धता के अभाव में, आनुपातिक मूल्य स्वीकृत परियोजना लागत के आधार पर प्राप्त किए गए हैं।

49 ₹ 6.93 करोड़ - ₹ 5.14 करोड़ (यथा ₹ 1027.08 करोड़ का 0.5 प्रतिशत)

50 ₹ 9.12 करोड़ - ₹ 4.75 करोड़ (यथा ₹ 948.95 करोड़ का 0.5 प्रतिशत)

आरटीपीपी अधिनियम/नियमों के उल्लंघन में वेपकोस का नामांकन

3.6 जयपुर डिस्कॉम ने डीपीआर तैयार करने हेतु आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) नामक एक सीपीएसयू चिन्हित की (दिसंबर 2014) एवं इससे डीडीयूजीजेवाई के तहत सर्वेक्षण एवं डीपीआर तैयार करने के कार्य के साथ-साथ परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं हेतु प्रस्ताव मांगा। मोलभाव एवं कार्यक्षेत्र में संशोधन के पश्चात, आरईसीपीडीसीएल ने अनुमोदित परियोजना लागत का 0.75 प्रतिशत (सर्वेक्षण कार्य जीपीएस का उपयोग किए बिना) एवं 0.95 प्रतिशत (सर्वेक्षण कार्य हेतु जीपीएस का उपयोग) दर पर कार्य को निष्पादित करने का प्रस्ताव दिया (17 फरवरी 2015)। तत्पश्चात, जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण विद्युतीकरण) ने वेपकोस लिमिटेड (वेपकोस) नामक एक अन्य सीपीएसयू से भी प्रस्ताव मांगे (18 फरवरी 2015)। वेपकोस ने अनुमोदित परियोजना लागत का 0.39 प्रतिशत (सर्वेक्षण कार्य जीपीएस का उपयोग किए बिना) एवं 0.41 प्रतिशत (सर्वेक्षण कार्य हेतु जीपीएस का उपयोग) की दर से कार्य निष्पादन का प्रस्ताव दिया (19 फरवरी 2015)। प्रकरण निगम स्तरीय क्रय समिति (सीएलपीसी) के समक्ष रखा गया (23 फरवरी 2015)। सीएलपीसी ने वेपकोस द्वारा प्रस्तावित दरों को अधिक मानते हुए इसके प्रतिनिधि को बैठक में ही बुलाया एवं स्वीकृत परियोजना लागत का 0.30 प्रतिशत दर पर (जीपीएस उपयोग करते हुए सर्वेक्षण) कार्य प्रदान किए जाने का प्रति प्रस्ताव दिया, जिसे वेपकोस ने स्वीकार कर लिया था। तदनुसार, कंपनी ने वेपकोस को सहमत दर पर कार्यादेश प्रदान किया (4 मार्च 2015)।

इसी प्रकार, जोधपुर डिस्कॉम आरटीपीपी अधिनियम/नियमों के अधीन निर्धारित उपापन पद्धतियों में से किसी एक पद्धति को अपनाए बिना, जयपुर डिस्कॉम द्वारा वेपकोस से डीपीआर तैयार व सर्वेक्षण की सेवाओं के उपापन मे अपनाई गई कार्यप्रणाली एवं अंतिम रूप दी गई दरों पर निर्भर रहा। तदनुसार, जोधपुर डिस्कॉम की सीएलपीसी ने भी जयपुर डिस्कॉम द्वारा अपनाई गई दर एवं नियम व शर्तों पर वेपकोस के पक्ष में सर्वेक्षण तथा डीपीआर तैयार किए जाने का कार्यादेश प्रदान किया (मार्च 2015)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण विद्युतीकरण) ने सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही यादृच्छिक आधार पर वेपकोस का चयन किया। साथ ही, दो डिस्कॉम्स (जयपुर एवं जोधपुर) ने विचलन के कारणों को अभिलिखित किए बिना आरटीपीपी अधिनियम की धारा 28 में वर्णित उपापन प्रक्रिया प्रावधानों की अवहेलना की एवं सीवीसी के दिशा-निर्देशों को अनदेखा किया। अतः ये डिस्कॉम्स सर्वेक्षण एवं डीपीआर तैयार किए जाने हेतु सेवाओं के उपापन में पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नहीं कर सके।

सरकार ने कहा कि जयपुर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स ने जीएफआर 2005 के नियम 176 के अनुसार वेपकोस को एक सीपीएसयू होने के नाते एकल स्रोत चयन के माध्यम से नामित किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योकि जीएफआर 2005 का नियम 176 एकल स्रोत उपापन की अनुमति कुछ विशेष परिस्थितियों मे ही, अभिलिखित औचित्य के साथ देता है, जो नहीं किया गया था। साथ ही, आरटीपीपी अधिनियम के लागू नियम 17 (1) एकल स्रोत उपापन के माध्यम से सलाहकार की सेवाएं लेने हेतु मात्र ₹12 लाख तक की सीमा तक अनुमति देता है जबकि वेपकोस को लिए जाने की जयपुर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स की लागत क्रमशः ₹ 3.53 करोड़ एवं ₹ 3.27 करोड़ थी। योजना के दिशानिर्देश भी सीपीएसयू की नियुक्ति की अनुमति संबंधित उपक्रम की

उपापन नीति/दिशानिर्देशों को अपनाकर ही देते हैं। अतः सीपीएसयू की नियुक्ति हेतु आरटीपीपी अधिनियम की धारा 28 के तहत निर्धारित पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिए।

डीडीयूजीजेवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु टर्नकी संविदा प्रदान करना

3.7 डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों के अध्याय-II (परियोजना निर्माण एवं कार्यान्वयन) के वाक्यांश 8 (कार्यान्वयन का तरीका) में प्रावधान है कि परियोजनाओं को टर्न-की आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा। संबंधित उपक्रमों द्वारा टर्नकी संविदा को ई-निविदा के माध्यम से निर्धारित उपापन नीति, मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) एवं नोडल एजेंसी द्वारा पृथक रूप से जारी की गई तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार प्रदान किया जाएगा। परियोजनाओं को निगरानी समिति द्वारा अनुमोदन की सूचना की दिनांक के छह माह के अंदर प्रदान किया जाना है।

एसबीडी/परियोजना अनुमोदन को अंतिम रूप दिए बिना निविदा आमंत्रण

3.8 डीडीयूजीजेवाई की प्रारंभ होने के पश्चात, आरईसी ने पूर्ण टर्नकी परियोजनाओं के लिए एक एसबीडी जारी की (जून 2015)। इसके पश्चात, उर्जा मंत्रालय ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत उच्च कीमत वाली उप-प्रसारण व वितरण सामग्री जुटाने की नूतन पहल की (अगस्त 2015)। तदनुसार, आरईसी ने आंशिक टर्नकी निष्पादन हेतु संशोधित एसबीडी जारी की (अप्रैल 2016)। इसी बीच जयपुर डिस्कॉम ने उसकी परियोजनाओं को प्रदान किए जाने हेतु निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की (नवम्बर 2015)। संशोधित एसबीडी जारी किए जाने के पश्चात, डिस्कॉम्स ने आंशिक टर्नकी आधार आपूर्ति एवं कार्य निष्पादन हेतु पुनः निविदा आमंत्रित की (मई 2016) तथा निशुल्क निर्गम मदों[51] का अपने स्तर पर उपापन करने हेतु विशिष्टताओं का सामूहिक रूप से निर्णय लिया (अप्रैल/मई 2016)। यह भी ठेके प्रदान किए जाने की प्रक्रिया में एमओपी द्वारा किए गये बदलाव के कारण क्रियान्वित नहीं हो सकी। बाद में, आरईसी ने डीडीयूजीजेवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पूर्ण टर्नकी संविदाओं को जारी करने हेतु अनुमोदन दिया (26 जुलाई 2016) एवं डीडीयूजीजेवाई वेब पोर्टल पर एसबीडी को अपलोड किया (अगस्त 2016)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स द्वारा निविदा प्रणाली (पूर्ण टर्नकी/आंशिक टर्नकी), तकनीकी विशिष्टताएं एवं एसबीडी को अंतिम रूप दिए बिना निविदा प्रक्रिया आरंभ किए जाने से किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई थी। साथ ही, जयपुर डिस्कॉम ने एमसी द्वारा परियोजना-वार घटक-वार डीपीआर के अनुमोदन (दिसम्बर 2015) से पूर्व ही निविदाएं आमंत्रित कीं (नवम्बर 2015)। परिणामस्वरूप, डिस्कॉम्स निविदाओं को रद्द करने एवं एक नयी निविदा प्रक्रिया पुनः आरंभ करने के लिए बाध्य थे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया।

---

51 टर्नकी संविदाओं में, डिस्कॉम्स प्रावधान रखते हैं जिसके अनुसार कुछ उच्च कीमत वाली मदें यथा वितरण ट्रांसफार्मर्स, मीटर इत्यादि की व्यवस्था डिस्कॉम्स द्वारा की जाती है एवं स्थापना हेतु टर्नकी ठेकेदारों को प्रदान की जाती हैं। चूंकि ऐसी मदों की ठेकेदारों के लिए कोई लागत नहीं होती, इन मदों को निशुल्क निर्गम मदों के रूप में जाना जाता है।

बीओडी निर्देशों का सक्षम अनुमोदन/अनुपालन सुनिश्चित किए बिना अनुचित दर पर ठेके प्रदान करना

3.9 जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम ने क्रमशः दौसा (टीएन-361) एवं राजसमंद (टीएन-35) परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बोलीयां आमंत्रित की (अगस्त 2016)। प्रचलित बीएसआर दरों के आधार पर अनुमानित लागत क्रमशः ₹ 51.34 करोड़ एवं ₹ 55.92 करोड़ रखी गई थी। एकल बोलीदाताओं (अर्थात स्वास्तिका इलेक्ट्रिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एवं वैष्णो एसोसिएट्स विद्युत प्रोजेक्टस का एक संयुक्त उद्यम एवं मैसर्स नाओलिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड) की तकनीकी-वाणिज्यिक बोली क्रमशः सितम्बर 2016 एवं अक्टूबर 2016 में खोली गई थी। बोली को उत्तरदायी मानते हुए, एकल बोलीदाताओं की वित्तीय बोली अक्टूबर 2016 एवं नवंबर 2016 में खोली गई थी। दोनो प्रकरणों में उद्धृत मूल्य (₹ 74.45 करोड़ एवं ₹ 77.67 करोड़) उच्चतर पाए गये थे एवं इसलिए संबंधित डिस्कॉम की सीएलपीसी ने क्रमशः ₹ 63.73 करोड़ ₹ 51.00 करोड़ के प्रति प्रस्ताव दिए (नवम्बर 2016 एवं दिसम्बर 2016)। प्रति प्रस्ताव दरें क्रमशः शुद्ध बीएसआर मूल्य[52] (₹ 51.34 करोड़) से 24.13 प्रतिशत एवं शुद्ध बीएसआर मूल्य (₹ 36.25 करोड़) से 40.69 प्रतिशत उच्च थी। एकल बोलीदाताओं ने प्रस्तावित मूल्य को स्वीकार किया (नवम्बर 2016 एवं दिसम्बर 2016) एवं तदनुसार इन एकल बोलीदाताओं के पक्ष में एलओआई जारी किए गये थे (दिसम्बर 2016 एवं जनवरी 2017)।

इसी प्रकार, कुल 13 पश्चातवर्ती निविदाओं (चरण-II) में से सात निविदाओं में, जहाँ एकल बोलीदाता ने भाग लिया था, जयपुर डिस्कॉम की सीएलपीसी द्वारा प्रति प्रस्तावित किए गये मूल्य संबंधित बोलीदाताओं द्वारा स्वीकार कर लिए गये थे।

डिस्कॉम्स ने राजसमंद एवं दौसा परियोजना की एलओआई जारी किए जाने के पश्चात मामले, सात पश्चातवर्ती निविदाओं के साथ, संबंधित निदेशक मंडल के समक्ष उनकी कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए (फरवरी 2017)। निदेशक मंडल ने, अनुमोदन किए जाने के बजाए, यह अभिव्यक्त किया कि दरों में और कटौती किए जाने की संभावना है एवं सीएलपीसी को दरों की तर्कसंगतता को पुनः सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसने आगे दरों को मोलभाव/प्रति प्रस्ताव माध्यम से कम किए जाने एवं दरों के तब भी अनुचित रहने की स्थिति में निविदाओं को पुनः आमंत्रित करने का निर्देश दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अजमेर डिस्कॉम ने, निदेशक मंडल के निर्देश प्राप्त होने पर, राजसमंद परियोजना के एल1 बोलीदाता को दर का प्रति प्रस्ताव दिया। प्रति प्रस्ताव दर, जिस दर पर एलओआई जारी की गई थी, से 6.84 प्रतिशत कम थी। प्रति प्रस्तावित दर बोलीदाता द्वारा स्वीकार की गई थी। साथ ही, जयपुर डिस्कॉम की सीएलपीसी ने, इस तथ्य के उपरांत भी कि निदेशक मंडल के निर्देश सभी आठों प्रकरणों (यथा दौसा एवं पश्चातवर्ती निविदा में एकल बोली वाले सात प्रकरण) में समान रूप से लागू थे, दरों की तर्कसंगतता का पुनः आंकलन केवल सात प्रकरणों (दौसा के अलावा) में ही किया एवं तदनुसार उन सात मामलों में बोलीदाताओं के साथ पुनर्मूल्यांकन में इस प्रकार कम की गई उन कम दरों के लिए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाया। दरों की तर्कसंगतता के पुनर्मूल्यांकन एवं इन सात प्रकरणों में कम की गई दरों पर प्रति प्रस्ताव

52 डिस्कॉम द्वारा शुद्ध बीएसआर मूल्य की गणना गैल्वनाइजेशन तथा लेवल-II ट्रांसफार्मर की आपूर्ति लागत एवं निर्माण भाग पर सेवा कर का प्रभाव देकर की गई है।

दिए जाने के परिणामस्वरूप मूल्य 9.12 प्रतिशत तक कम होने के साथ ₹ 26.81 करोड़ की बचत हुई थी क्योंकि प्रति प्रस्तावित दरें संबंधित बोलीदाताओं के द्वारा स्वीकार की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा किः

(i) राजसमंद एवं दौसा प्रकरण में, संबंधित डिस्कॉम ने अगले उच्च प्राधिकारी (संबंधित डिस्कॉम के निदेशक मंडल) का अनिवार्य अनुमोदन, जैसा कि एकल बोली प्राप्त होने के प्रकरण में आरटीपीपी अधिनियम/नियमों के तहत आवश्यक है, प्राप्त नहीं किया था।

(ii) चूंकि निदेशक मंडल ने दौसा परियोजना हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान नहीं की थी एवं इसके समक्ष रखे गये सभी प्रकरणों में समान निर्देश पारित किए थे, जयपुर डिस्कॉम की सीएलपीसी को दौसा परियोजना हेतु भी दर की तर्कसंगतता का पुर्नआंकलन किया जाना आवश्यक था। तथापि, इसने निदेशक मंडल के निर्देशों को अनदेखा/गलत अर्थ लगाया क्योंकि ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि निदेशक मंडल द्वारा निर्णय की संपुष्टि के अधीन एकल प्रतिभागी बोलीदाता के पक्ष में एलओआई जारी किए गये थे। इसने आगे कहा कि निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार अजमेर डिस्कॉम द्वारा राजसमंद परियोजना हेतु पुनः बातचीत की गई थी, तथापि जयपुर डिस्कॉम द्वारा दौसा परियोजना हेतु पुनः बातचीत नहीं की गई थी क्योंकि सीएलपीसी द्वारा मोलभाव किए जाने के पश्चात दो अन्य संविदाएं उसी दर पर प्रदान की गई थी। साथ ही, दौसा परियोजना हेतु निदेशक मंडल द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति पूर्व में ही प्रदान (9 फरवरी 2017) कर दी गई थी।

उत्तर, तथापि, सक्षम प्राधिकारी/ बीओडी की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना एलओआई जारी करने के संबंध मौन है । इस प्रकार तथ्य रहता है कि डिस्कॉम्स ने उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप अंततः बोलीदाताओं के साथ पुनः बातचीत करनी पड़ी। साथ ही, उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत था क्योंकि निदेशक मंडल ने दौसा परियोजना हेतु कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान नहीं किया था। इसके स्थान पर इसने इसके समक्ष प्रस्तुत सभी आठ प्रकरणों में दरों की तर्कसंगतता को पुनः निर्धारित करने का आदेश दिया जो कि दौसा परियोजना में सुनिश्चित नही किया गया था।

टर्नकी ठेकों को प्रदान एवं निष्पादन में कमियां

एमएंडपी बॉक्स की स्थापना पर ₹ 1.18 करोड़ का निष्फल व्यय

3.10 डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं कि वितरण प्रणाली में सभी स्तरों पर ऊर्जा के निर्बाध लेखा एवं लेखापरीक्षा को सुनिश्चित करने हेतु उप-स्टेशनों, फीडरों, वितरण ट्रांसफार्मर्स एवं उपभोक्ताओं के मीटरों की स्थापना महत्वपूर्ण है। साथ ही, डीडीयूजीजेवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निविदाओं के आमंत्रण के लिए डिस्कॉम्स द्वारा अपनाए गए मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के वाक्यांश 19 एवं गारंटीकृत तकनीकी मापदंड (जीटीपी) में निर्धारित किया गया था कि 25 केवीए एवं 40 केवीए के तीन फेज वितरण ट्रांसफार्मर्स, मीटर

एवं संरक्षण (एमएंडपी) बॉक्स[53] सहित जिसमें मीटर लगाने का प्रावधान हो, स्थापित किए जाने थे।

जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन हेतु प्रदान किए गये सभी 30 टर्नकी कार्य (टीडबल्यू) संविदाओं (23 परियोजनाएं) में अन्य बातों के साथ 2,745 डीटी (जयपुरः 1,421 डीटी[54] एवं अजमेरः 1,324 डीटी[55]) एमएंडपी बॉक्स सहित की स्थापना का प्रावधान था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अपनी सभी परियोजनाएं स्थापित किए जाने वाले डीटी पर मीटरिंग का प्रावधान किये बिना तैयार एवं कार्यान्वित की। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम्स ने विद्यमान डीटी/नवस्थापित डीटी पर मीटर स्थापित किए जाने हेतु किसी अन्य योजना का गठन नहीं किया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स ने अनुमोदित एसबीडी एवं जीटीपी का पालन नहीं किया था जोकि न केवल डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन था अपितु ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा सुनिश्चित नहीं किए जाने का कारण भी बना।

चूंकि जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स ने डीटी मीटरिंग का प्रावधान नहीं रखा था, जैसा कि **अनुच्छेद 2.13.7** में वर्णित है, इसलिए डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत स्थापित किए गये डीटी पर एमएंडपी बॉक्स स्थापित किए जाने का कोई उपयोग नहीं था। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि प्रदान की गई मात्रा के समक्ष, जयपुर डिस्कॉम द्वारा जनवरी 2021 तक कुल 1,040 डीटी (25 केवीए/40 केवीए) स्थापित किए गए थे, जिनमें से 727 डीटी एमएंडपी बॉक्स के साथ ₹ 0.84 करोड़[56] व्यय कर स्थापित किए गए थे एवं शेष 313 डीटी एमएंडपी बॉक्स के बिना स्थापित किए गए थे, जिसके लिए चालू बिलों मे से कटौती कर ली गई थी। अजमेर डिस्कॉम में दिसम्बर 2020 तक 298 डीटी (25 केवीए/40 केवीए) स्थापित किए गये थे। इन 298 डीटी में से किसी में भी एमएंडपी बॉक्स नहीं था, तथापि, अजमेर डिस्कॉम ने बिना एमएंडपी बॉक्स के डीटी की आपूर्ति के पेटे ₹ 0.34 करोड़[57] की कटौती नहीं की थी। जबकि जोधपुर डिस्कॉम में कोई तीन फेज डीटी सम्मिलित नहीं था अतः एमएंडपी बॉक्स के प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी।

इस प्रकार, जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स ने इन एमएंडपी बॉक्स की स्थापना पर ₹ 1.18 करोड़ का निष्फल व्यय किया, क्योंकि जयपुर डिस्कॉम में स्थापित किए गये एमएंडपी बॉक्स अनुपयोगी रहे जबकि अजमेर डिस्कॉम ने ठेकेदारों के चालू बिलों मे से एमएंडपी बॉक्स की लागत की वसूली नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, अजमेर डिस्कॉम ने एमएंडपी बॉक्स की आपूर्ति सुनिश्चित किए

53 जीटीपी के अनुसार, एमएण्डपी बॉक्स एक बाह्य प्रकार का कैबिनेट है एवं जिसकी आपूर्ति एक 'ट्रिपल पोल मोलडेड केस सर्किट ब्रेकर' (एमसीसीबी) सहित, ऊर्जा मीटर एवं मॉडेम को फिक्स करने के लिए की जानी है।

54 25 केवीए के 107 एवं 40 केवीए तीन फेज क्षमता वाले 1,314

55 25 केवीए के 1,111 एवं 40 केवीए तीन फेज क्षमता वाले 213

56 कार्य संविदा में एमएंडपी बॉक्स की दर अलग से निर्धारित नहीं है; इसलिए जयपुर डिस्कॉम के 727 डीटी हेतु व्यय की गणना जयपुर डिस्कॉम के पास उपलब्ध एमएंडपी बॉक्स की मानक निर्गम दर (अर्थात ₹11,151 प्रति एमएंडपी बॉक्स) के आधार पर की गई है।

57 298 एमएंडपी बॉक्स X ₹ 11,511

बिना भुगतान जारी किए जाने के उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की थी।

सरकार ने कहा कि एमएंडपी बॉक्स पर होने वाले व्यय को निष्फल नहीं माना जा सकता है क्योंकि भविष्य में ऊर्जा लेखांकन एवं ऊर्जा चोरी की रोकथाम के उद्देश्य से इनकी आवश्यकता होगी। साथ ही, जयपुर डिस्कॉम ने डीटी के साथ एमएंडपी बॉक्स उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित ठेकेदारों से ₹0.40 करोड़ की वसूली की थी। इसने आगे कहा कि अजमेर डिस्कॉम में प्रकरण की जाँच करवायी जायेगी एवं डीटी के साथ एमएंडपी बॉक्स उपलब्ध नहीं करवाने हेतु आवश्यक कटौती की जाएगी।

उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि डीटी के साथ एमएंडपी बॉक्स के उपापन से कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा क्योंकि डिस्कॉम ने डीटी पर मीटरिंग के लिए कोई योजना तैयार नहीं की थी। इसलिए, इस मद पर किया गया व्यय निष्फल था। ठेकेदारों से वसूली के साथ-साथ वितरण ट्रांसफार्मर्स के साथ एमएंडपी बॉक्स की आपूर्ति सुनिश्चित किए बिना भुगतान जारी किए जाने हेतु उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रकरण, तथापि, अजमेर डिस्कॉम में लंबित था (जून 2022)।

कॉपर वाउण्ड डीटी के मूल्य विचलन को अनियमित रूप से जारी करना

3.11 आरईसी ने अंतिम एसबीडी इस शर्त के साथ जारी किया (अगस्त 2016) कि डिस्कॉम्स राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) के अनुमोदन से एसबीडी/विशिष्टताओं को संशोधित कर सकते हैं। एसएलएससी ने एसबीडी में डिस्कॉम्स द्वारा प्रस्तावित रूपांतरणों/संशोधनों को अनुमोदित किया (14 जुलाई 2016)। खण्ड I (संविदा की सामान्य शर्तें) की धारा IV में प्रावधान था कि संविदा मूल्य संविदा समझौते में निर्दिष्ट होगा एवं यह संविदा समझौते के परिशिष्ट 2 (मूल्य समायोजन) के प्रावधानों के अनुसार समायोजन के अधीन होगा। परिशिष्ट 2 के अनुसार, मूल्य समायोजन केवल विशिष्ट रूप से निर्धारित उपकरणों/सामग्री/मदों[58] हेतु ही अनुमत्य किया जाना था। यह निर्दिष्ट सूत्र के अनुसार किया जाना था एवं अन्य सभी उपकरणों/सामग्रियों/मदों की कीमतों को स्थिर रहना था क्योंकि कोई मूल्य समायोजन लागू नहीं होने थे। डिस्कॉम्स ने संशोधित एसबीडी के आधार पर निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की (अगस्त 2016) एवं सभी परियोजनाओं के लिए संविदाएं प्रदान की (नवंबर 2016 एवं मई 2017 के मध्य) जिसमें एसबीडी (एसबीडी के परिशिष्ट -2 सहित) सभी प्रकरणों में कार्यादेशों/संविदाओं का भाग था।

अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि तीन डिस्कॉम्स ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत सितंबर 2020 तक ₹ 425.14 करोड़ मूल्य के 68114 सिंगल फेज कॉपर वाउण्ड डीटी का उपापन किया, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

58 एसीएसआर कंडक्टर, पावर ट्रांसफार्मर (कॉपर वाउण्ड), वितरण ट्रांसफार्मर (एल्युमिनियम वाउण्ड), केबल्स, स्टील स्ट्रक्चर एवं आंतरिक/बाह्य स्विचगियर्स (सर्किट ब्रेकर, आरएमयू, सेक्शनलाइज़र एवं आइसोलेटर सहित)।

तालिका संख्या 3.2

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत क्रय किए गए सिंगल फेज कॉपर वाउण्ड वितरण ट्रांसफार्मर की स्थिति

डीटी की क्षमता	जयपुर डिस्कॉम		अजमेर डिस्कॉम		जोधपुर डिस्कॉम	
	मात्रा (संख्या में)	मूल्य (₹ करोड़ में)	मात्रा (संख्या में)	मूल्य (₹ करोड़ में)	मात्रा (संख्या में)	मूल्य (₹ करोड़ में)
5 केवीए	0	0.00	6787	70.14	12797	58.44
10 केवीए	0	0.00	2512	16.26	14997	88.25
16 केवीए	17101	135.09	9534	34.66	4386	22.30
योग	**17101**	**135.09**	**18833**	**121.06**	**32180**	**168.99**

इन डीटी की आपूर्ति के समक्ष, ठेकेदारों ने एक समीक्षा बैठक के दौरान जयपुर डिस्कॉम के प्रबंधन से इन डीटी पर मूल्य विचलन (पीवी) अनुमत्य किए जाने का अनुरोध किया (अप्रैल 2018)। जयपुर डिस्कॉम ने ऐसे डीटी पर पीवी की प्रयोज्यता के संबंध में आरईसी से स्पष्टीकरण मांगा (अप्रैल-मई 2018)। आरईसी ने स्पष्ट किया (मई 2018) कि एसबीडी के प्रावधानों के अनुसार, पीवी केवल एल्युमिनियम वाउण्ड डीटी के लिए अनुमोदित है। इसने आगे स्पष्ट किया (जून 2018) कि एसबीडी एमओपी द्वारा नियुक्त समिति द्वारा अनुमोदित की गई थी एवं कॉपर वाउण्ड डीटी हेतु एसबीडी में संशोधन अब स्वीकृति योग्य नहीं है। इसने आगे कहा कि डिस्कॉम, तथापि, ऐसी विशिष्टताओं को अपनी आवश्यकतानुसार एसएलएससी से अनुमोदित कराकर संशोधित कर सकता है। साथ ही, ठेकेदारों ने जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंधन से मूल्य विचलन (पीवी) अनुमत्य किए जाने का अनुरोध किया (मार्च 2019) जिसका उत्तर नहीं दिया गया था।

पूर्व में दिए गये स्पष्टीकरणों के पश्चात भी, जयपुर डिस्कॉम ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत स्थापित कॉपर वाउण्ड डीटी के मूल्य समायोजन को अनुमत्य किए जाने हेतु आरईसी से अनुरोध किया (अप्रैल 2019)। जयपुर डिस्कॉम ने कहा कि इसके द्वारा किए गये कॉपर वाउण्ड डीटी के उपापन (अक्टूबर 2016 से जनवरी 2019) में 22.56 प्रतिशत तक की अत्यधिक मूल्य वृद्धि सम्मिलित थी। तथापि, जयपुर डिस्कॉम का अनुरोध फरवरी 2021 तक अनुत्तरित रहा। परिणामस्वरूप, जयपुर डिस्कॉम ने फरवरी 2021 तक ठेकेदारों को इस संबंध में कोई पीवी जारी नहीं किया था।

इसके विपरीत, अजमेर डिस्कॉम ने सिंगल फेज कॉपर वाउण्ड डीटी पर मूल्य समायोजन को अनुमत्य किए जाने का निर्णय इस आधार पर लिया (जून 2018) कि आरईसी ने ट्रांसफॉर्मर हेतु मूल्य समायोजन को अनुमत्य किया था एवं डिस्कॉम द्वारा अंतिम रूप दी गई विशिष्टताओं में कॉपर वाउण्ड डीटी को शामिल किया गया है। तदनुसार, अजमेर डिस्कॉम ने सितंबर 2020 तक कॉपर वाउण्ड डीटी पर पीवी के पेटे ठेकेदारों को ₹ 8.45 करोड़ जारी किए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आरईसी द्वारा जारी एवं एसएलएससी के अनुमोदन से संशोधित एसबीडी में कॉपर वाउण्ड डीटी पर पीवी अनुमत्य किए जाने के प्रावधान के अनस्तित्व में होने की जानकारी होने के उपरांत भी, अजमेर डिस्कॉम ने प्रकरण पर सक्षम प्राधिकारी के स्पष्टीकरण/अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया था एवं ठेकेदारों को जारी कार्यादेशों/संविदाओं के प्रावधानों के विरुद्ध कॉपर वाउण्ड डीटी पर पीवी अनुमत्य किए जाने का एकाकी निर्णय लिया। अजमेर डिस्कॉम ने इस प्रकरण में सर्वसम्मत/एकसमान निर्णय पर पहुंचने हेतु सहयोगी कंपनियों (जयपुर डिस्कॉम एवं जोधपुर डिस्कॉम) से भी परामर्श नहीं लिया। परिणामस्वरूप, अजमेर डिस्कॉम ने

संबंधित कार्यादेशों/संविदाओं में निर्दिष्ट प्रावधानों के विरूद्ध अनियमित रूप से ₹8.45 करोड़ का व्यय किया।

सरकार ने कहा कि अजमेर डिस्कॉम को सीएलपीसी के निर्णय को सक्षम स्तर पर समीक्षा किए जाने एवं 30 दिवस के भीतर इसके परिणामों से सूचित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तथापि, नवम्बर 2021 तक पश्चातवर्ती उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

निष्कर्ष

- डिस्कॉम्स ने डीडीयूजीजेवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सलाहकारों/पीएमए की सेवाओं के उपापन एवं टर्नकी संविदा प्रदान किए जाने पर आरटीपीपी अधिनियम/नियमों एवं सीवीसी द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की थी।
- डिस्कॉम्स ने डीटी मीटरिंग का प्रावधान किए बिना, एमएंडपी बॉक्स सहित डीटी स्थापित किए जाने के प्रावधान के साथ टर्नकी संविदा प्रदान की। मीटरिंग प्रावधान के अभाव में, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत स्थापित एमएंडपी बॉक्स (₹ 1.18 करोड़) निष्क्रिय रहे।
- अजमेर डिस्कॉम ने आरईसी द्वारा जारी एवं एसएलएससी द्वारा अनुमोदित एसबीडी के प्रावधानों का उल्लंघन/गलत व्याख्या की एवं टर्नकी ठेकेदारों के पक्ष में सिंगल फेज कॉपर वाउण्ड डीटी की आपूर्ति हेतु मूल्य विचलन के पेटे ₹ 8.45 करोड़ सक्षम अनुमोदन के बिना जारी किये।

सिफ़ारिश

डिस्कॉम्स को चाहिए कि:

- **आरटीपीपी अधिनियम/नियमों, सीवीसी के निर्देशों/दिशानिर्देशों, भारत सरकार की योजना एवं अन्य अनिवार्य मानदंडों के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु इसकी उपापन प्रक्रिया को सुदृढ़ करें।**
- **निविदा मानकों का उल्लंधन करने एवं मूल्य विचलन के पेटे अतिरिक्त भुगतान जारी किए जाने हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें।**

अध्याय–IV

निगरानी एवं गुणवत्ता आश्वासन तंत्र

अध्याय-IV

निगरानी एवं गुणवत्ता आश्वासन तंत्र

निगरानी एवं पर्यवेक्षण

4.1 योजना के कार्यान्वयन की निगरानी एवं पर्यवेक्षण विभिन्न स्तरों पर किया जाना था। डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों में एकल स्तरीय निगरानी तंत्र की व्यवस्था थी।

डिस्कॉम्स स्तर पर

- डिस्कॉम्स परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक विशिष्ट टीम बनाएगी जिससे सुचारू कार्यान्वयन, निगरानी एवं परियोजना क्षेत्रों की जनता एवं जन प्रतिनिधियों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित हो सके।
- विशिष्ट टीम में से एक मुख्य अभियन्ता स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा, जो निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के कार्यान्वन के लिए उत्तरदायी होगा, परियोजनाओं से संबंधित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सहित सभी आवश्यक सूचना प्रदान करेगा, राज्य सरकार से प्रासंगिक आदेश/मंजूरी प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा, जागरूकता के स्तर को बढाएगा एवं परियोजना क्षेत्रों में जनता एवं जन प्रतिनिधियों की शिकायतों का निवारण करेगा

राज्य स्तर पर

- राज्य प्रगति निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करने एवं स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों यथा सब स्टेशनों के लिए भूमि का आवंटन, मार्ग का अधिकार, वन मंजूरी, रेल मार्ग मंजूरी, सुरक्षा मंजूरी इत्यादि का समाधान करने के लिए एसएलएससी का गठन करेगा।

राष्ट्रीय स्तर पर

- आरईसी कार्यों की गुणवत्ता सहित परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी करेगा।
- आरईसी परियोजना कार्यान्वयन के समवर्ती मूल्यांकन के लिए तृतीय पक्ष सेवाओं हेतु बाहरी एजेंसियों/श्रम-शक्ति की नियुक्ति करेगा।

राज्य में डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन की निगरानी एवं पर्यवेक्षण में देखी गई कमियों की चर्चा नीचे की गई है:

जिला विद्युत समिति की सहभागिता

4.2 एमओपी के आदेश दिनांक 1 अप्रैल 2015 के अनुसरण में जन प्रतिनिधियों के साथ परामर्श की प्रणाली को संस्थागत बनाने हेतु, राजस्थान सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र की सभी केंद्रीय योजनाओं के प्रभाव की समीक्षा एवं निगरानी के लिए राज्य के प्रत्येक जिले के लिए जिला विद्युत

समिति[59] (डीईसी) अधिसूचित की (15 मई 2015)। डीईसी के गठन का मुख्य उद्देश्य परियोजना के निर्माण से लेकर निष्पादन एवं निगरानी तक के पूर्ण जीवन चक्र में जन प्रतिनिधियों को सक्रिय रूप से नियुक्त रखना था। साथ ही, डीईसी को डीपीआर तैयार किए जाते समय परामर्श देने एवं जिले में योजना के कार्यान्वयन की निगरानी अर्थात विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, उपभोक्ता संतुष्टि, ऊर्जा दक्षता को बढावा देना एवं ऊर्जा संरक्षण की समीक्षा करना था सदस्य सचिव द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना था कि अपेक्षित बैठकें आयोजित हों एवं बैठक आयोजित किए जाने का एक त्रैमासिक प्रतिवेदन आरईसी को भेजा जाना भी आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जयपुर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स ने मूल डीपीआर (जयपुर डिस्कॉम-नौ परियोजनाऐं, जोधपुर डिस्कॉम-एक परियोजना) तैयार किए जाने से पूर्व डीईसी से परामर्श नहीं किया था। साथ ही,13 संशोधित डीपीआर (जयपुर डिस्कॉम-एक परियोजना, अजमेर डिस्कॅाम-दो परियोजनाएं, जोधपुर डिस्कॉम-10 परियोजनाएं) तैयार किए जाने में भी डीईसी से परामर्श नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स ने किसी भी आगामी त्रैमासिक बैठकों का आयोजन नहीं किया था जबकि जोधपुर डिस्कॉम ने मार्च 2017 एवं जुलाई 2018 के मध्य मात्र पांच बैठकें (जैसलमेर परियोजना में चार एवं बीकानेर परियोजना में एक) आयोजित की थी।

इस प्रकार, डीईसी की इन यदा-कदा बैठकों के कारण, डीईसी के गठन अर्थात परियोजना के निर्माण से लेकर निष्पादन एवं निगरानी तक के पूर्ण जीवन चक्र में जन प्रतिनिधि की सहभागिता का मूल उद्देश्य विफल रहा। साथ ही, सभी तीनों डिस्कॉम्स ने डीईसी की त्रैमासिक बैठकों का नियमित रूप से आयोजन न करके एमओपी, भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन किया।

सरकार ने स्वीकार किया कि डीईसी की बैठकें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित नहीं की गई थी। इसने आगे कहा कि संबधित जिला कलेक्टरों द्वारा वृत्त स्तर पर आयोजित सामयिक/मासिक बैठकों के माध्यम से प्रशासनिक प्राधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की गई थी। साथ ही, जनप्रतिनिधियों को उनके क्षेत्र के दौरे के दौरान कार्यों की प्रगति से भी अवगत कराया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि डिस्कॉम्स ने डीईसी की त्रैमासिक बैठकों को पृथक से आयोजित करना सुनिश्चित नहीं किया था जो डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों का उल्लंघन था। इसलिए, डीईसी के गठन का मूल उद्देश्य ही विफल हो गया था।

एसएलएससी को भौतिक प्रगति प्रस्तुत न करना

4.3 डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, एसएलएससी को स्वीकृत कार्यों की प्रगति की निगरानी करनी आवश्यक थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रारंभ में, डिस्कॉम्स ने डीडीयूजीजेवाई के अंतगर्त निष्पादित कार्यों की भौतिक प्रगति (जून 2017 एवं अक्टूबर 2018 के मध्य) एसएलएससी को प्रतिवेदित की थी। तत्पश्चात, कार्यों की भौतिक प्रगति एसएलएससी को प्रस्तुत

59 जिले में सबसे वरिष्ठ वर्तमान संसद सदस्य (एमपी)-अध्यक्ष, अन्य वर्तमान संसद सदस्य-सह अध्यक्ष, जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट-संयोजक, जिला पंचायत अध्यक्ष/सभापति-सदस्य, जिले के वर्तमान विधायक-सदस्य, ऊर्जा, कोयला एवं एनआरई मंत्रालय, यदि संबंधित जिले में स्थित है, के सीपीएसयूज के वरिष्ठतम प्रतिनिधि-सदस्य एवं डिस्कॉम्स के मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियंता-सदस्य सचिव।

किया जाना नहीं पाया गया था। परिणामस्वरूप, एसएलएससी के गठन का मूल उद्देश्य अर्थात भौतिक प्रगति की निगरानी करना एवं निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना विफल हो गया था।

सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया कि कार्यों की भौतिक प्रगति नियमित रूप से एसएलएससी को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण है कि नियमित प्रगति प्रतिवेदनों को प्रस्तुत नहीं किए जाने ने एसएलएससी के गठन के मूल उद्देश्य को विफल कर दिया। साथ ही, एसएलएससी के विचार/निर्देश डिस्कॉम्स को योजना के निष्पादन में बाधाओं के निराकरण हेतु त्वरित एवं प्रभावी उपाय करने में मदद मिल सकती थी।

कार्यों के निष्पादन में पाई गई कमियों की चर्चा **अध्याय-II एवं III** में की गई है। जबकि निगरानी एवं पर्यवेक्षण में चूक की चर्चा नीचे की गई है

गुणवत्ता आश्वासन तंत्र

4.4 गुणवत्ता आश्वासन के लिए दिशानिर्देश निम्नलिखित तंत्र प्रदान करतें हैं:

डिस्कॉम्स

- डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी एवं जवाबदेह।
- डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों हेतु, गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना कार्यो के उद्देश्य से एक विस्तृत व्यापक गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) योजना तैयार करना।
- क्यूए एवं निरीक्षण योजना टर्नकी ठेकेदार या उपकरण आपूर्तिकर्ता एवं निर्माण एजेंसी के साथ अनुबंध समझौते का अभिन्न अंग होगी।
- कार्यस्थल पर आपूर्ति की गई सामग्री/उपकरणों की गुणवत्ता एवं क्षेत्र में किए कार्यों का निष्पादन क्रमशः निर्माण गुणवत्ता योजना (एमक्यूपी)/ गारंटीकृत तकनीकी विवरण (जीटीपी) एवं क्षेत्र गुणवत्ता योजना (एफक्यूपी)/अनुमोदित ड्राइंग/डेटा शीटों के अनुरूप सुनिश्चत करना।
- गुणवत्ता आश्वासन दस्तावेज

आरईसी

- प्रापण की गई सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु बाहय स्वतंत्र एजेंसियों को आरईसी गुणवता मॉनिटर (आरक्यूएम) के रूप में नामित करना।
- डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत किए गए कार्यों की गुणवत्ता की जांच।
- आरक्यूएम न्यूनतम 10 प्रतिशत सामग्री वाले एकल लॉट में, यादृच्छिक छह सामग्री का प्रेषण पूर्ण निरीक्षण निर्माता कार्यशालाओं में करेगा।
- आरक्यूएम परियोजना में किये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच भी करेगा।

गुणवत्ता आश्वासन में डिस्कॉम्स का निष्पादन

4.5 एमओपी द्वारा जारी गुणवत्ता आश्वासन दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम्स (परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी) पूर्णतया उत्तरदायी एवं जवाबदेह थे।

डिस्कॉम्स द्वारा एक प्रभावी एवं दक्ष गुणवत्ता आश्वासन तंत्र विकसित करने में पाई गई कमियों की चर्चा नीचे की गई है:

गुणवत्ता आश्वासन योजना

4.6 एक प्रभावी एवं दक्ष गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के लिए, डिस्कॉम्स को गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना कार्यों के निर्माण के उद्देश्य से विस्तृत व्यापक गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) योजना तैयार करने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डिस्कॉम्स ने कार्यों को प्रदान किए जाने से पूर्व क्यूए योजना स्वयं तैयार करने के स्थान पर, क्यूए योजना के कार्य का उनके द्वारा नियुक्त पीएमए को सौंपा (मार्च/मई 2017)। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स के पीएमए ने मई 2017 एवं अक्टूबर 2017 में क्यूए योजना प्रस्तुत की जबकि जयपुर डिस्कॉम के पीएमए ने दिसंबर 2017 में क्यूए योजना प्रस्तुत की। इन पीएमए द्वारा प्रस्तुत क्यूए योजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र, पीएमए द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पद्धति, निर्माण के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश, गुणवत्ता आश्वासन के लिए जांच सूची एवं निरीक्षण के लिए प्रारूप अर्थात क्षेत्र गुणवत्ता निरीक्षण के साथ-साथ मासिक प्रगति प्रतिवेदन सम्मिलित था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स गुणवत्ता आश्वासन जांच एवं कार्य निष्पादन में प्रयुक्त सामग्री के परीक्षण के संबध में गुणवत्ता आश्वासन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित नहीं कर सके क्योंकि इस संबंध में कई कमियां पायी गई थी जिसकी चर्चा आगामी अनुच्छेदों की गई है:

गुणवत्ता आश्वासन जाँच

4.7 गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) के दिशानिर्देशों में भी क्यूए जांचों अर्थात सभी सामग्रियों का प्रेषण-पूर्व 100 प्रतिशत निरीक्षण, गांवों का समस्त अवसंरचना सहित सत्यापन, निर्माण गुणवत्ता योजना (एमक्यूपी)/अनुमोदित ड्राइंग/तकनीकी विनिर्देश/डेटाशीट/गारंटीकृत तकनीकी विवरण (जीटीपी)/क्षेत्र गुणवत्ता योजना (एफक्यूपी)/ अनुमोदित सर्वेक्षण ड्राइंग/लेआउट के अनुसार सभी 66/11 या 33/11 केवी सब स्टेशनों (नया एवं संवर्धित) की सामग्री की गुणवत्ता के साथ-साथ क्षेत्र में कार्यों के निर्माण में ठोस अनुपालना पर जोर दिया गया है। साथ ही, सभी बीपीएल घरों को जारी किए गए कनेक्शनों, सभी बनाए गए फीडर एवं प्रयुक्त सामग्री के साथ-साथ एवं योजना के अन्तर्गत मीटरिंग, सांसद आदर्श ग्राम योजना तथा तंत्र सुदृढीकरण में किए गए कार्यों का 100 प्रतिशत सत्यापन किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना निष्पादन के दिन-प्रतिदिन के दौरान गुणवत्ता जांचों की ठोस अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम्स एवं परियोजनाओं के संबंधित टर्नकी ठेकेदार उत्तरदायी थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पीएमए ने, उनके मासिक प्रगति प्रतिवेदनों में, कार्यों के निष्पादन में अत्यधिक अधिक संख्या में गैर-अनुरूपताओं को इंगित किया। इन दोषों मुख्य रूप से अर्थिंग रॉड का उपयोग नहीं करना, वितरण ट्रांसफार्मर के खंभों पर ढीले तार, खंभों के गडढों को ठीक से नहीं भरना, कम गहराई पर खंभे लगाना, गैल्वनाइज्ड इंसुलेटेड तार का उपयोग न करना, क्लैंप के बिना केबल लगाना,इत्यादि सम्मिलित है। साथ ही, बीपीएल लाभार्थियों को विद्युत कनेक्शन जारी किए जाने में प्रयुक्त सामग्री की खराब गुणवत्ता के उदाहरण भी पाए गए थे क्योंकि किट

की कुछ मदें या तो उपलब्ध नहीं करवायी गई थी अथवा किट मदें टूटी हुई स्थिति में पाई गई थी जैसा कि **अनुच्छेद 6.5** में चर्चा की गई है। इसने इंगित किया कि डिस्कॉम्स एवं संबंधित टर्नकी ठेकेदारों ने एमक्यूपी/डेटाशीट/जीटीपी/ अनुमोदित ड्राइंग/तकनीकी विनिर्देशों एवं एफक्यूपी के अनुसार डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु गांव अवसंरचना के 100 प्रतिशत सत्यापन के क्यूए दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया था।

सरकार ने कहा कि सामग्री के प्रेषण पूर्व निरीक्षण 100 प्रतिशत किए गयो थे एवं अवसंरचना का निर्माण जीटीपी/विनिर्देशों/ड्राइंग के अनुसार किया गया था। बीपीएल लाभार्थियों को जारी किये गए नए विद्युत कनेक्शनों में प्रयुक्त सामग्री की भी जांच की गई थी तथा खराब सामग्री का फर्मों द्वारा प्रतिस्थापन किया गया था। साथ ही, पीएमए द्वारा देखी गई सभी गैर-अनुरूपताओं को पूर्व में ही ठीक कर दिया गया था।

उत्तर में लेखापरीक्षा में उजागर किए गए मुददे को संबोधित नहीं किया गया था क्योंकि पीएमए ने अत्यधिक संख्या में गैर-अनुरूपताओं को इंगित किया जो दर्शाता है कि क्यूए दिशानिर्देशों के अनुसार गांव अवसंरचना का सत्यापन नहीं किया गया था।

डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन में प्रयुक्त सामग्री का परीक्षण

4.8 प्रेषण-पूर्व निरीक्षणों के दौरान 100 प्रतिशत गुणवत्ता जांच की शर्त के अतिरिक्त, अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के वाक्यांश 21अ प्रत्येक डिस्कॉम्स के भण्डार में प्राप्त सामग्री का केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (सीटीएल) में नमूना परीक्षण का प्रावधान करता है। साथ ही, जीसीसी के वाक्यांश 21स में कार्यस्थल से ली गई सामग्री का यादृच्छिक नमूना परीक्षण सीटीएल में किए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, बोली दस्तावेज के खण्ड-III में परिभाषित सामग्री की मदों की तकनीकी विशिष्टताएं भी सामग्री का सीटीएल में परीक्षण का प्रावधान करती हैं। भण्डारों पर प्राप्त सामग्री में से चयनित नमूनों का सीटीएल से सफल परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात ही आपूर्ति/निर्माण का भुगतान किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि

(i) डिस्कॉम्स ने इस तर्क पर कि मार्च 2018 तक सभी को विद्युत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आरएचएच कनेक्शन को शीघ्रता से जारी किए जाने की आवश्यकता थी तथा सामग्री का गुणवत्ता आश्वासन पूर्व से ही निरीक्षण अधिकारियों द्वारा विक्रेता की कार्यशाला पर किया जा रहा था, योजना के अन्तर्गत कनेक्शन जारी किए जाने हेतु आवश्यक सभी सामग्रियों, तीन मदों (डीटी, एबी केबिल, 2सी X 4 केबिल) को छोडकर, के सीटीएल परीक्षण की आवश्यकता में छूट प्रदान की (सितम्बर/अक्टूबर 2017)।

अविद्युतीकृत आरएचएच को कनेक्शन जारी किए जाने में पायी गई कमियों की चर्चा **अनुच्छेद 2.15** में की गई है। लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स द्वारा जारी किए गये आदेश अस्पष्ट थे क्योंकि मदें जिनमें सीटीएल परीक्षण में छूट दी गई थी, निर्दिष्ट नहीं थी। इस अस्पष्टता के कारण, जयपुर डिस्कॉम के वृत्त कार्यालयों ने अलग-अलग व्याख्या की थी एवं इसलिए सीटीएल में परीक्षण नहीं किए जाने हेतु चुनी गई मदों में भिन्नता थी। जयपुर डिस्कॉम की दो चयनित परियोजनाओं (भरतपुर एवं टोंक) में, लेखापरीक्षा ने पाया कि भरतपुर वृत्त ने क्रमशः मार्च 2018

तक एवं मार्च 2018 के पश्चात सात[60] मदों एवं नौ[61] मदों का परीक्षण नहीं किया था जबकि टोंक वृत्त ने 35 मदों का परीक्षण नहीं किया था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि जयपुर डिस्कॉम में यह छूट मार्च 2018 के पश्चात भी जारी थी।

साथ ही, भरतपुर वृत्त के अनुरोध पर, टर्नकी कार्य (टीडब्लयू) शाखा ने इस तथ्य की अवहेलना करते हुए कि प्रचलित आदेशों के अनुसार इन तीन मदों में कोई छूट नहीं दी जानी थी टीएन-384 के अन्तर्गत मैसर्स वोल्टास लिमिटेड द्वारा प्रयुक्त मदों अर्थात 2सी X 4 एमएम वर्ग एक्सएलपीई केबिल (76.327 किमी), एबी केबिल (72.395 किमी) एवं 16 केवीए एकल फेज डीटी (200 नंबर) के सीटीएल में परीक्षण किए जाने की आवश्यकता में छूट प्रदान की (अगस्त/सितंबर 2018)। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि मैसर्स वोल्टास द्वारा उपयोग की गई इन तीनों मदों में से एक यथा 2सी X 4 एमएम वर्ग एक्सएलपीई केबिल (38 किमी), सीटीएल में परीक्षण के दौरान विफल (14 मई 2018) हो गई थी एवं इसलिए इसे अस्वीकृत (नवंबर 2018) कर दिया गया था। जयपुर डिस्कॉम क्यूए योजना की गुणवत्ता निगरानी जांचों को आश्वस्त करने में विफल रहा क्योंकि इसने परीक्षण में सामग्री की विफलता के महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी की एवं अपने स्वयं के आदेशों में निर्दिष्ट शर्तों का उल्लधंन करते हुए परीक्षण की आवश्यकता में छूट प्रदान की। इस प्रकार, जयपुर डिस्कॉम ने कार्यों के निष्पादन में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता के साथ समझौता किया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि अजमेर डिस्कॉम ने आदेश जारी होने के पश्चात भी सीटीएल परीक्षण में छूट नहीं दी एवं आगामी आदेश में सीटीएल छूट हेतु मदों को भी निर्दिष्ट किया (फरवरी 2018)। तथापि, जोधपुर डिस्कॉम के अभिलेखों में सीटीएल परीक्षण हेतु मदों को निर्दिष्ट किए जाने वाला छूट आदेश नहीं पाया गया था।

(ii) इसके अतिरिक्त, नौ चयनित परियोजनाओं में से किसी में भी सीटीएल में परीक्षण हेतु कार्यस्थल से सामग्री के नमूने प्राप्त नहीं किए गए थे। यह दर्शाता है कि डिस्कॉम्स ने जीसीसी के वाक्यांश 21 स के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की। परिणामस्वरूप, सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक अतिरिक्त नियंत्रण हेतु सम्मिलित किये गये इस वाक्यांश का उददेश्य विफल हो गया था।

सरकार ने कहा कि आरएचएच विद्युतीकरण कार्य में तीव्रता लाने एवं मार्च 2018 तक सभी के लिए विद्युत सुनिश्चित करने हेतु, जयपुर डिस्कॉम ने आरएचएच विद्युतीकरण हेतु आवश्यक सभी सामग्रियों के लिए सीटीएल परीक्षण की आवश्यकता में छूट प्रदान की थी। तथापि, निर्माताओं के कार्यस्थल पर सामग्री का प्रेषण से पूर्व निरीक्षण संयुक्त रूप से आरईसी के साथ किया गया था।

तथ्य यह रहा कि जयपुर डिस्कॉम ने सीटीएल में कार्यस्थल पर पड़ी सामग्री की नमूना जाँच संबंधी संविदा की शर्तों की अनुपालना नहीं की थी एवं इस प्रकार, परियोजनाओं को क्रियान्वित

---

60 ब्रैकेट सहित सस्पेंशन क्लैंप, ब्रैकेट सहित डेड एंड क्लैम्पस, पियर्सिंग कनेक्टर एनएफसीटी टाइप ए, पियर्सिंग कनेक्टर एनएफसी टाइप बी, जीआई स्टे सेट 16 एमएम, 11 केवी वीसीबी कियॉस्क एवं 11 केवी सीटी पीटी सेट (200/5 एम्प।)

61 ब्रैकेट सहित सस्पेंशन क्लैंप, ब्रैकेट सहित डेड एंड क्लैम्पस, पियर्सिंग कनेक्टर एनएफसीटी टाइप ए, पियर्सिंग कनेक्टर एनएफसी टाइप बी, 11 केवी ड्रॉप आउट कम आइसोलेटर, एसीएसआर वीजल कंडक्टर, एलटी पिन इंसुलेटर, वीजल पीजी क्लैंप एवं 11 केवी एंड टर्मिनेशन किट ।

करने में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता के साथ समझौता किया। साथ ही, उत्तर जयपुर डिस्कॉम द्वारा जारी किए गये आदेश में अस्पष्टता के मुद्दे पर मौन था जिसके कारण इसके विभिन्न वृत कार्यालयों द्वारा आदेशों की गलत व्याख्या की गई। इसके अतिरिक्त, सरकार ने जीसीसी के वाक्यांश 21स के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित नहीं किए जाने के मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी।

केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला में विफल सामग्री का उपयोग

4.9 (i)अजमेर डिस्कॉम की एक चयनित परियोजना (सीकर वृत्त) के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि मैसर्स स्वास्तिका इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में स्वस्तिका इलेक्ट्रिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के रूप में जाना जाने वाला ठेकेदार) ने नीचे सारणीबद्ध सामग्री का उपयोग किया, जिसके लिए प्रेषण निर्देश (डीआई) वृत्त कार्यालय द्वारा जारी किये गये थे, लेकिन बाद में सीटीएल में परीक्षण के दौरान विफल घोषित की गई थी।

तालिका संख्या 4.1

सीटीएल में परीक्षण के दौरान विफल मदों का विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	दिनांक जिस पर डीआई जारी किए गये	मात्रा जिसके लिए डीआई जारी किए गये (संख्या)	सीटीएल परीक्षण की दिनांक	सीटीएल परीक्षण में विफल मात्रा	अस्वीकृत/ प्रतिस्थापन हेतु ठेकेदार को सूचित करने की तिथि	चालू बिल	दावा पारित किए जाने का माह
1	डिस्क एच/ डब्ल्यू फिटिंग टाईप 45 केएन	06.12.18	514	18.02.19	514	03.04.19	आर ए 11 एवं 12	मार्च 2019
2	जीआई स्टे सेट 20*2400 एमएम	06.12.18	166	18.02.19	166	03.04.19	आर ए 15 एवं 17	जनवरी एवं अप्रैल 2020

स्त्रोतः सीटीएल प्रतिवेदन एवं भण्डाक पंजिका

लेखापरीक्षा ने देखा कि सीकर वृत्त कार्यालय ने सीटीएल के परीक्षण में सामग्री की विफलता के बारे में ठेकेदार को सूचित करने में 44 दिवसों का समय लिया। इसी बीच, ठेकेदार ने इन मदों का उपयोग मार्च 2019 से अप्रैल 2020 के मध्य किया एवं इस अवधि के दौरान प्रस्तुत चालू बिलों में इसका दावा किया। यह सामग्री सीटीएल में परीक्षण पास नहीं कर सकी क्योंकि यह भार सहन नहीं कर सकी। इसके उपरांत भी, सीकर वृत्त कार्यालय ने ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही शुरू करने के स्थान पर, सभी चालू बिलों को पारित (मार्च 2019 एवं अप्रैल 2020 के मध्य) किया एवं तदनुसार भुगतान जारी कर दिया गया।

सरकार ने कहा (जून 2021) कि प्रकरण की जाँच की जाएगी एवं डिस्कॉम्स द्वारा सुधारात्मक उपाय लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए लिए जाएंगें। तथापि, प्रकरण में आगे का प्रत्युत्तर नवम्बर 2021 तक प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(ii) इसी प्रकार, जोधपुर डिस्कॉम्स की चयनित परियोजनाओं में से एक (बाड़मेर लॉट-II टीएन-360) में, वृत्त कार्यालय ने 16 एमएम व्यास 2 मीटर लंबी एमएस टाइप अर्थिंग रॉड के 500 सेट की आपूर्ति हेतु प्रेषण निर्देश जारी किए (21 मार्च 2018)। सामग्री की प्राप्ति (अप्रैल 2018) के पश्चात, मैसर्स स्टार राइजिंग एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (ठेकेदार) ने विद्युतीकरण

कार्य के लिए इसका उपयोग किया एवं चालू बिल में इसका दावा किया (मार्च 2019)। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रभारी अभियंता ने बिल का सत्यापन किया एवं इसे सीपीसी को इस टिप्पणी के साथ भुगतान के लिए भेज दिया (मार्च 2019) कि सामग्री सीटीएल टेस्ट में पास हो गई है। लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रभारी अभियंता ने चालू बिल पर गलत टिप्पणी की क्योंकि सामग्री को पूर्व में ही सीटीएल में परीक्षण में विफल घोषित (सितंबर 2018) कर दिया गया था।

सरकार ने कहा कि जोधपुर डिस्कॉम ने प्रकरण कि जांच की एवं ठेकेदार से ₹1.46 लाख की वसूली की।

उत्तर के साथ प्रभारी अभियंता के विरूद्व की गई जांच एवं जोधपुर डिस्कॉम द्वारा की गई वसूली के संबंध में दस्तावेज नहीं थें।

इस प्रकार, दोनों डिस्कॉम्स योजना के अन्तर्गत किए गए तंत्र सुदृढ़ीकरण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में विफल रहे।

परियोजना प्रबंधन एजेंसी का प्रदर्शन

4.10 परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के दिशानिर्देशों में जैसा कि परिभाषित किया गया था, पीएमए बोली प्रक्रिया की निगरानी एवं समन्वय; परियोजना नियोजन व कार्यान्वयन; गुणवत्ता निगरानी व एमआईएस तथा वेब पोर्टल अद्यतन के लिए उत्तरदायी था।

पीएमए के कार्यादेश में निर्धारित कार्यक्षेत्र के अनुसार, पीएमए द्वारा योजना की डीपीआर वार मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी करने एवं एक समेकित प्रतिवेदन तैयार करके डिस्कॉम्स को, आगे आरईसी को जमा करवाने हेतु, प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता थी। पीएमए द्वारा भौतिक/वित्तीय रूप से परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी एवं इसके मासिक प्रतिवेदन के संबंध में पीएमए के प्रदर्शन पर चर्चा नीचे की गई है:

(i) परियोजनाओं का भौतिक कार्यान्वयन

पीएमए को सुपुर्द कार्यों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि सभी तीनों डिस्कॉम्स के पीएमए ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत निष्पादित कार्यों के मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एमपीआर) प्रस्तुत किए। मैसर्स मेधाज (अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स में नियुक्त पीएमए) द्वारा प्रस्तुत एमपीआर के लेखापरीक्षा विश्लेषण में निष्पादित कार्यों की भौतिक प्रगति, सामग्री आपूर्ति एवं निर्माण की स्थिति, बीपीएल एवं एपीएल कनेक्शन की उपलब्धि आदि के संबंध में विभिन्न विवरण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, पीएमए ने डीडीयूजीजेवाई कार्यों के सत्यापन के दौरान इसके द्वारा देखी गई गैर-अनुरूपताओं की स्थिति भी प्रस्तुत की। पीएमए द्वारा देखी गई गैर-अनुरूपताओं की परियोजना-वार अद्यतन स्थिति एवं अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स/संबंधित टर्नकी ठेकेदारों द्वारा उनके सुधार को नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

तालिका संख्या 4.2

30 नवम्बर 2020 को देखी गई एवं सुधार की गई गैर-अनुरूपताओं की परियोजना-वार स्थिति

डिस्कॉम	परियोजना का नाम	पीएमए द्वारा देखी गई गैर-अनुरूपताओं की संख्या	टर्नकी ठेकेदारों द्वारा सुधार की गई गैर-अनुरूपताओं की संख्या	सुधार हेतु लंबित गैर-अनुरूपताएं	सुधार हेतु लंबित गैर-अनुरूपताओं की प्रतिशतता
अजमेर डिस्कॉम	अजमेर	1968	155	1813	92.12
	भीलवाड़ा	914	0	914	100
	नागौर	683	0	683	100
	झुन्झुनू	1433	663	770	53.73
	सीकर	1144	602	542	47.38
	डूंगरपुर	716	37	679	94.83
	बांसवाडा	1984	183	1801	90.78
	चित्तौडगढ़	1528	113	1415	92.60
	राजसमंद	1234	0	1234	100
	प्रतापगढ़	1205	171	1034	85.81
	उदयपुर	1658	0	1658	100
	एवीवीएनएल	**14467**	**1924**	**12543**	**86.70**
जोधपुर डिस्कॉम	जैसलमेर	535	436	99	18.50
	बाड़मेर	547	547	0	0
	जोधपुर	816	779	37	4.53
	बीकानेर	84	10	74	88.10
	श्रीगंगानगर	73	69	4	5.48
	हनुमानगढ़	2596	79	2517	96.96
	चुरू	594	357	237	39.90
	सिरोही	4672	4130	542	11.60
	पाली	180	93	87	48.33
	जालौर	2188	1	2187	99.95
	जेडीवीवीएनएल	**12285**	**6501**	**5784**	**47.08**

स्रोतः पीएमए के मासिक प्रगति प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएमए द्वारा प्रतिवेदन की गई गैर-अनुरूपताओं की प्रकृति में सम्मिलित हैं:

- डीटीआर पर डेंजर बोर्ड एवं लाइटनिंग अरेस्टर प्रदान नहीं करना;
- डीटीआर/पोल पर लाईटनिंग अरेस्टर/डी.ओ.सेट नहीं पाया जाना एवं डीटीआर पर जम्परिंग में पीजी क्लैंप का उपयोग नहीं किया जाना;
- आइसोलेटर बेस चैनल को स्थिर रखने के लिए बोल्ट नहीं लगाया जाना एवं आइसोलेटर को एमएस चैनल के स्थान पर गार्डिंग एंगल पर लगाया गया;
- प्रत्येक रॉड के कनेक्शन हेतु अर्थिंग क्लैंप प्रदान नहीं किए गये, वीसीबी हेतु उपयोग की जाने वाली अर्थिंग स्पाइक जमीन में आवश्यक गहराई तक नहीं डाली गई एवं वीसीबी संरचना को पकड़ने हेतु स्टड प्रदान नहीं किया गया;
- लाइटनिंग अरेस्टर कनेक्ट नहीं किये गये, खंभों/कंडक्टर का अनुचित स्थापन; टूटे/झुके हुए खंभे एवं ढीला स्टे वायर; तथा
- टर्नकी ठेकेदारों द्वारा सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया जाना इत्यादि।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पीएमए द्वारा ऐसी सभी गैर-अनुरूपताओं की सूचना अक्टूबर 2017 से नवम्बर 2020 के दौरान एमपीआर में दी गई थी। तथापि, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स दोनों ने संबंधित टर्नकी ठेकेदारों के माध्यम से इन गैर-अनुरूपताओं को सुधारने हेतु पर्याप्त उपाय नहीं किए थे। गैर-अनुरूपताओं को सुधारने में दोनों डिस्कॉम्स का प्रदर्शन बेहद कमजोर था जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि 86.70 प्रतिशत एवं 47 प्रतिशत गैर-अनुरूपताएं पांच माह से 35 माह के मध्य अवधि हेतु सुधार हेतु लंबित थी (30 नवंबर 2020)।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि मैसर्स फीडबैक (जयपुर डिस्कॉम का पीएमए) ने डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों की केवल भौतिक प्रगति की सूचना दी (सॉफ्ट कॉपी एक्सेल प्रारूप में)। विस्तृत एमपीआर जिसमें विभिन्न विवरण यथा सामग्री आपूर्ति एवं निर्माण की स्थिति, बीपीएल एवं एपीएल कनेक्शनों की उपलब्धि, निष्पादित कार्यों में गैर-अनुरूपता आदि अभिलेखों में नहीं पाए गए। इस प्रकार की जानकारी के अभाव में, लेखापरीक्षा पीएमए द्वारा डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता के सत्यापन एवं निगरानी के उद्देश्य से किये गये क्षेत्र निरीक्षण के प्रदर्शन को प्रमाणित नहीं कर सका। साथ ही, गैर-अनुरूपताओं को सुधारने के संबंध में जयपुर डिस्कॉम के साथ-साथ संबंधित टर्नकी ठेकेदारों के प्रदर्शन का भी आंकलन नहीं किया जा सका।

सरकार ने कहा कि अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स के पीएमए द्वारा देखी गई सभी गैर अनुरूपताओं को सुधार दिया गया है। तथापि, गैर अनुरूपता जैसे डेंजर प्लेट की स्थापना, लाइटनिंग अरेस्टर इत्यादि ठेकेदारों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित नहीं की गई थी एवं इसलिए इन्हें आरईसी को छूट प्रदान किए जाने हेतु भिजवाया गया था। इसने आगे कहा कि जयपुर डिस्कॉम के पीएमए ने डीडीयूजीजेवाई के एमआईएस पोर्टल पर साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक आाधार पर कार्यों की भौतिक प्रगति को अद्यतन किया एवं सभी आवश्यक विवरण साफ्ट प्रति के साथ-साथ हार्ड प्रति में भी प्रदान किए।

तथ्य यही रहा कि अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स ने दोष, जो कि ठेकेदारों के कार्यक्षेत्र में नहीं थे, को सुधारा नहीं था। साथ ही, जयपुर डिस्कॉम के प्रकरण में, उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि पीएमए द्वारा प्रस्तुत भौतिक प्रगति में लेखापरीक्षा द्वारा अपेक्षित विवरण सम्मिलित नहीं था।

(ii) निष्पादित कार्यो की वित्तीय प्रगति

कार्यादेश के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, पीएमए को परियोजना को समय पर पूर्ण करने हेतु व्यय, प्रगति एवं व्यवधान, यदि कोई हो, पर विधिवत रूप से समर्थित एक प्रतिवेदन द्वारा निधि जारी किए जाने हेतु डिस्कॉम्स के दावों की अनुशंसाएं करली थी। इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना की पूर्णता एवं किए गए व्यय के संबंध में आरईसी को एक प्रतिवेदन अनुशंसाओं के साथ भी प्रस्तुत करना आवश्यक था।

अभिलेखों की जांच ने उजागर किया कि पीएमए द्वारा मासिक आधार पर परियोजना-वार किए गए व्यय की स्थिति मात्र को डीडीयूजीजेवाई पोर्टल पर अपलोड किया गया था जबकि परियोजना-वार एवं मद-वार व्यय के संबंध में पीएमए की सिफारिशें, परियोजनाओं को समय पर पूर्ण किए जाने में व्यवधान इत्यादि, जो कि निधि जारी करने हेतु डिस्कॉम्स के दावों के साथ प्रस्तुत की जानी थी, अभिलेखों में नहीं पायी गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि जोधपुर एवं जयपुर डिस्कॉम के पीएमए ने पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं एवं उन पर किये गये व्यय के संबंध में अपने प्रतिवेदन,

इस तथ्य के पश्चात भी कि जोधपुर डिस्कॉम की समस्त परियोजनाएं तथा जयपुर डिस्कॉम की नौ परियोजनाएं मार्च 2020 एवं सितम्बर 2020 के मध्य पूर्ण हो गई थी, प्रस्तुत नहीं किए थे।

डिस्कॉम्स/पीएमए द्वारा आरक्यूएम की अनुपालना

4.11 गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के अंतर्गत, आरक्यूएम द्वारा डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों की अनुपालना एवं प्रणालीगत प्रक्रियाओं इत्यादि की पालना सत्यापित की जानी है। साथ ही, डिस्कॉम्स को आरक्यूएम द्वारा उठाए गए आक्षेपों की अनुपालना किए जाने की आवश्यकता थी एवं अनुपालना के साथ स्थल के छायाचित्र डीडीयूजीजेवाई वेब पोर्टल (सितंबर 2019 के पश्चात से साक्ष्य पोर्टल पर) पर अपलोड किया जाना था।

(i) निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना

गुणवत्ता निगरानी हेतु आरईसी (आरक्यूएम) की नामित एजेंसियों[62] ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत डिस्कॉम्स द्वारा किए गए कार्यों की गुणवत्ता को सत्यापित करने के लिए समय-समय पर निरीक्षण किया एवं क्षेत्र निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों की अनुपालना हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों की संख्या एवं डिस्कॉम्स द्वारा की गई अनुपालना की 31 दिसम्बर 2020 की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका संख्या 4.3

31 दिसंबर 2020 को प्रस्तुत किए गये निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं डिस्कॉम्स द्वारा की गई अनुपालना की स्थिति

डिस्कॉम	श्रेणी	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने की समयावधि	किए गए अनुपालना की संख्या	प्रतिवेदन की अनुपालना किए जाने की समयावधि	अनुपालना किए जाने में लिए गये दिनों की समयावधि
जयपुर	गांव	4	8.1.2020 से 27.1.2020	4	26.6.2020 से 27.8.2020	158 से 213 दिन
	एसएस	32	3.9.2019 से 25.2.2020	31	3.12.2019 से 27.8.2020	34 से 355 दिन
	फीडर	82	30.12.2019 से 8.6.2020	82	30.1.2020 से 8.12.2020	15 से 329 दिन
अजमेर	गांव	424	11.9.2019 से 12.11.2020	303	17.12.2019 से 8.2.2021	25 से 500 दिन
	एसएस	70	6.9.2019 से 20.2.2020	70	16.5.2020 से 15.1.2021	115 से 477 दिन
	फीडर	32	14.10.2019 से 18.2.2020	25	12.2.2020 से 8.2.2021	30 से 484 दिन
जोधपुर	गांव	424	15.7.2019 से 1.4.2020	424	18.11.2019 से 29.6.2020	44 से 334 दिन
	एसएस	9	9.1.2020 से 20.2.2020	5	22.2.2020 से 18.11.2020	44 से 297 दिन
	फीडर	15	13.1.2020 से 20.2.2020	15	3.3.2020 से 20.9.2020	25 से 250 दिन

स्रोतः साक्ष्य पोर्टल

---

62 जयपुर डिस्कॉम-वोयेन्ट्स, अजमेर डिस्कॉम-आरईसीपीडीसीएल, जोधपुर डिस्कॉम-आरईसीपीडीसीएल।

(ii) दोषों का सुधार

आरक्यूएम के निरीक्षण प्रतिवेदनों में उल्लिखित किए गये दोषों की प्रकृति को 'गंभीर' 'प्रमुख' एवं 'गौण' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। आरईसी निरीक्षण संवीक्षा सूची के अनुसार ग्राम विद्युतीकरण, सब-स्टेशन (एसएस) एवं फीडर के संबंध में 'गंभीर' एवं 'प्रमुख' के अधीन अन्तर्गत वर्गीकृत दोष **अनुबंध-4** में दर्शाये गये है। अवलोकित किए गए दोषों, सुधार किए गए, लंबित इत्यादि की संख्या के संबंध में साक्ष्य पोर्टल की नवीनतम स्थिति (जनवरी 2021) नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका संख्या 4.4

अवलोकित किए गए दोषों, सुधार किए गए, लंबित दोषों की संख्या की स्थिति

डिस्कॉम	श्रेणी	अवलोकित दोषों की संख्या	सुधारे गए दोषों की संख्या	दोष, जो ठेकेदार के कार्यक्षेत्र में नहीं थे	लंबित दोष
जयपुर	गांव	1188	40	14	1134
	एसएस	500	109	377	14
	फीडर	1255	914	341	0
अजमेर	गांव	12170	3525	1665	6980
	एसएस	1720	262	1143	315
	फीडर	687	292	142	253
जोधपुर	गांव	6720	4940	1186	594
	एसएस	221	27	63	131
	फीडर	90	70	20	0

स्त्रोतः साक्ष्य पोर्टल

साथ ही, अवलोकित दोषों एवं सुधारे गए दोषों की श्रेणी-वार स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका संख्या 4.5

अवलोकित किए गए दोषों एवं सुधारे गए दोषों की श्रेणी-वार स्थिति

(आंकड़े: संख्या में)

दोषों की श्रेणी	जयपुर डिस्कॉम			अजमेर डिस्कॉम			जोधपुर डिस्कॉम			योग		
	गांव	**एसएस**	**फीडर**	**गांव**	**एसएस**	**फीडर**	**गांव**	**एसएस**	**फीडर**	**गांव**	**एसएस**	**फीडर**
गंभीर	303	110	570	4048	251	248	2119	35	38	6470	396	856
प्रमुख	793	245	579	6898	897	372	3982	119	49	11673	1261	1000
गौण	92	145	106	1224	572	67	619	67	3	1935	784	176
कुल दोष	**1188**	**500**	**1255**	**12170**	**1720**	**687**	**6720**	**221**	**90**	**20078**	**2441**	**2032**
गंभीर	15	45	350	1145	34	92	1486	8	24	2646	87	466
प्रमुख	19	45	472	1908	134	165	2962	12	43	4889	191	680
गौण	6	19	92	472	94	35	492	7	3	970	120	130
कुल सुधारे गये दोष	**40**	**109**	**914**	**3525**	**262**	**292**	**4940**	**27**	**70**	**8505**	**398**	**1276**
गंभीर	288	65	220	2903	217	156	633	27	14	3824	309	390
प्रमुख	774	200	107	4990	763	207	1020	107	6	6784	1070	320
गौण	86	126	14	752	478	32	127	60	0	965	664	46

कुल लंबित दोष	**1148**	**391**	**341**	**8645**	**1458**	**395**	**1780**	**194**	**20**	**11573**	**2043**	**756**
कुल सुधारे गये दोषों का प्रतिशत	3.37	21.80	73.07	28.96	15.23	42.50	73.51	12.22	77.78	42.36	16.30	62.80
दोष जो ठेकेदार के क्षेत्र में नहीं थे	14	377	341	1665	1143	142	1186	63	20	2865	1583	503
दोषों का प्रतिशत, जो ठेकेदार के क्षेत्र में नहीं थे	1.18	75.40	27.17	13.68	66.45	20.67	17.65	28.51	22.22	14.27	64.85	24.75

स्रोतः साक्ष्य पोर्टल

लेखापरीक्षा ने देखा कि आरक्यूएम के निरीक्षण प्रतिवेदनों में उजागर की गई कमियां 15 दिवसों से 500 दिवसों की सीमा के मध्य अत्यधिक विलंब से सुधारी गई थी। साथ ही, प्रत्येक प्रकार के कार्य यथा ग्राम विद्युतीकरण, एसएस का सुदृढ़ीकरण/निर्माण एवं फीडर का पृथक्करण/निर्माण में आरक्यूएम द्वारा निरीक्षण के दौरान बडी संख्या में कमियां पाई गई थी। इसने भी इंगित किया कि डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी एवं जवाबदेह डिस्कॉम्स/पीएमए का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। दोषों के आगे के विश्लेषण से उजागर हुआ कि ग्राम विद्युतीकरण, एसएस के सुदृढ़ीकरण/निर्माण एवं फीडर के पृथक्करण/निर्माण में अवलोकित दोष मुख्य रूप से गंभीर[63] एवं प्रमुख[64] श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लेखापरीक्षा के दौरान किए गए लाभार्थी सर्वेक्षण के परिणामों से भी प्रकट हुआ कि सर्वेक्षण किए गए लाभार्थियों में से 90 प्रतिशत से अधिक ने कार्य के निष्पादन में कम से कम एक या अधिक कमियों को वर्णित किया।

साथ ही, डिस्कॉम्स ठेकेदारों के कार्यक्षेत्र को परिभाषित करने में भी विफल रहे जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि ठेकेदारों ने 4951 दोषों[65] को सुधारने से इस आधार पर मना कर दिया कि ये प्रदान किए गए कार्य के कार्यक्षेत्र में नहीं थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि ये सभी दोष अभी भी सुधार हेतु

63 आरई नियमों के अनुसार अर्थ टर्मिनल', 'प्रत्येक 5वें खंभे पर अर्थिंग' एवं 'लाइटिंग अरेस्टर'; 'सड़क/नदी/लाईन क्रॉसिंग पर पालना गार्ड', एवं ''नींव का प्रकार कार्यक्षेत्र के अनुसार नहीं;'।

64 खंभे पर संख्या, 'वितरण बॉक्स', 'मीटर बोर्ड', 'खंभों की गहराई', 'बैटरी टर्मिनलों को मजबूती से कड़ा नहीं किया जाना एवं लग्स के साथ मोड़ा नहीं जाना एवं 'इनडोर केबिल का ठीक से आवरण नहीं किया जाना' इत्यादि।

65 (i) सबस्टेशनों के प्रकरण में नियंत्रण कक्ष में बैटरी, निकास पंखा, एवं नियंत्रण पैनल; 33 केवी वीसीबी के वर्किंग प्लेटफार्म, सबस्टेशन बोर्ड, पॉवर आपूर्ति प्वाइंट, यार्ड ग्रेवलिंग एवं विभाजन दीवार, फीडर ब्रेकर पैनल, ट्रांसफार्मर ब्रेकर पैनल इत्यादि(ii) फीडर के प्रकरण में निम्न तनाव वितरण बॉक्स (एलटीडीबी) एवं (iii) ग्राम स्तर अवसंरचना के प्रकरण में सभी खंभों के लिए अर्थिंग एवं आधार इत्यादि।

लंबित थे एवं डिस्कॉम्स को इन दोषों को सुधारने पर अतिरिक्त व्यय करना होगा। इसके अतिरिक्त, कुछ कार्यों की प्रकृति जैसे 'खंभों की गहराई', 'उपयोग/निर्माण किया गया आधार का प्रकार' आदि को कार्य निष्पादित किए जाने के पश्चात सुधारा नहीं जा सकता है।

इस प्रकार, परियोजना कार्यान्वयन गतिविधियों की अनुपयुक्त निगरानी, पीएमए के स्तर पर चालू परियोजनाओं के अपर्याप्त क्षेत्र गुणवत्ता निरीक्षणों एवं प्रत्येक डिस्कॉम स्तर पर निगरानी तंत्र के अभाव ने डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित किया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि डिस्कॉम्स आरक्यूएम की सभी आक्षेपों की अनुपालना करने में प्रक्रियारत है, जिन्हें साक्ष्य पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसने आगे आश्वासन दिया कि संविदाओं के समापन से पूर्व आरक्यूएम आक्षेपों की अनुपालना की जाएगी।

तथ्य यह रहा कि अनुपयुक्त निगरानी एवं निरीक्षणों ने योजना के अन्तर्गत निष्पादित परियोजना कार्यों की गुणवत्ता को प्रभावित किया। साथ ही, उत्तर उन दोषों में सुधार करने के मुद्दे पर मौन था जो ठेकेदारों के कार्यक्षेत्र में नहीं थे।

स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर को तैयार किया जाना

4.12 डिस्कॉम्स द्वारा निर्धारित स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर के प्रारूप में विभिन्न विवरण जैसे कि वृत्त का नाम, स्थायी परिसंपत्ति समूह, परिसंपत्ति कोड, परिसंपत्ति शीर्ष, परिसंपत्ति का नाम, खण्ड, उप-खण्ड, स्थान, निर्माण वर्ष, मात्रा, सकल राशि, वर्ष के दौरान वृद्धि, निर्माण के दौरान ब्याज, उपरिव्यय, सकल पुस्तक मूल्य, मात्रा कटौती, कटौती राशि, वित्तीय वर्ष के अंत में मात्रा एवं राशि सम्मिलित है। साथ ही, डीडीयूजीजेवाई हेतु पीएमए दिशानिर्देशों के साथ-साथ कार्यादेश के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, सभी तीन डिस्कॉम्स के पीएमए को, डिस्कॉम्स को सृजित संपत्तियों को उनके परिसंपत्ति रजिस्टर में अनिवार्य रूप से जोड़े जाने में सहायता करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी तीनों डिस्कॉम्स के पीएमए ने इस अनिवार्य आवश्यकता की अनदेखी की क्योंकि पीएमए ने डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत सृजित परिसंपत्तियों के विवरण, डिस्कॉम्स द्वारा निर्धारित स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर के प्रारूप में संधारित किए जाने में डिस्कॉम्स की सहायता नहीं की थी। चयनित परियोजनाओं में, लेखापरीक्षा ने देखा कि संबंधित ओएंडएम वृत्त कार्यालयों ने परिसंपत्ति सृजन की जानकारी को अलग प्रकार से संधारित किया जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका संख्या 4.6

चयनित परियोजनाओं में डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत सृजित परिसंपत्तियों के संधारण के विवरण

डिस्कॉम	परियोजना का नाम	संधारित परिसंपत्तियों का विवरण	टिप्पणियाँ
जयपुर	भरतपुर	इन्फ्रा मदों की संख्या अर्थात, दो वित्त वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 हेतु एसएस एवं लाईनें।	संपत्ति कोड, संपत्ति शीर्ष, निर्माण वर्ष, उपरिव्यय, सकल ब्लॉक मूल्य एवं वर्ष के अंत में मात्रा एवं मूल्य जैसे विवरण नहीं थे।
	बूंदी	सम्पति प्रतिवेदन में तीन वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 हेतु ग्राम इंफ्रा के निर्माण में उपयोग किए गये इंफ्रा आइटम	

		अर्थात कंडक्टर, केबिल, खंभे, ट्रांसफार्मर एवं अन्य विविध हार्डवेयर का विवरण सम्मिलित।	
	टोंक	इन्फ्रा मदों की संख्या अर्थात, तीन वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 हेतु एसएस एवं लाईनें।	
अजमेर	अजमेर बांसवाडा सीकर	ग्राम-वार सृजित आधारभूत संरचना अर्थात ग्राम/ब्लॉक/ग्राम पंचायत/बस्ती का नाम, जनगणना कोड, लाईन की लंबाई, खंभों की संख्या, डीटी की संख्या का विवरण।	संपत्ति कोड, संपत्ति शीर्ष, निर्माण वर्ष, उपरिव्यय, सकल ब्लॉक मूल्य एवं वर्ष के अंत में मात्रा एवं मूल्य जैसे विवरण नहीं थे।
जोधपुर	बाडमेर जालौर पाली	ग्राम-वार सृजित आधारभूत संरचना अर्थात ग्राम/ब्लॉक/ग्राम पंचायत/बस्ती का नाम, जनगणना कोड, लाईन की लंबाई, खंभों की संख्या, डीटी की संख्या का विवरण।	वित्त वर्ष के अंत में संपत्ति कोड, संपत्ति शीर्ष, निर्माण वर्ष, उपरिव्यय, सकल ब्लॉक मूल्य एवं वर्ष के अंत में मात्रा एवं मूल्य जैसे विवरण नहीं थे।

स्रोतः चयनित परियोजनाओं में संधारित ग्राम इन्फ्रा विवरण

इस प्रकार, महत्वपूर्ण विवरणों के अभाव में, डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के सटीक विवरण एवं स्थान की उनके मूल्य सहित पहचान नहीं की जा सकती है। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि इन सभी तीनों डिस्कॉम्स में से किसी ने भी डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत सृजित परिसंपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों हेतु स्थायी संपत्ति रजिस्टर संधारित नहीं किए थे एवं इस पहलू के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा गत कई वर्षों में अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लगातार आक्षेप लिया जा रहा है। आक्षेप के उत्तर में, डिस्कॉम्स ने प्रत्येक वर्ष कहा कि परिसंपत्तियां वृहद हैं, क्षेत्र में व्यापक रूप से फैली हुई हैं एवं स्थायी संपत्ति रजिस्टर तैयार किया जा रहा है।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर तैयार करने का कार्य प्रगति पर था एवं डिस्कॉम्स के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रासंगिक जानकारी एकत्र की जा रही थी।

निष्कर्ष

- डिस्कॉम्स ने निगरानी एवं पर्यवेक्षण के निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया क्योंकि योजना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु डीईसी की बैठकें आयोजित नहीं की गई थीं। साथ ही, निष्पादित कार्यों की प्रगति एसएलएससी को प्रस्तुत नहीं की गई थी, यद्यपि, योजना के अन्तर्गत इसकी परिकल्पना की गई थी।
- डिस्कॉम्स गुणवत्ता आश्वासन जांच, कार्य निष्पादन में प्रयुक्त सामग्री के परीक्षण के संबंध में गुणवत्ता आश्वासन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित नहीं कर सके एवं पीएमए द्वारा देखी गई गैर-अनुरूपताओं का समय पर अनुपालना सुनिश्चित करने में भी विफल रहे।
- डिस्कॉम्स/पीएमए का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था क्योंकि आरक्यूएम ने निष्पादित किए गये प्रत्येक प्रकार के कार्य में बड़ी संख्या में गंभीर एवं प्रमुख दोषों को के रूप में खोजा।।

- परियोजना कार्यान्वयन गतिविधियों की अनुपयुक्त निगरानी, चल रही परियोजनाओं का पीएमए स्तर पर अपर्याप्त क्षेत्र गुणवत्ता निरीक्षण एवं प्रत्येक डिस्कॉम के स्तर पर निगरानी तंत्र की अभाव ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

सिफारिशें

डिस्कॉम

- **मौजूदा निगरानी तंत्र का समालोचनात्मक परीक्षण करें एवं इसे सुदृढ़ करने हेतु उपयुक्त कदम उठाएं, तथा**
- **सुनिश्चित करें कि पर्याप्त निवारक हैं, सीटीएल विफल सामग्री को प्रयुक्त किए जाने जैसे गंभीर कमियों के प्रति अधिक विशिष्ट रूप से उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही तय करें।**
- **निष्पादित कार्यो में दोषों का सुधार समय पर सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र विकसित करें।**

अध्याय–V

वित्त पोषण तंत्र

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत वित्त पोषण तंत्र

5.1 डीडीयूजीजेवाई के अर्न्तगत, राज्यों को दो समूहों[66] में वर्गीकृत किया गया है। द्वितीय श्रेणी राज्यों हेतु, भारत सरकार की अनुदान के रूप में समर्थन की मात्रा स्वीकृत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत थी। योजना का वित्त पोषण तंत्र एवं भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी किए जाने के चरणों को नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

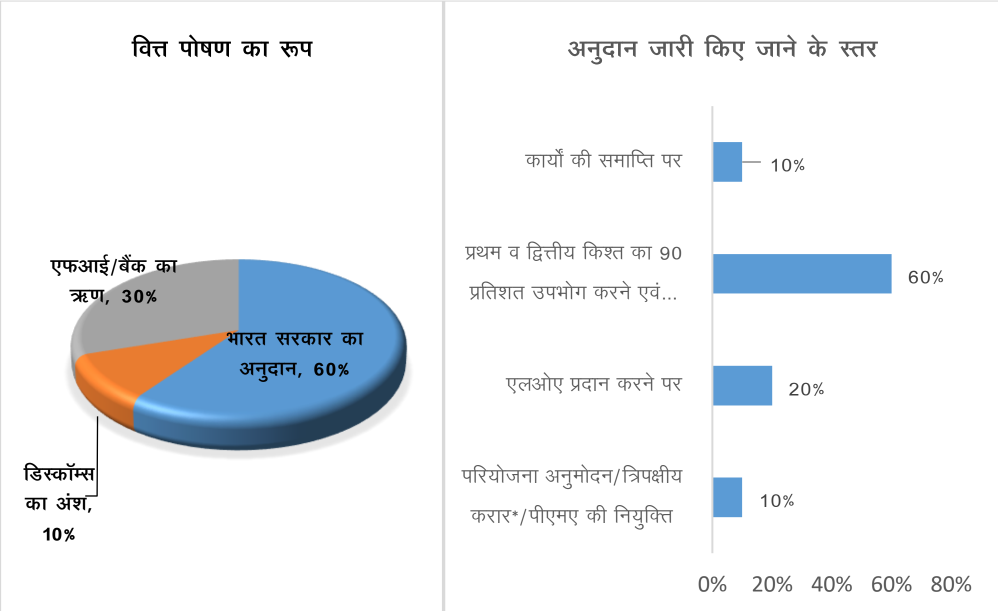

*** आरईसी, राजस्थान सरकार एवं डिस्कॉम्स के मध्य त्रिपक्षीय करार**

परियोजनाओं को डिस्कॉम्स द्वारा आशय पत्र (एलओए) जारी करने की दिनांक से 24 महीनों की अवधि में पूर्ण किया जाना था। निर्धारित मापदण्डों, यथा योजना को समय पर पूर्ण किया जाना, एमओपी द्वारा प्रक्षेपवक्र में अंतिम रूप दिए गये के अनुसार एटीएण्डसी हानियों में कमी एवं राज्य सरकार द्वारा मीटर उपभोग के आधार पर स्वीकार्य सब्सिडी का अग्रिम भुगतान करना, को पूर्ण करने पर भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान (परियोजना लागत का 15 प्रतिशत) प्रदान किया जाना था। परियोजना वार वित्तीय प्रगति को **अनुबंध 5** में दर्शाया गया है।

---

66 विशेष श्रेणी के राज्य (सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित सभी उत्तर पूर्वी राज्य) एवं (ii) विशेष श्रेणी के राज्यों के अतिरिक्त राज्य।

दावों के प्रस्तुतीकरण एवं निधि को जारी किए जाने की स्थिति

एमओपी द्वारा अनुदान जारी किए जाने का परियोजना वार विवरण **अनुबंध -6** में दर्शाया गया है।

अनुदान की प्रथम एवं द्वितीय किश्त जारी किया जाना

5.2 (i) अनुदान घटक से संबंधित अभिलेखों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से उजागर हुआ कि डिस्कॉम्स ने एमओपी की एमसी द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन की तिथि से अनुदान की प्रथम किश्त जारी किए जाने हेतु दावों को प्रस्तुत करने में 532 दिवस एवं 939 दिवसों के मध्य का सारभूत समय लिया। साथ ही, एमओपी ने डिस्कॉम्स द्वारा दावे प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 38 दिवस एवं 97 दिवसों के मध्य के विलंब से अनुदान जारी किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एमओपी द्वारा अनुदान की प्रथम किश्त जारी किये जाने में विलंब का मुख्य कारण डिस्कॉम्स द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन से त्रिपक्षीय करारों को निष्पादित किए जाने में लिया गया अत्यधिक समय (165 दिवस) था। साथ ही, डिस्कॉम्स ने क्षेत्र पीएमए की नियुक्ति में त्रिपक्षीय करारों को निष्पादित किए जाने से अत्यधिक समय (297 दिवसों एवं 368 दिवसों के मध्य) लिया। क्षेत्र पीएमए की नियुक्तियों के पश्चात भी, डिस्कॉम्स ने आरईसी के पास अनुदान की प्रथम किश्त, करौली परियोजना के अलावा, जहाँ दावा 406 दिवसों के अत्यधिक विलंब से किया गया था, का दावा 61 दिवसों एवं 70 दिवसों के मध्य विलंब से किया।

क्षेत्र पीएमए की नियुक्तियों के अतिरिक्त, आईसी ने डिस्कॉम्स को परियोजनाओं की संशोधित डीपीआर हेतु जिला विद्युत समिति (डीईसी) की अनुशंसाओं को भी प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया (जुलाई 2016)। लेखापरीक्षा ने देखा कि जयपुर व अजमेर डिस्कॉम्स ने विलंब से अगस्त 2017 में 19 परियोजनाओं एवं एक परियोजना (करौली) के संबंध में जुलाई 2018 में अनुशंसाऐं

प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम्स द्वारा 13 परियोजनाओं[67] के संबंध में डीईसी की अनुशंसाएें प्रस्तुत नहीं की गई थी।

(ii) सभी 33 परियोजनाओं के एलओए नवंबर 2016 एवं मई 2017 के मध्य जारी किए गये थे, परंतु जयपुर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स ने अनुदान घटक की द्वितीय किश्त जारी किए जाने हेतु अपने दावे विलंब से क्रमशः जनवरी 2018 एवं फरवरी 2018 में प्रस्तुत किए थे। अजमेर डिस्कॉम्स ने सितम्बर 2017 में ही द्वितीय किश्त हेतु अपना दावा प्रस्तुत कर दिया था परन्तु एमओपी ने अन्य दो डिस्कॉम्स के साथ ही किश्त जारी (मार्च 2018) की।

सरकार ने कहा कि प्रथम किश्त की पात्रता हेतु तीन माइलस्टोन्स थे। साथ ही, आरईसी ने अप्रैल 2016 में सामान्य नियम व शर्तें जारी सूचित किए एवं तत्पश्चात ही त्रिपक्षीय करार निष्पादित किया गया था। इसी प्रकार, द्वितीय किश्त हेतु दावे प्रथम किश्त के उपभोग एवं निर्धारित माइलस्टोन्स की प्राप्ति के पश्चात किए गये थे।

उत्तर यथार्थपूर्ण नहीं था क्योंकि त्रिपक्षीय करार निष्पादन के पश्चात भी डिस्कॉम्स ने पीएमए नियुक्त किए जाने में 297 एवं 368 दिवसों के मध्य का समय लिया। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम्स ने संशोधित डीपीआर पर डीईसी की अनुशंसाएें एवं दोनो किश्तों हेतु दावे प्रस्तुत करने में विलंब किया। साथ ही, द्वितीय किश्त हेतु दावे के मामले में प्रथम किश्त को उपभोग किए जाने की कोई शर्त नहीं थी।

अनुदान की तृतीय किश्त जारी किया जाना

5.3 आरईसी ने सूचित किया (जनवरी 2018) कि डिस्कॉम्स के पास अव्ययित शेष को कम करने एवं दक्ष निधि प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु, तृतीय किश्त दो बराबर भागों में जारी की जाएगी। तृतीय किश्त के प्रत्येक भाग को जारी करने हेतु, डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों में पूर्व से ही परिभाषित अन्य मापदंडों के अतिरिक्त, कुछ नए मापदण्ड जोड़े गए थे। इनमें आरईसी द्वारा देखे गये गुणवत्ता दोषों के सुधार के संबंध में प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) का प्रस्तुतिकरण, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, ब्याज प्रेषण, ऋण घटक (भाग-II) के 50 प्रतिशत का उपयोग इत्यादि प्रस्तुत करना सम्मिलित किये गये थे।

अनुदान घटक की तृतीय किश्त के दोनों भागों को जारी किए जाने के लेखापरीक्षा विश्लेषण से उजागर हुआ कि डिस्कॉम्स ने अपने दावे समय पर प्रस्तुत किए एवं तदनुसार एमओपी ने दावों की संवीक्षा/सत्यापन के पश्चात तृतीय किस्त के दोनों भाग समय पर जारी किए थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रचलित मानदण्डों के साथ-साथ एमओपी द्वारा सम्मिलित किए गए नए मापदण्ड डिस्कॉम्स की ओर से पूर्ण नहीं पाए गए थे एवं तदनुसार, एमओपी ने अनुदान जारी करते समय, गुणवत्ता दोषों को सुधार नहीं किए जाने, अनुदान की प्रथम एवं द्वितीय किश्त में जारी किए गये अनुदान का 90 प्रतिशत उपयोग नहीं किए जाने के साथ-साथ डिस्कॉम्स द्वारा राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) का दावा के पेटे ₹181.61[68] करोड़ की राशि की कटौती की थी।

67 जयपुर डिस्कॉम की एक परियोजना (सवाईमाधोपुर), अजमेर डिस्कॉम की दो परियोजनाएं (भीलवाड़ा व उदयपुर) एवं जोधपुर डिस्कॉम की 10 परियोजनाएं।

68 जयपुर डिस्कॉम- ₹ 61.55 करोड़, अजमेर डिस्कॉम-₹ 54.08 करोड़ एवं जोधपुर ₹ 65.98 करोड़।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि आरक्यूएम की टिप्पणियों पर अनुपालना प्रगति पर थी। साथ ही, डिस्कॉम्स ने अपनी पात्रता के अनुसार दावे प्रस्तुत किये थे एवं शेष दावे माइलस्टोन्स की प्राप्ति एवं एसएलसी के अनुमोदन पर प्रस्तुत किये जाएंगे।

प्रदान की गई लागत में अनुचित राज्य कर सम्मिलित करना

5.4 आरईसी, राजस्थान सरकार एवं डिस्कॉम्स के मध्य निष्पादित त्रिपक्षीय करारों के अनुसार, सब्सिडी स्वीकृति लागत या प्रदान की गई लागत (राज्य एवं स्थानीय करों को छोड़कर), जो भी कम हो, के 60 प्रतिशत तक सीमित होगी। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत राज्य एवं स्थानीय कर अनुमत्य नहीं हैं एवं राज्य सरकार/डिस्कॉम्स द्वारा वहन किए जाने हैं। परियोजना पूर्णता प्रमाण पत्र के अनुसार व्यय या प्रदान की गई लागत या एमसी द्वारा अनुमोदित की गई लागत, जो भी कम हो, के अनुसार पूर्व में जारी कोई भी आधिक्य (सब्सिडी राशि को पूर्ण परियोजना लागत के 60 प्रतिशत तक सीमित करने हेतु) को समायोजित करने के पश्चात 10 प्रतिशत की अंतिम किश्त जारी किए जाने हेतु परियोजना की अंतिम लागत के रूप में माना जाना है।

परियोजना स्वीकृत लागत, प्रदान की गई लागत, किये गये वास्तविक व्यय, एसजीएसटी एवं अधिकतम पात्र अनुदान का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका संख्या 5.1

31 दिसंबर 2020 को स्वीकृत परियोजना लागत, प्रदान की गई लागत, वास्तविक व्यय का विवरण

(₹ करोड़ों रूपये में)

डिस्कॉम्स	स्वीकृत लागत*	प्रदान की गई लागत	किया गया व्यय	किये गये व्यय पर एसजीएसटी	एसजीएसटी के बिना व्यय	एसजीएसटी हिस्से पर अनुदान (60%)
जयपुर	1027.08	965.68	969.52	73.95	895.57	44.37
अजमेर	829.35	829.68	895.35	68.29	827.06	40.97
जोधपुर	948.95	875.75	952.85	72.67	880.18	43.61
कुल	**2805.38**	**2671.11**	**2817.72**	**214.91**	**2602.81**	**128.95**

* **पीएमए के शुल्क के बिना**

स्रोतः मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं डिस्कॉम्स द्वारा प्रदान की गई सूचना।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डिस्कॉम्स ने प्रत्येक परियोजना हेतु निविदाएं आमंत्रित की जिनमें बोलीदाताओं को मूल्य करों को सम्मिलित करते हुए उद्धृत किए जाने थे एवं तदनुसार संविदाएं करों को सम्मिलित करते हुए प्रदान की गई थी। साथ ही, डिस्कॉम्स ने अनुदान जारी किए जाने हेतु दावे कुल किए गये व्यय हेतु दायर किए गये थे। दावा किए गये कुल व्यय में नौ प्रतिशत की दर से राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) भी सम्मिलित था। एमओपी ने अनुदान घटक की तृतीय किश्त के भाग-I व भाग-II जारी करते समय डिस्कॉम्स द्वारा प्रस्तुत दावों में से एसजीएसटी भाग की कटौती की थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स ने संविदाएं प्रदान किए जाते समय राज्य एवं स्थानीय करों की अमान्यता की अनिवार्य शर्त के साथ-साथ आरईसी पर दावे करते समय अनदेखा किया। साथ ही, डिस्कॉम्स ने प्रदान किए गये मूल्य (एसजीएसटी रहित) को परियोजना की स्वीकृत लागत से मिलान किए जाने के स्थान पर प्रदान किए गये मूल्य (एसजीएसटी सहित) को परियोजना की स्वीकृत लागत से मिलान किया। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं के प्रदान किए गये मूल्य (अजमेर डिस्कॉम के अलावा) फीडर पृथक्करण, तंत्र सुदृढ़ीकरण, मीटरिंग इत्यादि से संबंधित कार्यों में कमी के कारण और भी कम हो गये। परिणामस्वरूप, कुल स्वीकृत परियोजना लागत ₹ 2,805.38 करोड़ के समक्ष एसजीएसटी को सम्मिलित करते हुए प्रदान किया गया मूल्य ₹ 2,671.11 करोड़ रहा जोकि एसजीएसटी घटक (₹ 220.55 करोड़) को छोड़ने के पश्चात और घटकर ₹ 2,450.56 करोड़ रह गया। चूंकि दिसम्बर 2020 तक दावा किए गये व्यय में ₹ 214.91 करोड़ मूल्य का एसजीएसटी सम्मिलित रहा, डिस्कॉम्स ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत न केवल एसजीएसटी के मूल्य तक के कार्यों को निष्पादित किए जाने के अवसर को गंवाया अपितु ₹ 128.95 करोड़ मूल्य के अनुदान से भी वंचित रहे थे।

इस प्रकार, एसजीएसटी की अमान्यता के बारे में जानकारी होने के उपरांत भी निविदा आमंत्रित किए जाने की डिस्कॉम्स की दोषपूर्ण पद्धति ने राज्य में योजना के कार्यान्वयन को अत्यधिक प्रभावित किया।

सरकार ने भविष्य की योजनाओं के नियोजन किए जाते समय लेखापरीक्षा आक्षेप पर विचार किए जाने का आश्वासन दिया।

अमान्य भूमिगत केबिल कार्यों का समावेश

5.5 डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, भूमिगत केबिल कार्यों को कार्यक्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि जयपुर डिस्कॉम ने आरईसी से समग्र परियोजना लागत की सीमा के भीतर भूमिगत केबिल को अतिरिक्त मदों के रूप में सम्मिलित किए जाने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार नहीं किया गया था (सितम्बर 2017)। तथापि, जयपुर डिस्कॉम ने एसएलएससी के साथ-साथ एमसी के अनुमोदन के बिना ₹ 48.22 करोड़ मूल्य के भूमिगत केबिल कार्य करवाए। जयपुर डिस्कॉम के बाद में किए गये अनुरोध (जनवरी 2020) पर आरईसी ने डिस्कॉम को एसएलएससी का अनुमोदन प्रस्तुत करने को कहा (सितम्बर 2020) जो कि परियोजना कार्य दिसम्बर 2019 एवं मार्च 2020 के मध्य पूर्ण होने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किया जाना पाया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जयपुर डिस्कॉम ने एमओपी के पूर्व अनुमोदन के बिना योजना के अंतर्गत स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कार्यों को किया। साथ ही, जयपुर डिस्कॉम ने प्रकरण को एसएलएससी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किए था एवं अतः एसएलएससी की अनिवार्य अनुमोदन आरईसी को प्रस्तुत नहीं कर सका। इस कारण दावे को अस्वीकार किया जा सकता है एवं ₹ 28.93 करोड़ मूल्य के अनुदान की हानि हो सकती है।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि जयपुर डिस्कॉम ने भूमिगत केबिल का उपयोग वहां किया जहां रास्ते के अधिकार की बाधाओं, एनएचएआई क्रॉसिंग आदि के के कारण ओवरहेड लाइन का निर्माण संभव नहीं था। इसने आगे कहा कि प्रकरण को एसएलएससी की अनुशंसा के साथ एमसी को दावा स्वीकार करने हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

परियोजनाओं के समापन हेतु उचित एवं समय पर कार्यवाही का अभाव

5.6 परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात, डिस्कॉम्स को निर्धारित प्रारूप में डिस्कॉम्स के प्रधान द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र, जिसमें पूर्णता की दिनांक, अनुमोदित एवं पूर्ण किए गए कार्यों की प्रमुख मदों का विवरण, किसी भी परियोजना के घटक का अपूर्ण या ठंडे बस्ते में डालने का औचित्य, परियोजना के समक्ष व्यय का मदवार विवरण इत्यादि से संबंधित सूचना सम्मिलित हो,प्रस्तुत करना आवश्यक था। अनुदान की अंतिम किश्त यथा पात्र अनुदान घटक का 10 प्रतिशत जारी किए जाने हेतु आरईसी को परियोजना पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जोधपुर डिस्कॉम्स की सभी 10 परियोजनाएं एवं जयपुर डिस्कॉम्स की कुल 12 परियोजनाओं में से नौ परियोजनाएं क्रमशः जनवरी 2019 एवं जुलाई 2020 तथा मार्च 2020 एवं अक्टूबर 2020 के मध्य पूर्ण हो गई थी। तथापि, इन पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के परियोजना पूर्णता प्रमाण पत्र आरईसी को सारभूत अवधि[69] व्यतीत हो जाने के पश्चात प्रस्तुत नहीं किए गए थे (दिसम्बर 2020 तक)। साथ ही, अजमेर डिस्कॉम की 11 परियोजनाएं दिसम्बर 2020 तक चालू थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि परियोजना पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने में विलंब का मुख्य कारण अनुमोदित एवं निष्पादित बीओक्यू में व्यापक भिन्नता थी जिसके कारण जयपुर डिस्कॉम में नौ परियोजनाओं में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होना पाया गया था, जबकि जोधपुर डिस्कॉम्स में एक परियोजना में भी कार्यवाही शुरू नहीं हुई थी। परिणामस्वरूप, अनुदान की अंतिम किश्त में भी इस सीमा तक विलंब हुआ था।

इस प्रकार, परियोजनाओं के समापन हेतु उचित एवं सामयिक कार्यवाही के अभाव के कारण एमओपी द्वारा अनुदान जारी करने में विलम्ब हुआ।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि परियोजनाओं के समापन से पूर्व कार्यों के कार्यक्षेत्र में एवं अंतिम बीओक्यू में भिन्नता के लिए एसएलएससी का अनुमोदन आवश्यक था। इसने आगे कहा कि अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स में आरक्यूएम की अनुपालना भी लंबित हैं। इसलिए, इन दो डिस्कॉम्स में परियोजनाओं के समापन में कुछ समय लगेगा, जबकि जयपुर डिस्कॉम्स में समापन औपचारिकताएं सितम्बर 2021 तक पूर्ण करने की उम्मीद थी। तथापि, समापन प्रस्ताव आरईसी को प्रस्तुत किए जाने एवं उनका अनुमोदन प्रतीक्षित था (जनवरी 2022)।

अनुदान की कम प्राप्ति

5.7 डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि अनुदान घटक का 90 प्रतिशत तीन चरणों में जारी किया जाना था यथा; परियोजना के अनुमोदन, एलओए को प्रदान करना एवं पूर्व में दो चरणों में जारी अनुदान के 90 प्रतिशत के उपयोग के साथ-साथ डिस्कॉम्स के योगदान का 100 प्रतिशत जारी करना। देय अनुदान एवं एमओपी द्वारा जारी किए गये अनुदान का विवरण **अनुबंध-5** में दर्शाया गया है:

अनुबंध से यह देखा जा सकता है कि सभी तीनों डिस्कॉम्स को परियोजनाओं पर किए गए व्यय के अनुपात में अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था एवं इस प्रकार उन्हें योजना दिशानिर्देश के अनुसार

---

69 जोधपुर डिस्कॉम एवं जयपुर डिस्कॉम के प्रकरण में विलंब क्रमशः 102 दिवसों से 721 दिवसों के मध्य एवं 77 दिवसों से 296 दिवसों के मध्य था।

₹ 774.39 करोड़ का ऋण लेने के पश्चात एवं देय अनुदान के अतिरिक्त अपनी स्वयं की निधियों का विनियोजन करना पड़ा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजनाओं के प्रदान करने की लागत में उनके अंश का 10 प्रतिशत अर्थात ₹ 267.11 करोड़ के समक्ष, डिस्कॉम्स ने अब तक ₹ 769.42 करोड़ (28.80 प्रतिशत) अर्थात अपेक्षित अंश के आधिक्य में ₹ 502.31 करोड़[70], का विनियोजन किया था, जिसमें से ₹ 86.87 करोड़ अनुदान की गैर/कम प्राप्ति से संबंधित है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एमओपी द्वारा अनुदान जारी नहीं किए जाने का मुख्य कारण, आरईसी को दावे प्रस्तुत करते समय आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने में डिस्कॉम्स की विफलता थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि आरईसी ने डिस्कॉम्स को अनिवार्य शर्तें[71] प्रस्तुत करने के लिए कहा (जनवरी 2019) जिससे कि अनुदान जारी किए जाने के दावों पर प्रक्रियागत किया जा सके। साथ ही, पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं हेतु वित्तीय समापन प्रक्रिया सारभूत अवधि[72] व्यतीत हो जाने के उपरांत भी प्रारंभ नहीं की गई थी।

इस प्रकार, अनिवार्य औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं करने/अनुदान जारी करने हेतु दावों को प्रस्तुत करते समय अपेक्षित दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के साथ-साथ परियोजनाओं के वित्तीय समापन में अत्यधिक विलंब की परिणीति अनुदान की प्राप्ति नहीं/कम प्राप्ति के रूप में हुई।

सरकार ने कहा कि डीडीयूजीजेवाई को मार्च 2021 तक बढा दिया गया था एवं परियोजना कार्य समय पर पूर्ण कर लिए गये थे। इसने आगे कहा कि समापन भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण होने अपेक्षित थे।

तथ्य यह रहा कि परियोजना कार्यो के पूर्ण होने के उपरांत भी डिस्कॉम्स परियोजनाओं के समयबद्व वित्तीय समापन को सुनिश्चित नहीं कर सके।

अतिरिक्त अनुदान

5.8 डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, एक अतिरिक्त अनुदान अर्थात ऋण घटक का 50 प्रतिशत का प्रावधान था बशर्ते कि निर्धारित माइलस्टोन्स यथा (i) योजना को समय पर पूर्ण किया जाना, (ii) एमओपी द्वारा राज्य सरकारों (डिस्कॉम्स-वार) के परामर्श से अंतिम रूप दिए गये प्रक्षेपवक्र के अनुसार एटीएण्डसी हानियों में कमी एवं एवं (iii) राज्य सरकार द्वारा मीटर उपभोग के आधार पर स्वीकार्य सब्सिडी का अग्रिम भुगतान को प्राप्त किया गया हो।

---

70 जयपुर डिस्कॉम-₹ 147.65 करोड़, अजमेर डिस्कॉम-₹ 180.53 करोड़ एवं जोधपुर डिस्कॉम-₹ 174.13 करोड़।

71 व्यय पर प्रतिवेदन समर्थित पीएमए की अनुशंसा, परियोजनाओं की सामयिक पूर्णता हेतु प्रगति एवं बाधाऐं, पूर्ण/विद्युतीकृत/सौंपे गए गांवों की सूची, तैयार ढांचा यथा स्थापित अवसंरचना सहित सब-स्टेशनों की सूची अर्थात डीटीआर संख्या, क्षमता, एचटी/एलटी लाइन, गुणवत्ता अनुवीक्षक द्वारा अवलोकित विसंगतियों की अनुपालना के संबंध में प्रमाण पत्र, सब्सिडी पर अर्जित ब्याज एवं इसके प्रेषण के विवरण, प्रत्येक परियोजना की जांच सूची, बीओक्यू में संशोधन हेतु प्रस्ताव /पुनर्निर्मित डीपीआर, फीडर पृथक्करण का विवरण इत्यादि

72 जयपुर डिस्कॉम एवं जोधपुर डिस्कॉम के प्रकरण में क्रमशः 77 दिवसों से 296 दिवसों के मध्य एवं 102 दिवसों से 721 दिवसों के मध्य।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी तीनों डिस्कॉम्स निर्धारित माइलस्टोन्स को प्राप्त करने में विफल रहे जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि सभी 33 परियोजनाएं अत्यधिक विलंब (**अनुच्छेद 2.9 में चर्चा की गई**) से पूर्ण हुई थी। साथ ही, एटीएंडसी हानियाँ भी अंतिम रूप दिए गये प्रक्षेपवक्र के अनुसार कम नहीं हुई थी (**अनुच्छेद 2.20 में चर्चा की गई**)। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि राज्य सरकार ने भी कृषि उपभोक्ताओं, बीपीएल एवं लघु घरेलू उपभोक्ताओं से संबंधित टैरिफ सब्सिडी अग्रिम जारी नहीं की थी।

यदि डिस्कॉम्स निर्धारित माइलस्टोन्स को प्राप्त कर लेते, वह ₹ 387.19 करोड़[73] के अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने के पात्र हो जाते।

सरकार ने कहा कि निर्धारित माइलस्टोन्स को प्राप्त कर अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने के सभी प्रयास किये जाएंगे। इसने आगे स्वीकार किया कि हानि कम करने में अंतर बना रहा क्योंकि परियोजना कार्यो के कार्यान्वयन में विलंब हुआ था।

उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि डिस्कॉम्स निर्दिष्ट समय में अतिरिक्त अनुदान की पात्रता हेतु निर्धारित माइलस्टोन्स को प्राप्त करने में विफल रहे थे।

लागत में वृद्धि

5.9 डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, एमसी द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत या मूल्य विचलन, यदि कोई हो, सहित परियोजना की प्रदान की गई लागत, जो भी कम हो, योजना के अंतर्गत अनुदान (अतिरिक्त अनुदान सहित) निर्धारित करने के लिए योग्य लागत थी। साथ ही, एमसी द्वारा परियोजना के अनुमोदन के पश्चात किसी भी कारण से लागत में कोई भी वृद्धि किसी अनुदान हेतु पात्र नहीं थी एवं लागत में वृद्धि डिस्कॉम्स या संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डिस्कॉम्स प्रबंधन लागत में वृद्धि को टालने हेतु सतर्क नहीं था एवं परिणामस्वरूप परियोजनाएं प्रदान की गई लागत के भीतर पूर्ण नहीं की जा सकीं। साथ ही, डिस्कॉम्स परियोजनाओं के वित्तीय समापन को भी पूर्ण नहीं कर सके थे एवं इसलिए लेखापरीक्षा पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं में वास्तविक लागत वृद्धि का आंकलन नहीं कर सका। तथापि, 31 दिसंबर 2020 तक किए गए व्यय को ध्यान में रखते हुए 19 परियोजनाओं में, प्रदान की गई लागत पर मूल्य विचलन दावा अनुमत्य किए जाने के पश्चात, ₹ 187.51 करोड़ की लागत वृद्धि थी, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका संख्या 5.2

लागत वृद्धि के साथ पूर्ण हुई परियोजनाओं का विवरण

क्रमांक	परियोजना	प्रदान लागत	वास्तविक व्यय	लागत में वृद्धि
अ	**जयपुर डिस्कॉम**			
1	अलवर	141.77	146.72	4.95
2	बांरा	38.54	45.19	6.65
3	दौसा	71.72	82.74	11.02

73 जयपुर डिस्कॉम-₹ 132.57 करोड़, अजमेर डिस्कॉम-₹ 119.04 करोड़ एवं जोधपुर डिस्कॉम-₹ 135.58 करोड़।

4	झालावाड	54.02	65.64	11.62
5	कोटा	31.05	39.57	8.52
6	टोंक	61.64	63.42	1.78
	कुल अ	**398.74**	**443.28**	**44.54**
ब	**अजमेर डिस्कॉम**			
1	बांसवाडा	140.05	163.71	23.66
2	भीलवाडा	50.02	57.15	7.13
3	चित्तौडगढ	36.27	39.20	2.93
4	डूंगरपुर	74.05	91.42	17.37
5	नागौर	65.21	67.52	2.31
6	सीकर	69.76	72.40	2.64
7	उदयपुर	190.36	210.35	19.99
	कुल ब	**625.72**	**701.75**	**76.03**
स	**जोधपुर डिस्कॉम**			
1	बाड़मेर	457.51	489.37	31.86
2	बीकानेर	65.32	72.55	7.23
3	गंगानगर	17.31	26.98	9.67
4	हनुमानगढ़	57.37	61.32	3.95
5	जालौर	56.29	67.96	11.67
6	पाली	26.93	29.49	2.56
	कुल स	**680.73**	**747.67**	**66.94**
	कुल योग (अ +ब+ स)	**1705.19**	**1892.70**	**187.51**

लेखापरीक्षा ने देखा कि लागत में वृद्धि के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण डीपीआर तैयार किए जाने से पूर्व क्षेत्र सर्वेक्षण के अभाव के साथ-साथ ठेकेदारों, जिन्हे परियोजनाएं प्रदान की गई थी, द्वारा टुकड़ों में सर्वेक्षण किया जाना था जिसके कारण बीओक्यू में बार-बार संशोधन के उदाहरण देखे गए थे। साथ ही, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत परिकल्पित एवं अनुमोदित कार्यों में व्यापक कमी के उपरांत भी, डिस्कॉम्स प्रदान की गई लागत के भीतर परियोजनाओं को पूर्ण करने में सक्षम नहीं थे।

सरकार ने कहा कि जयपुर डिस्कॉम्स में समग्र रूप से लागत में वृद्धि नहीं हुई। इसने आगे कहा कि जोधपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स में, जिन परियोजनाओं में व्यय प्रदान की गई लागत से अधिक था, संशोधित बीओक्यू को लागत वृद्धि के वैध कारणों के साथ अनुमोदन के लिए एसएलएससी को प्रस्तुत किया जाएगा।

उत्तर ने प्रदान की गई लागत की तुलना में लागत में वृद्धि के मुद्दे को संबोधित नहीं किया गया था एवं तथ्य यह रहा कि डिस्कॉम्स संबंधित परियोजनाओं की प्रदान की गई लागत की सीमा के भीतर वास्तविक व्यय को रखना सुनिश्चित नहीं कर सके। इसके अलावा, लागत परियोजना-वार स्वीकृत की गई थी ना कि डिस्कॉम्स-वार, इसलिए, जैसा कि योजना दिशानिर्देश में वर्णित है, एमसी द्वारा परियोजना के अनुमोदन के पश्चात लागत से अधिक व्यय किसी अनुदान हेतु पात्र

नहीं होगा। अतः प्रदान की गई लागत से अधिक व्यय को डिस्कॉम्स/राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा।

अव्ययित अनुदान पर अर्जित ब्याज को जमा नहीं करवाना

5.10 डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों में डिस्कॉम्स को कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग अपनाने का प्रावधान है एवं ठेकेदारों व अन्य को परियोजना से संबंधित सभी भुगतान सीधे समर्पित बैंक खाते से किए जाने थे। खाते की प्रकृति सीएलटीडी (कॉर्पोरेट तरल सावधि जमा) सुविधा[74] के साथ चालू खाता होनी थी। साथ ही, डीडीयूजीजेवाई की पूंजीगत सब्सिडी/अनुदान पर अर्जित किसी भी ब्याज को नियमित आधार पर एवं तिमाही में कम से कम एक बार एमओपी के बैंक खाते में जमा करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम्स को डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अप्रयुक्त निधि पर अर्जित ब्याज पर बैंक द्वारा स्रोत पर कर की कटौती के संबंध में आयकर विभाग से छूट प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता थी। तथापि, बैंक द्वारा टीडीएस की कटौती के प्रकरण में, डिस्कॉम्स को वार्षिक कर विवरण दाखिल करते समय सीधे आयकर विभाग से कटौती की गई राशि की वापसी का दावा करना आवश्यक था एवं इसे एमओपी के खाते में जमा करना था।

अनुदान पर अर्जित ब्याज, बैंक द्वारा टीडीएस, धन वापसी के किये गये दावे आंकलन की स्थिति एवं एमओपी के बैंक खाते में जमा करवाने का विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका संख्या 5.3

अनुदान भाग पर अर्जित ब्याज, टीडीएस, धनवापसी एवं प्रेषण की स्थिति का विवरण

(राशि ₹ में)

डिस्कॉम	वित्तीय वर्ष	अनुदान पर अर्जित ब्याज	बैंक द्वारा कुल टीडीएस	एमओपी को धनवापसी का प्रेषण	धनवापसी के दावे की राशि	आंकलन/ धनवापसी की स्थिति (हां/नहीं)
जयपुर	2017-18	7070931	707470	-	707470	नहीं
	2018-19	11505817	1150759	6363461 (दिसम्बर 2018) 6353253 (फरवरी 2019)	1150759	नहीं
	2019-20	1831559	183607	1756819 (जून 2019) 400343 (जनवरी 2020) 421531 (जून 2020)	183607	नहीं
	कुल	**20408307**	**2041836**	**15295407**	**2041836**	
अजमेर	2017-18	0	0	3846258 (अक्टूबर 2018/टीडीएस सहित)	0	-

74 सीएलटीडी चालू खाता एवं सावधि जमा का संयोजन है। जब तब चालू खाते का शेष एक निश्चित राशि से अधिक होता है, आधिक्य राशि निष्क्रिय धन पर ब्याज अर्जन के लिए सावधि जमा खाते में हस्तांतरित (स्वीप) हो जाती है।

	2018-19	9456015	1164372		1164372	हां
	2019-20	5341718	534172		534172	नहीं
	कुल	**14797733**	**1698544**	**3846258**	**1698544**	
जोधपुर	2017-18	2928815	292881	-	292881	हां
	2018-19	5536832	0	-	0	-
	2019-20	2061850	434904	8465647 (सितम्बर 2019/टीडीएस सहित)		
				2061850 (जून 2020/टीडीएस सहित)	434904	नहीं
	कुल	**10527497**	**727785**	**10527497**	**727785**	

स्रोतः डिस्कॉम्स के बैंक विवरण, आईटी विवरणी एवं कर निर्धारण अभिलेख।

प्रत्येक डिस्कॉम्स के समर्पित बैंक खातों के माध्यम से किए गए संचालनों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित कमियां प्रकट हुईः

- किसी भी डिस्कॉम ने अर्जित ब्याज को त्रैमासिक आधार पर एमओपी को जमा नहीं करवाया।
- जहाँ जयपुर डिस्कॉम ने ₹ 2.04 करोड़ के अर्जित ब्याज राशि के समक्ष ₹ 1.53 करोड़ (टीडीएस को छोड़कर) का ब्याज जमा करवाए, जोधपुर डिस्कॉम ने संबंधित बैंक द्वारा कटौती किए गये टीडीएस पर विचार किए बिना ₹ 1.05 करोड़ की सम्पूर्ण ब्याज राशि जमा करवायी। अजमेर डिस्कॉम ने 2018-20 के दौरान अर्जित ₹1.48 करोड़ के समक्ष केवल ₹ 0.38 करोड़ (टीडीएस सहित) जमा करवाए।
- अजमेर डिस्कॉम ने मार्च 2018 तक सीएलटीडी सुविधा नहीं ली थी एवं तदनुसार, अक्टूबर 2017 से मार्च 2018 के दौरान अधिशेष निधि (₹ 96.95 करोड़ तक) की उपलब्धता होने पर भी बैंक द्वारा ब्याज जमा नहीं किया गया था।
- डिस्कॉम्स ने स्रोत पर कर की कटौती नहीं किए जाने हेतु आयकर विभाग से छूट प्राप्त करने के लिए कदम नहीं उठाए थे एवं इसलिए संबंधित बैंकों ने अव्ययित शेषों पर अर्जित ब्याज पर टीडीएस की कटौती की।

सरकार ने कहा कि जयपुर डिस्कॉम ने आयकर विभाग से टीडीएस की कटौती से छूट प्राप्त की थी एवं अजमेर डिस्कॉम्स द्वारा 2018-20 के दौरान अर्जित ब्याज की बकाया राशि दिसम्बर 2020 में जमा करवायी गई थी।

उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि जयपुर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स के मामलों में, क्रमशः आयकर विभाग से छूट प्राप्त किए जाने एवं एमओपी को ब्याज जमा किए जाने के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज उत्तर के साथ प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

साथ ही, तथ्य यह रहा कि अजमेर डिस्कॉम ने चालू खाते पर प्रारंभ से सीएलटीडी सुविधा नहीं ली थी। चूंकि जोधपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स ने कर छूट लिए बिना सकल ब्याज जमा करवाया,

दोनो डिस्कॉम्स टीडीएस के रूप में कटौती की गई राशि को तब तक वहन करना पड़ेगा जब तक कि वह कर छूट प्राप्त करें एवं धनवापसी प्राप्त करेंगें।

निष्कर्ष

- डिस्कॉम्स ने अनुदान किश्तें जारी किए जाने हेतु दावे अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत किये। साथ ही, दावे आवश्यक दस्तावेजों/औपचारिकताओं जैसे त्रिपक्षीय करारों का निष्पादन, पीएमए की नियुक्ति, डीईसी की अनुशंसाऐं सिफारिशों, अन्य मापदण्डों की अनुपालना यथा आरईसी द्वारा अवलोकित गुणवत्ता दोषों के सुधार का प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी), लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, ब्याज जमा करवाना, आदि के साथ समर्थित नहीं थे।
- अनुदान की गणना/दावा करने की प्रणाली दोषपूर्ण थी क्योंकि दावे एसजीएसटी की अमान्यता होने के उपरांत भी इसे सम्मिलित कर किए गये थे।
- परियोजनाओं के कार्य पूर्ण होने के उपरांत भी जयपुर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स द्वारा समापन औपचारिकताएं प्रारंभ नहीं की गई थी।
- डिस्कॉम्स को परियोजनाओं को प्रदान की गई लागत से अधिक व्यय किए जाने के कारण लागत वृद्धि वहन करनी पड़ी।

सिफारिशें

डिस्कॉम्स को योजनाओं का लाभ लेने एवं समय पर निधियों की प्राप्ति हेतु सभी औपचारिकताओं को वास्तविक समय में पूर्ण करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए।

अध्याय–VI

लाभार्थी सर्वेक्षण

अध्याय VI

लाभार्थी सर्वेक्षण

6.1 डीडीयूजीजेवाई के परिकल्पित उद्देश्यों की उपलब्धि के आंकलन हेतु, परियोजनाओं के निष्पादन से संबंधित अभिलेखों की विस्तृत समीक्षा के अतिरिक्त, तीनों डिस्कॉम्स की नौ चयनित परियोजनाओं में एक लाभार्थी सर्वेक्षण भी किया गया था।

सर्वेक्षण हेतु अपनाई गई कार्यप्रणाली

6.2 लाभार्थी सर्वेक्षण किए जाने के लिए बस्तियों एवं गृहों/लाभार्थियों के चयन हेतु अपनाई गई कार्यप्रणाली का विवरण **अनुबंध-1** में दिया गया है। लेखापरीक्षा ने लाभार्थी सर्वेक्षण हेतु एक प्रश्नावली भी तैयार की एवं डिस्कॉम्स के प्रतिनिधियों के साथ सर्वेक्षण किया गया।

सर्वेक्षण परिणाम

6.3 तदानुसार, लाभार्थी सर्वेक्षण में 566 गृहों/लाभार्थियों को सम्मिलित किया जाना परिकल्पित किया गया था। तथापि, डीपीआर में विद्युतीकरण हेतु परिकल्पित गृहों की संख्या एवं योजना के अंतर्गत वास्तविक रुप से विद्युतीकृत गृहों की संख्या में भारी अंतर के कारण मात्र 418 गृहों/लाभार्थियों का ही सर्वेक्षण किया जा सका, जैसा कि नीचे सारणीबद्ध है

तालिका संख्या 6.1

डीपीआर में विद्युतीकरण हेतु परिकल्पित एवं चयनित परियोजनाओं में वास्तव में विद्युतीकृत बस्तियों/गृहों का विवरण

डिस्कॉम	चयनित परियोजना/ वृत्त	डीपीआर में सम्मिलित एवं लाभार्थी सर्वेक्षण हेतु चयनित एचए/गांव/एचएच		डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत वास्तव में विद्युतीकृत एचए/ गांव/एचएच में किया गया लाभार्थी सर्वेक्षण		पूर्व में ही विद्युतीकृत/ अन्य योजनाओं के अंतर्गत विद्युतीकृत एचए	लाभार्थी सर्वेक्षण हेतु उसी गांव की अन्य बस्ती से सम्मिलित किए गए गृह	
		एचए	एचएच	एचए	एचएच		एचए	एचएच
जयपुर	बूंदी	10	51	3	8	7	5	49
	टोंक	10	42	2	14	8	7	49
	भरतपुर	10	59	5	37	5	2	13
	कुल (ए)	**30**	**152**	**10**	**59**	**20**	**14**	**111**
अजमेर	अजमेर	10	38	0	0	10	3	11
	सीकर	10	70	0	0	10	5	50
	बांसवाड़ा	10	100	6	55	4	1	10
	कुल (बी)	**30**	**208**	**6**	**55**	**24**	**9**	**71**
जोधपुर	पाली	3	20	0	0	3	3	17
	जालौर	10	90	2	14	8	5	32
	बाड़मेर	10	96	5	49	5	1	10
	कुल (सी)	**23**	**206**	**7**	**63**	**16**	**9**	**59**
कुल योग (ए+बी+सी)		**83**	**566**	**23**	**177**	**60**	**32**	**241**

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि डिस्कॉम्स ने परियोजनाओं की डीपीआर तैयार किए जाने से पूर्व विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया था एवं इस प्रकार पूर्व में ही विद्युतीकृत गांवों/बस्तियों/गृहों को सम्मिलित किया गया था। परिणामस्वरूप, लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत उन्हीं गांवों की 32 अन्य बस्तियों से 241 गृहों का सर्वेक्षण किया जहाँ डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य किए गये थे जबकि शेष 28 बस्तियों में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य नहीं किए गए थे।

विभिन्न मानकों पर लाभार्थी सर्वेक्षण के परिणाम **अनुबंध-7** में दिए गए हैं एवं नीचे चर्चा की गई है:

जागरूकता

6.4 एक योजना एवं उसके वांछित लाभों के बारे में जागरूकता संभावित लाभार्थियों को इसके कार्यान्वयन में रुचि लेने में सहायता करती है एवं उन्हें इसके रखरखाव एवं प्रबंधन में बेहतर शासन के लिए अभिप्रेरित कर सकती है। डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों में भी योजना के कार्यान्वयन के लिए डिस्कॉम स्तर पर एक समर्पित दल गठित करने एवं एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने की परिकल्पना की गई थी। समर्पित दल एवं नोडल अधिकारी, अन्य बातों के साथ, परियोजना क्षेत्रों में जागरूकता के स्तर को बढ़ाने तथा जनता एवं जन प्रतिनिधियों की शिकायतों के निवारण के लिए उत्तरदायी थे। तत्पश्चात, राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग ने भी डिस्कॉम्स को जागरूकता उत्पन्न करने एवं 100 प्रतिशत घरेलू विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान आयोजित करने का निर्देश दिया (जनवरी 2019)।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम ने डीडीयूजीजेवाई के बारे में ग्रामीण जनसंख्या को जागरूक करने हेतु पर्याप्त अभियान नहीं चलाया जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट संख्या 6.1

ग्राम स्तर पर चलाए जा रहे किसी जागरूकता अभियान के संबंध में लाभार्थियों के मध्य जागरूकता

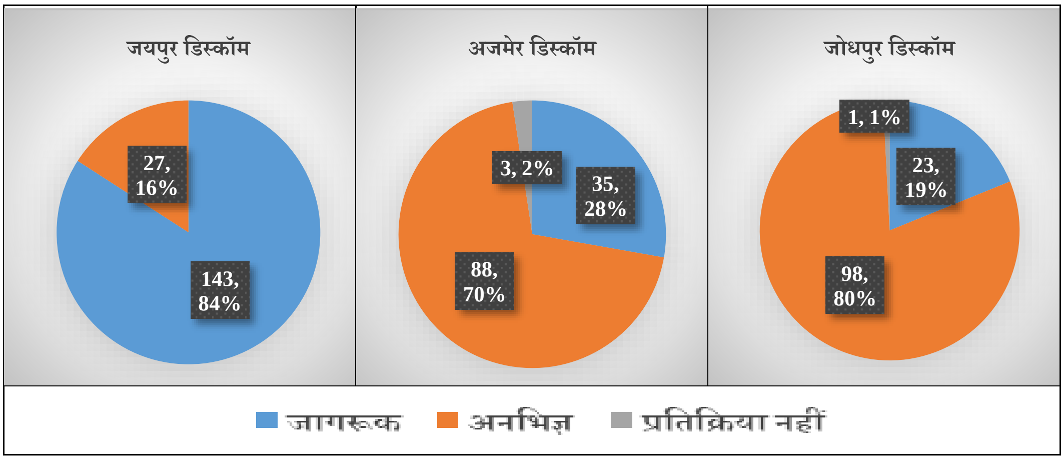

सर्वेक्षण के दौरान, 50.96 प्रतिशत लाभार्थियों ने उत्तर दिया कि उन्हें डीडीयूजीजेवाई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ग्राम स्तर पर डिस्कॉम द्वारा आयोजित किसी भी अभियान के बारे में जानकारी नहीं थी।

बीपीएल को विद्युतीकरण किट प्रदान करना एवं सामग्री की गुणवत्ता

6.5 आरईसी, राज्य सरकार एवं डिस्कॉम्स के मध्य 'त्रिपक्षीय करार' की शर्तों के अनुसार, बीपीएल लाभार्थियों को वितरण पैनल, एलईडी, एमसीबी, सर्विस लाइन के लिए मेटल रॉड एवं अर्थिंग रॉड इत्यादि सहित एक किट निशुल्क प्रदान किया जाना था। डिस्कॉम्स का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया था क्योंकि कई बीपीएल लाभार्थियों ने किट की एक या अधिक मदें प्रदान नहीं किए जाने के बारे में प्रतिक्रिया दी थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट संख्या: 6.2

बीपीएल लाभार्थियों को किट सामग्री उपलब्ध कराना

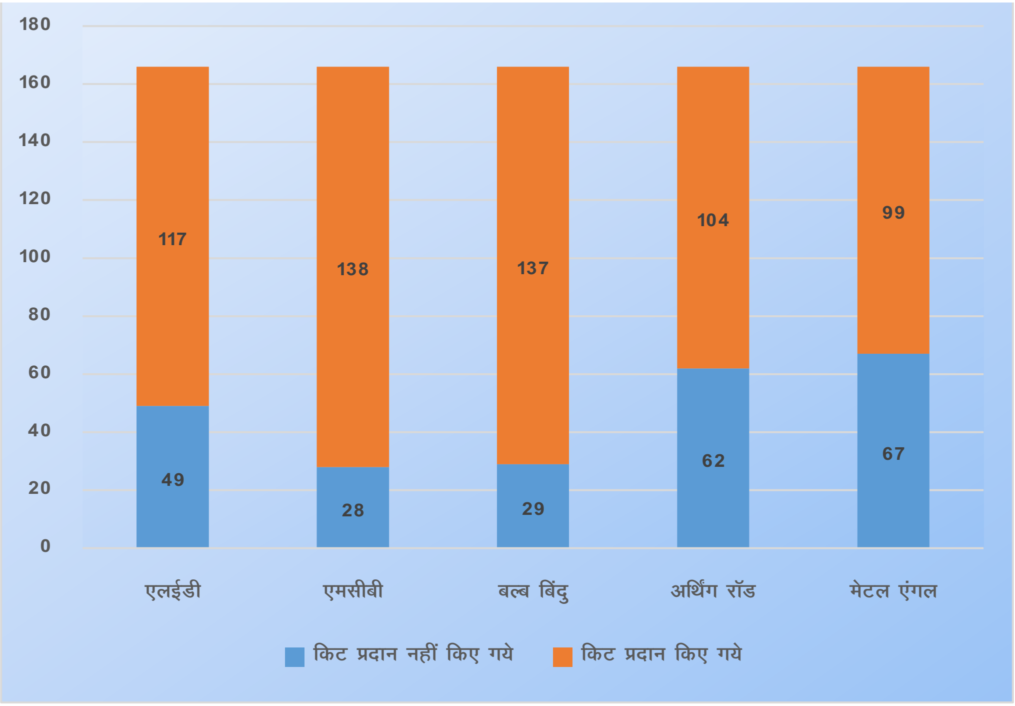

लेखापरीक्षा ने सामग्री की गुणवत्ता पर भी बीपीएल लाभार्थियों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त की जैसा कि **अनुबंध-7 (ब)** में दर्शाया गया है। सर्वेक्षण परिणामों ने दर्शाया कि डिस्कॉम्स का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था क्योंकि बीपीएल लाभार्थियों के 166 प्रकरणों में से 99 प्रकरणों में किट सामग्री टूटी हुई स्थिति में पायी गई थी।

लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान पायी गई सामग्री की खराब गुणवत्ता वाली/टूटी हुई किट के कुछ उदाहरण नीचे दर्शाए गए हैं:

किट की टूटी हुई मदें

इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम्स ने लाभार्थी के घर के बाहर बीपीएल किट लगाए, जिससे किट सीधे धूप एवं वर्षा के पानी के संपर्क में आई। इसके परिणामस्वरूप भी किट की मदें क्षतिग्रस्त एवं खराब हुई।

सीधी धूप एवं वर्षा से प्रभावित बीपीएल किट एवं मीटर

निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता

6.6 सर्वेक्षण के दौरान, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत निष्पादित कार्यों में विभिन्न कमियां जैसे कम/नीची सर्विस लाइन, सर्विस लाइन में जोड़, असंबद्ध सर्विस लाइन, बिना सील के मीटर, टूटा हुआ मीटर कवर, अकार्यरत मीटर डिस्प्ले, खंभे पर मीटर, क्षतिग्रस्त मीटर, मीटर से निर्गम तार का असंबद्ध होना, अनुपयुक्त अर्थिंग, खंभे पर स्टे वायर का नहीं होना/ढीला होना, ट्रांसफॉर्मर खंभे पर अनुपयुक्त अर्थिंग इत्यादि भी देखे गए थे। चयनित परियोजनाओं में देखी गई कमियों का सार निम्नानुसार है:

तालिका संख्या 6.2

निष्पादित कार्यों में कमियां

परियोजना	लाभार्थियों की संख्या	पाई गई कमियां						
		कोई भी एक कमी	सर्विस लाइन	मीटर	अर्थिंग	खंभे	अन्य	अवसंरचना पर अंकन
भरतपुर	50	50	0	2	50	0	0	0
बूंदी	57	57	0	5	57	4	2	3
टोंक	63	63	1	40	63	3	0	0
अजमेर	11	9	0	2	8	0	2	2
बांसवाड़ा	65	37	1	19	21	1	6	3
सीकर	50	46	2	42	45	1	1	9
बाड़मेर	59	59	0	0	59	0	0	0
जालोर	46	46	0	0	46	0	0	2
पाली	17	16	0	0	16	0	0	0
कुल	**418**	**383**	**4**	**110**	**365**	**9**	**11**	**19**

यह देखा जा सकता है कि सर्वेक्षण किए गए लाभार्थियों के 90 प्रतिशत से अधिक ने कम से कम एक या अधिक कमियों की शिकायत की। कमियों की इतनी उच्च दर दर्शाती है कि न केवल ठेकेदारों द्वारा निष्पादित कार्य निम्न स्तरीय पाया गया था अपितु पीएमए भी अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करने में विफल रहे।

सर्वेक्षण के दौरान पाई गई कमियों के कुछ उदाहरण नीचे दर्शाये गए हैं:

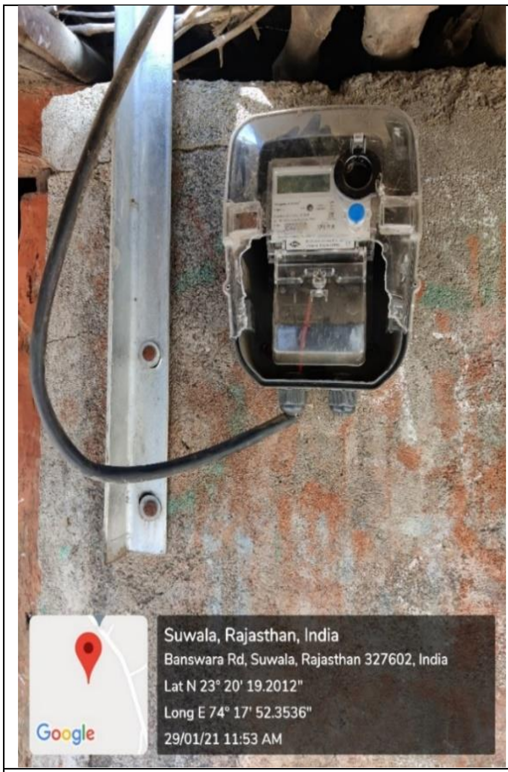

टूटा हुआ मीटर कवर एवं आपूर्ति का कोई आउटपुट नहीं

ढीला स्टे वायर

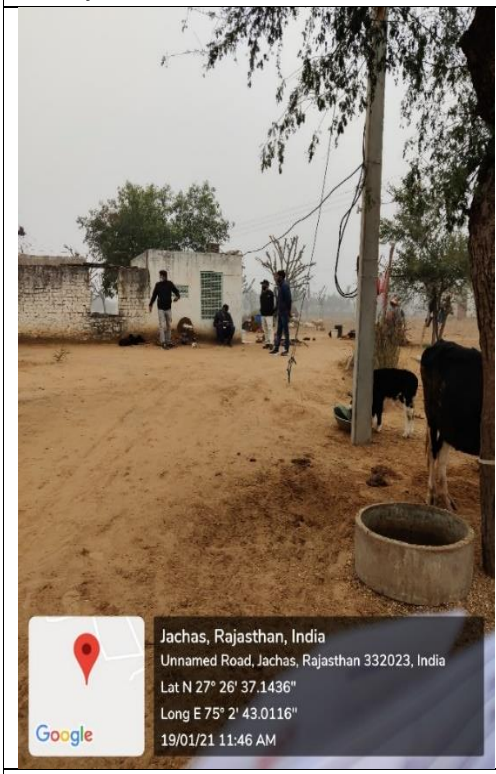

सीकर जिले में सर्विस केबल बहुत नीची एवं लाभार्थी के मुख्य घर तक नहीं थी

टोंक जिले में खंभों पर लगे मीटर

टोंक जिले में खंभों पर बिना पहुंच के मीटर

खंभे में झुकाव

चोरी हुए ट्रांसफार्मर को नहीं बदला

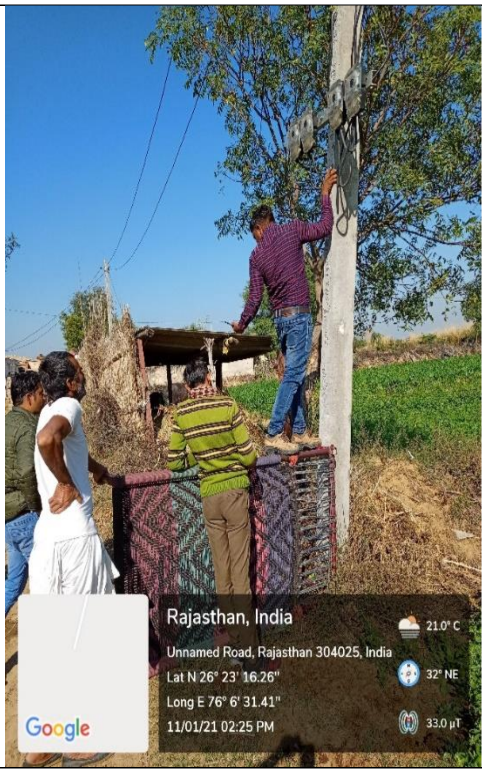

खंभों पर लगे दुर्गम मीटर

एक चयनित परियोजना (बांसवाड़ा) में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कनेक्शन जारी करने हेतु, इस तथ्य के उपरान्त भी कि क्षेत्र में आवश्यक अवसंरचना पूर्व में ही विद्यमान थी, अजमेर डिस्कॉम ने नई अवसंरचना (लाइन एवं खंभे) तैयार की, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

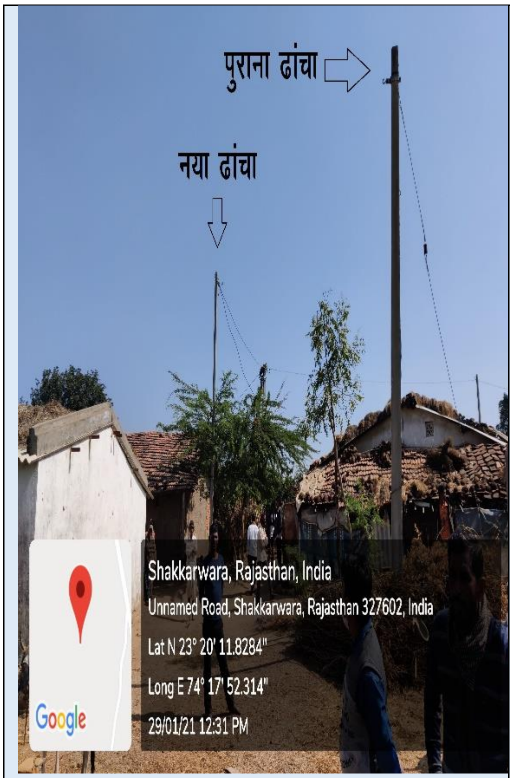
पुराना ढांचा
नया ढांचा
Shakkarwara, Rajasthan, India
Unnamed Road, Shakkarwara, Rajasthan 327602, India
Lat N 23° 20' 11.8284"
Long E 74° 17' 52.314"
29/01/21 12:31 PM

नया ढांचा
पुराना ढांचा
Gatroad, Rajasthan, India
MDR22, Gatroad, Rajasthan 327031, India
Lat N 23° 21' 47.862"
Long E 74° 0' 42.282"
02/02/21 12:22 PM

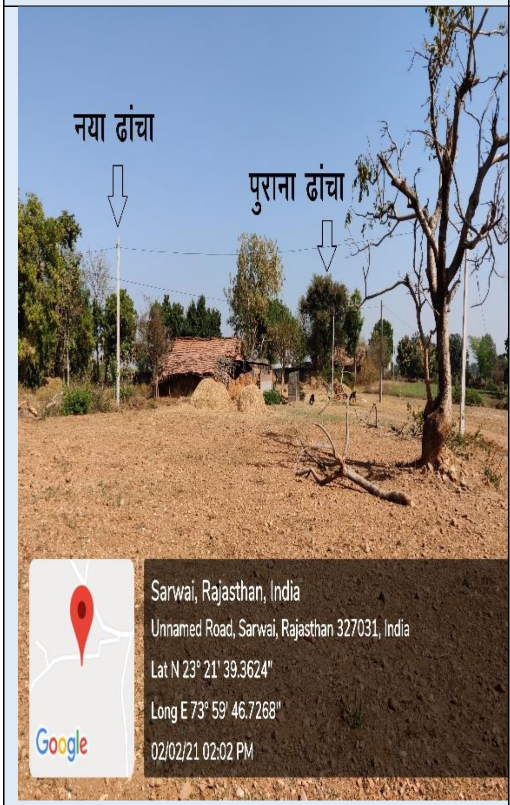
नया ढांचा
पुराना ढांचा
Sarwai, Rajasthan, India
Unnamed Road, Sarwai, Rajasthan 327031, India
Lat N 23° 21' 39.3624"
Long E 73° 59' 46.7268"
02/02/21 02:02 PM

पुराना ढांचा
नया ढांचा
Shakkarwara, Rajasthan, India
Unnamed Road, Shakkarwara, Rajasthan 327602, India
Lat N 23° 20' 10.5972"
Long E 74° 17' 46.7016"
29/01/21 01:43 PM

बिलिंग दक्षता

6.7 मीटर रीडिंग लेने, बिल जारी करने एवं जारी किए गए बिलों की शुद्धता के संबंध में डिस्कॉम्स की दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए भी लाभार्थियों की प्रतिक्रिया प्राप्त की गई थी।

परिणामों से उजागर हुआ कि डिस्कॉम्स ने लाभार्थियों को बिल वितरण करने हेतु पर्याप्त व्यवस्था नहीं की क्योंकि 418 लाभार्थियों में से 160 ने प्रतिक्रिया दी कि बिल लाभार्थियों के परिसर तक नहीं पहुंचाए जा रहे थे एवं वे स्वयं डिस्कॉम के कार्यालयों एवं अन्य स्थानों से बिल एकत्र कर रहे थे। डिस्कॉम वार स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

चार्ट संख्या 6.3

लाभार्थियों को विद्युत बिलों का वितरण

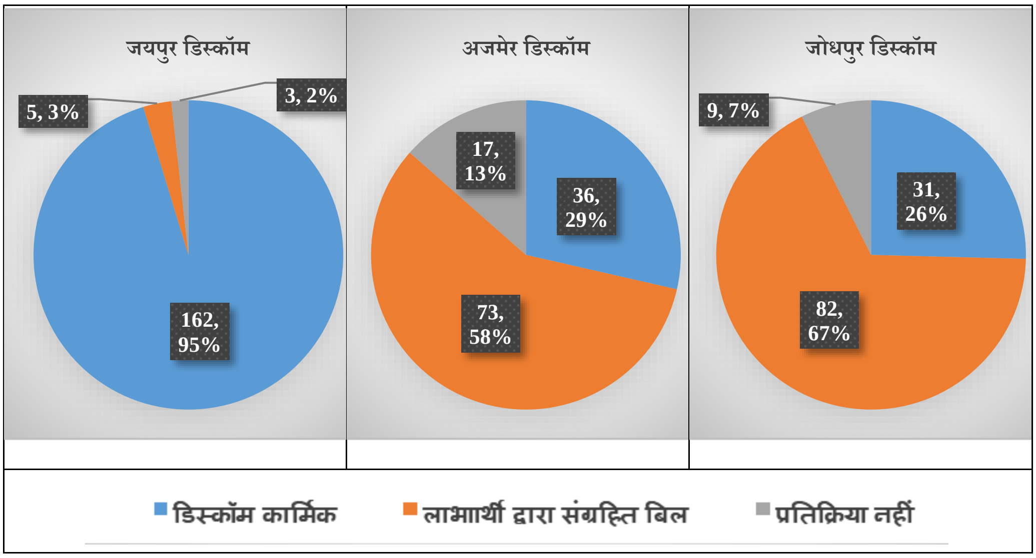

साथ ही, मीटर पठन की सटीकता एवं सही बिल जारी किए जाने के संबंध में डिस्कॉम्स का प्रदर्शन अच्छा नहीं पाया गया था क्योंकि सर्वेक्षण के दौरान मीटर पठन से अधिक के बिल जारी करने के मामले पाये गए थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट संख्या 6.4

वास्तविक पठन से अधिक बिल की गई इकाइयां

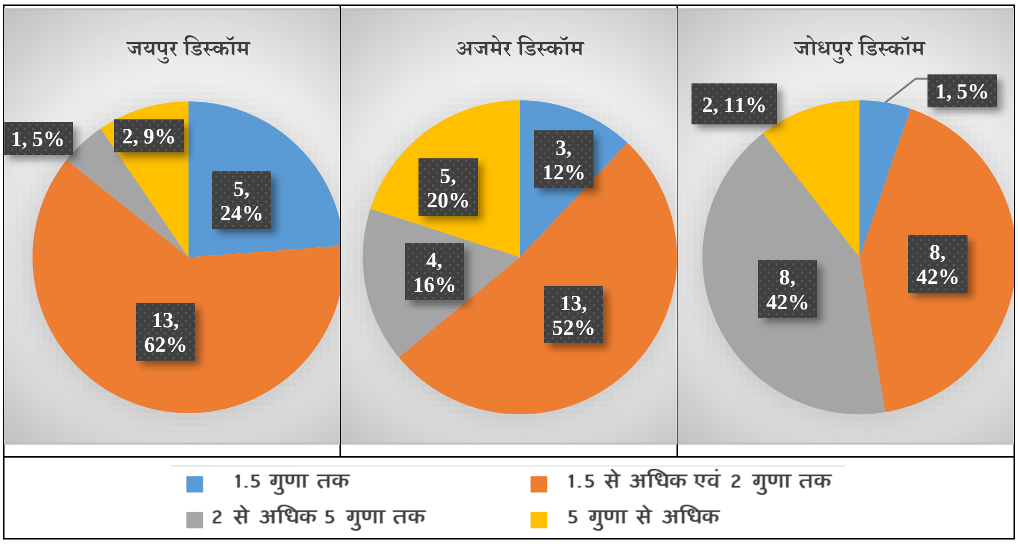

यह पाया गया था कि सर्वेक्षण किए गये 418 लाभार्थियों में से 65 लाभार्थियों के मामले में डिस्कॉम्स द्वारा बिल किया गया विद्युत का उपभोग सर्वेक्षण के समय मीटर में प्रदर्शित उपभोग पठन से अधिक था।

अशुद्ध एवं असामान्य रूप से उच्च बिलिंग का परिणाम बिलों को जमा नहीं करवाए जाने में हो सकता है एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए उपभोक्ताओं के मामले में विद्युत संबंध विच्छेद हो सकता है।

शिकायतों का निवारण

6.8 सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं से यह भी पता चला कि उपर्युक्त कमियों के उपरान्त भी, उपभोक्ता शिकायतों का निवारण भी संतोषजनक नहीं था क्योंकि 76 लाभार्थियों, जिन्होंने शिकायत दर्ज की थी, में से मात्र 55 लाभार्थियों ने उत्तर दिया कि उनकी शिकायतों पर संतोषजनक ढंग से ध्यान दी गई थी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका संख्या 6.3

शिकायत निवारण की स्थिति

परियोजना	लाभार्थियों की संख्या	उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण		
		की गई शिकायतें	निवारण की गई शिकायतें	
		संख्या	हां	नहीं
भरतपुर	50	3	1	2
बूंदी	57	1	1	0
टोंक	63	12	11	1
अजमेर	11	2	1	1
बांसवाड़ा	65	1	1	0
सीकर	50	1	0	1
बाड़मेर	59	28	12	16
जालोर	46	19	19	0
पाली	17	9	9	0
कुल	**418**	**76**	**55**	**21**

विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता

6.9 डीडीयूजीजेवाई के दिशानिर्देशों में परिकल्पना की गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि उपभोक्ताओं के लिए 24 x 7 विद्युत आपूर्ति के लक्ष्य को उत्तरोत्तर प्राप्त करने के लिए डिस्कॉम्स को विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। सर्वेक्षण की गई चयनित जनसंख्या में गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका संख्या 6.4

गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की स्थिति

परियोजना	लाभार्थियों की संख्या	ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति			
		7-12 घंटे	13-18 घंटे	19-24 घंटे	कोई प्रतिक्रिया नहीं
भरतपुर	50	46	4	0	0
बूंदी	57	0	41	16	0
टोंक	63	0	10	53	0
अजमेर	11	0	2	8	1
बांसवाड़ा	65	15	22	28	0
सीकर	50	0	17	32	1
बाड़मेर	59	0	1	58	0
जालोर	46	14	0	32	0
पाली	17	0	0	16	1
कुल	**418**	**75**	**97**	**243**	**3**

यह देखा जा सकता है कि डिस्कॉम्स योजना में परिकल्पित 24 x 7 विद्युत आपूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके।

सरकार ने कमियों को ठीक करने एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने, बिलिंग दक्षता सुनिश्चित करने, उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय पर निवारण करने आदि के प्रयास करने का आश्वासन दिया।

निष्कर्ष

सर्वेक्षित नमूने में किए गये लाभार्थी सर्वेक्षण के परिणामों ने राज्य में डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियों को उजागर किया

- परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने से पूर्व विस्तृत सर्वेक्षण के अभाव के कारण अवास्तविक/अविश्वसनीय आंकड़ों पर गांव/लाभार्थियों की पहचान/आंकलन हुआ।
- लाभार्थियों को योजना के बारे में जागरूक किए जाने हेतु पर्याप्त जागरूकता कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था।
- टूल किट की समस्त सामग्री या तो प्रदान नहीं की गई थी अथवा क्षतिग्रस्त दशा में पायी गई थी।
- गलत बिलिंग एवं लाभार्थियों की शिकायतों का निवारण न करने के प्रकरण देखे गए थे।

सिफारिशें

डिस्कॉम्स को चाहिये कि

- **योजनाओं के क्रियान्वयन से पहले लाभार्थियों की पहचान करने के लिए एक तंत्र विकसित करे।**
- **गलत बिलिंग एवं शिकायतों के निवारण नहीं किए जाने से बचने के लिए प्रणाली को संस्थागत एवं सुदृढ़ बनाए।**
- **निष्पादित कार्यों की कमियों को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाए।**

जयपुर — **(अतूर्वा सिन्हा)**

दिनांक 28 सितम्बर 2022 — महालेखाकार

(लेखापरीक्षा-II), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली — **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**

दिनांक 29 सितम्बर 2022 — भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुबंध

अनुबंध- 1

(पृष्ठ संख्या 5 पर अनुच्छेद संख्या 1.7 एवं पृष्ठ संख्या 85 पर अनुच्छेद संख्या 6.2 में संदर्भित)

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु नमूने का चयन

अ विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु परियोजनाओं का नमूना

राज्य के 33 जिलों में विद्युत वितरण हेतु राज्य में तीन डिस्कॉम्स (जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर) हैं। सभी तीनों डिस्कॉम्स का स्वामित्व एवं नियंत्रण राजस्थान सरकार के पास है। डिस्कॉम्स ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 33 परियोजनाओं (अर्थात प्रत्येक जिले हेतु एक परियोजना) को तैयार एवं अनुमोदित किया था। राज्य के तीनों डिस्कॉम्स द्वारा प्रस्तुत 33 परियोजनाओं हेतु निगरानी समिति, एमओपी, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत ₹ 23.46 करोड़ एवं ₹ 469.84 करोड़ के मध्य थी।

उपरोक्त को देखते हुए दो प्रकार के स्तर अर्थात भौगोलिक स्तर एवं वित्तीय स्तर तैयार किए गए थे। सम्पूर्ण राज्य में योजना के कार्यान्वयन का कवरेज सुनिश्चित करने हेतु भौगोलिक आधार पर स्तर तैयार किए गए थे। अतः नमूने के चयन के दौरान, प्रत्येक डिस्कॉम से तीन परियोजनाएं चयन की गई थी।

इसी प्रकार, डीपीआर में अनुमोदित परियोजनाओं के मूल्य के आधार पर परियोजनाओं को सम्मिलित करने हेतु वित्तीय स्तर तैयार किए गए थे एवं तदनुसार, तीन उप-स्तर (अर्थात ₹ 50 करोड़ तक, ₹ 50 करोड़ से ₹ 100 करोड़ एवं ₹ 100 करोड़ एवं अधिक अनुमोदित परियोजना लागत वाली परियोजनाएं) तैयार किए गए थे एवं प्रत्येक डिस्कॉम के प्रत्येक उप-स्तर से एक परियोजना का चयन किया गया था। इस प्रकार, कुल नौ परियोजनाओं का चयन किया गया था एवं इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा संबंधित वृत्त कार्यालयों में की गई है।

नौ परियोजनाओं के नमूने से संबंधित डिस्कॉम वार विवरण नीचे दिया गया है:

डिस्कॉम	परियोजनाओं की कुल संख्या	चयनित परियोजनाओं की संख्या	सभी परियोजनाओं की स्वीकृत परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	प्रासंगिक स्तर का नाम एवं प्रकार	चयनित परियोजनाओं की स्वीकृत परियोजना लागत (₹ करोड़ में)
भौतिक स्तर			वित्तीय स्तर		
जयपुर डिस्कॉम	12	3	1027.08	1. बूंदी (₹ 50 करोड़ तक); 2. टोंक (₹50 करोड़ से ₹100 करोड़); एवं 3. भरतपुर (₹ 100 करोड़ एवं अधिक)	208.16
अजमेर डिस्कॉम	11	3	829.35	1. अजमेर (₹ 50 करोड़ तक); 2. सीकर (₹ 50 करोड़ से ₹ 100 करोड़); एवं 3. बांसवाड़ा (₹ 100 करोड़ एवं अधिक)	244.73
जोधपुर डिस्कॉम	10	3	948.95	1. पाली (₹ 50 करोड़ तक); 2. जालोर (₹ 50 करोड़ से ₹ 100 करोड़); एवं	568.53

				3. बाड़मेर (₹ 100 करोड़ एवं अधिक)	
कुल*	**33**	**9**	**2805.38**		**1021.42**
पीएमए शुल्क**	लागू नहीं	लागू नहीं	14.03		**5.11**
कुल योग	**33**	**9**	**2819.41**		**1026.53**
चयन का प्रतिशत		**27.27**			**36.41**

*** पीएमए शुल्कों के अतिरिक्त**

**** पीएमए शुल्क परियोजना लागत का 0.50 प्रतिशत था**

ब. लाभार्थी सर्वेक्षण करने हेतु बस्तियों एवं घरों/लाभार्थियों का नमूना चयन

चयनित परियोजनाओं के अनुमोदन एवं निष्पादन से संबंधित अभिलेखों की विस्तृत समीक्षा के अतिरिक्त, डीडीयूजीजेवाई में परिकल्पित उद्देश्यों की उपलब्धि का आंकलन करने हेतु एक लाभार्थी सर्वेक्षण किया गया था। लाभार्थी सर्वेक्षण में विद्युतीकरण हेतु डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत आने वाले घरों/लाभार्थियों को सम्मिलित किया गया था। चूंकि परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) में राजस्व गांव[75] के अंतर्गत विद्युतीकृत किए जाने वाले ग्रामीण घरों को बस्ती-वार सम्मिलित कर निर्दिष्ट किया गया, इसलिये बस्ती-वार लाभार्थियों/ग्रामीण घर चयन किए गये थे।

नौ चयनित वृत्तों/परियोजनाओं की डीपीआर में 16811 बस्तियों के अंतर्गत 374127 ग्रामीण घरों के विद्युतीकरण की परिकल्पना की गई। बस्तियों एवं ग्रामीण घरों की वृहद संख्या में होने एवं मानवशक्ति तथा समयसीमा की बाधा को ध्यान में रखते हुए, चयनित नौ परियोजनाओं में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत सम्मिलित बस्तियों के साथ-साथ घरों में से एक नमूना चयन किया गया था, जैसा की नीचे दिया गया है:

- प्रतिस्थापन किए बिना स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना चयन (एसआरएसडब्ल्यूओआर) पद्धति को अपना कर प्रत्येक चयनित परियोजना (एक परियोजना अर्थात पाली के अतिरिक्त जहां योजना के अंतर्गत सम्मिलित की गई सभी तीन बस्तियों का चयन किया गया था क्योंकि सम्मिलित की गई कुल बस्तियों की संख्या 10 से कम थी) से 10 बस्तियों चयन की गई थी। इस प्रकार, 1093 घरों/लाभार्थियों वाली कुल 83 बस्तियों चयन की गई थी।
- चूंकि इन चयनित बस्तियों के अंतर्गत सम्मिलित घरों की संख्या एक से 150 के मध्य थी, इसलिए जहां चयनित बस्ती में योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए गए घरों की संख्या 10 या अधिक थी उन बस्तियों में 10 घर चयन किए गये थे। साथ ही, जहां चयनित बस्तियों में योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए गए घरों की संख्या 10 से कम थी उन बस्तियों में सभी घरों का चयन किया गया था। चयनित बस्तियों से संबंधित कुल 1093 लाभार्थियों में से कुल 566 घरों/लाभार्थी को लाभार्थी सर्वेक्षण में सम्मिलित किए गये थे।

75 राजस्व ग्राम एक छोटा प्रशासनिक क्षेत्र, परिभाषित सीमाओं वाला गाँव है। एक राजस्व गाँव में एक या अधिक बस्तियाँ (अर्थात परिवारों का समूह) हो सकती हैं।

योजना के अंतर्गत सम्मिलित की गई बस्तियों एवं घरों की कुल संख्या, लाभार्थी सर्वेक्षण के लिए चयनित बस्तियों की संख्या एवं चयनित बस्तियों से सम्मिलित घरों एवं चयनित घरों की संख्या का डिस्कॉम वार एवं परियोजना-वार विवरण नीचे दिया गया है:

(आंकड़े संख्या में)

डिस्कॉम	चयनित परियोजना / वृत्त	परियोजना का कुल कवरेज		लाभार्थी सर्वेक्षण हेतु चयनित बस्तियां	चयनित बस्तियों हेतु योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए गए घर	
		बस्तियाँ	घर		कुल	लाभार्थी सर्वेक्षण कुल चयनित
जेवीवीएनएल	बूंदी	18	98	10	51	51
	टोंक	140	1033	10	42	42
	भरतपुर	256	2317	10	61	59
	उप-योग (1)	**414**	**3448**	**30**	**154**	**152**
एवीवीएनएल	अजमेर	350	1618	10	38	38
	सीकर	484	3184	10	70	70
	बांसवाड़ा	2397	78624	10	381	100
	उप-योग (2)	**3231**	**83426**	**30**	**489**	**208**
जेडीवीवीएनएल	पाली	3	20	3	20	20
	जालोर	2372	42756	10	153	90
	बाड़मेर	10791	244477	10	277	96
	उप-योग (3)	**13166**	**287253**	**23**	**450**	**206**
समग्र योग (1+2+3)		**16811**	**374127**	**83**	**1093**	**566**

अनुबंध-2

(पृष्ठ संख्या 13 पर अनुच्छेद संख्या 2.8 में संदर्भित)

डिस्कॉम्स द्वारा अनुबंधों को प्रदान करने एवं परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलंब को दर्शाने वाला विवरण-पत्र (दिसम्बर 2020 को)

डिस्कॉम	क्र. सं.	परियोजना का नाम	एसएलएससी को डीपीआर प्रस्तुतिकरण की तिथि	एसएलएससी द्वारा अनुमोदन की तिथि	आरईसी को ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण की तिथि	एमसी के अनुमोदन की तिथि	एलओए जारी करने की तिथि	परियोजना को प्रदान करने में विलंब	परियोजना के पूर्ण होने की प्रगति		
									पूर्ण होने की तिथि	समापन की तिथि	पूर्ण होने में विलंब
जयपुर	1	अलवर (लॉट-I)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	10-03-2017	276	11-03-2020	लंबित	367
		अलवर (लॉट-II)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	10-03-2017	276	16-03-2020	लंबित	372
	2	बांरा	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	10-03-2017	276	30-09-2020	लंबित	570
	3	भरतपुर	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	27-01-2017	234	31.03.2021	लंबित	794
	4	बूंदी	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	10-03-2017	276	20-03-2020	23.09.2021	376
	5	दौसा	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	02-12-2016	178	11-07-2020	लंबित	587
	6	धौलपुर	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	10-03-2017	276	14.07.2021	लंबित	857
	7	जयपुर (लॉट-I)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	02-12-2016	178	25-12-2019	लंबित	388
		जयपुर (लॉट-II)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	06-02-2017	244	20-03-2020	लंबित	408
		जयपुर (लॉट-III)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	18-11-2016	164	10-03-2020	लंबित	478
		जयपुर (लॉट-IV)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	06-02-2017	244	10-03-2020	लंबित	398
	8	झालावाड़	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	10-03-2017	276	30-06-2020	23.09.2021	478
	9	करौली	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	10-03-2017	276	31.12.2020	23.09.2021	662
	10	कोटा	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	10-03-2017	276	21-03-2020	25.08.2021	377
	11	सवाईमाधोपुर	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	27-01-2017	234	15.10.2020	25.08.2021	627
	12	टोंक	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	27-01-2017	234	22-06-2020	25.08.2021	512
अजमेर	13	अजमेर	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	24-03-2017	290	31.03.2021	लंबित	738
	14	बांसवाड़ा(लॉट-I)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	28-03-2017	294	31.03.2021	लंबित	734
		बांसवाड़ा(लॉट-II)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	28-03-2017	294	31.03.2021	लंबित	734
	15	भीलवाड़ा	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	28-03-2017	294	31.03.2021	लंबित	734
	16	चित्तौडगढ	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	21-04-2017	318	31.03.2021	लंबित	710
	17	डूंगरपुर	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	30-03-2017	296	31.03.2021	लंबित	732
	18	झुंझुनु	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	21-03-2017	287	31.03.2021	लंबित	741
	19	नागौर	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	28-03-2017	294	31.03.2021	लंबित	734
	20	प्रतापगढ़	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	17-03-2017	283	31.03.2021	लंबित	745

डिस्कॉम	क्र. सं.	परियोजना का नाम	एसएलएससी को डीपीआर प्रस्तुतिकरण की तिथि	एसएलएससी द्वारा अनुमोदन की तिथि	आरईसी को ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण की तिथि	एमसी के अनुमोदन की तिथि	एलओए जारी करने की तिथि	परियोजना को प्रदान करने में विलंब	परियोजना के पूर्ण होने की प्रगति		
									पूर्ण होने की तिथि	समापन की तिथि	पूर्ण होने में विलंब
	21	राजसमंद	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	17-03-2017	283	31.03.2021	लंबित	745
	22	सीकर	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	28-03-2017	294	31.03.2021	लंबित	734
	23	उदयपुर (लॉट-I)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	04-05-2017	331	31.03.2021	लंबित	697
		उदयपुर (लॉट-II)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	10-03-2017	276	31.03.2021	लंबित	752
		उदयपुर (लॉट-III)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	04-05-2017	331	31.03.2021	लंबित	697
जोधपुर	24	बाड़मेर (लॉट-I)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	14-03-2017	280	14-07-2020	01.10.2021	488
		बाड़मेर (लॉट-II)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	03-03-2017	269	31-07-2020		516
		बाड़मेर (लॉट-III)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	14-03-2017	280	11-09-2019		181
		बाड़मेर (लॉट-IV)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	14-03-2017	280	11-09-2019		181
		बाड़मेर (लॉट-V)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	07-02-2017	245	01-04-2019		53
		बाड़मेर (लॉट-VI)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	03-02-2017	241	01-06-2019		118
		बाड़मेर (लॉट-VII)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	14-03-2017	280	16-04-2019		33
	25	बीकारने	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	07-02-2017	245	22-03-2020	23.09.2021	409
	26	चूरू	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	25-01-2017	232	19-07-2019	23.09.2021	175
	27	श्रीगंगानगर	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	25-05-2017	352	25-11-2019	01.10.2021	184
	28	हनुमानगढ़	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	25-01-2017	232	20-09-2020	01.10.2021	604
	29	जैसलमेर	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	09-12-2016	185	31-03-2019	23.09.2021	112
	30	जालोर	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	22-02-2017	260	31-03-2020	23.09.2021	403
	31	जोधपुर (लॉट-I)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	22-12-2016	198	20-05-2019	01.10.2021	149
		जोधपुर (लॉट-II)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	22-12-2016	198	23-03-2020	01.10.2021	457
	32	पाली	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	22-12-2016	198	10-01-2019	23.09.2021	19
	33	सिरोही	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	17-02-2017	255	03-03-2020	01.10.2021	380

अनुबंध-3

(पृष्ठ संख्या 16 पर अनुच्छेद संख्या 2.11 में संदर्भित)

डिस्कॉम-वार स्वीकृत/प्रदान किए गए भौतिक कार्यो के साथ-साथ वास्तविक पूर्णता का 31 मार्च 2021 तक का विवरण

क्र. सं.	विवरण	इकाई	जयपुर डिस्कॉम		अजमेर डिस्कॉम		जोधपुर डिस्कॉम		राजस्थान	
			स्वीकृत एवं प्रदान किये गये	वास्तविक पूर्णता	स्वीकृत एवं प्रदान किये गये	वास्तविक पूर्णता	स्वीकृत एवं प्रदान किये गये	वास्तविक पूर्णता	स्वीकृत एवं प्रदान किये गये	वास्तविक पूर्णता
1	33/11 केवी नये सब-स्टेशन	संख्या	107	117	85	96	16	17	208	230
2	विद्यमान सब-स्टेशनों का आवर्धन	संख्या	0	0	0	75	5	5	5	80
3	वितरण ट्रांसफॉर्मर्स	संख्या	8831	18840	12036	23167	18217	33086	39084	75093
4	फीडर पृथक्करण	संख्या	1351	992	769	325	431	181	2551	1498
5	एलटी लाईन	सीकेएम	3805.58	4613.81	7087.97	14334.58	11789.45	25331.36	22683.00	44279.75
6	11 केवी लाईन	सीकेएम	5623.98	3146.83	5338.52	5218.61	10451.93	11390	21414.43	19755.44
7	33 एवं 66 केवी लाईन	सीकेएम	966.00	960.82	818.70	701.64	146.00	89.46	1930.70	1751.92
8	ऊर्जा मीटर-उपभोक्ता	संख्या	290065	138084	397055	217409	274707	234345	961827	589838
9	ऊर्जा मीटर- 11 केवी फीडर	संख्या	3235	1380	2740	679	2587	123	8562	2182

अनुबंध-4

(पृष्ठ संख्या 68 पर अनुच्छेद संख्या 4.11 में संदर्भित)

ग्राम विद्युतीकरण, सब-स्टेशन (एसएस) एवं फीडर के संबंध में 'गंभीर' एवं 'प्रमुख' के अन्तर्गत वर्गीकृत दोषों को दर्शाने वाला विवरण पत्र

ग्राम/फीडर निरीक्षण
गंभीरः (एचटी/एलटी) – ओवरहेड कंडक्टर का उचित तनाव; सड़क/नदी/लाईन क्रॉसिंग पर क्रेडल गार्ड; जल भराव क्षेत्र किन्तु कोई सीमेंट ग्राउटिंग नहीं; इन्सुलेटर की उचित बाईंडिंग; प्रत्येक खंभे पर अर्थिंग; क्रैडल गार्डिंग हेतु सड़क/लाईन के दोनों ओर पृथक अर्थिंग।   **गंभीरः (सर्विस कनेक्शन)–** सर्विस केबिल के तनाव सहित ग्राउंड क्लीयरेंस; सर्विस केबिलों पर जोड़; एक आईएसआई मार्क्ड 16 ए क्षमता वाला डबल पोल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर; आरई नियमों के अनुसार अर्थ टर्मिनल; घर के अंदर स्विच बोर्ड एवं लैंप।   **प्रमुखः (एचटी/एलटी)–** क्रॉस आर्म्स का झुकना; 11 केवी लाइन का संरेखण; खंभो की गहराई; डबल खंभों पर क्रॉस-ब्रेसिंग; पीसीसी खंभों की फिनिशिंग एवं खंभे की सतह पर दिखाई देने वाला स्टील वायर; खंभे की लंबवतता; टर्निंग बकल्स; थिम्बल्स; ग्राउटिंग एवं सरफेस फिनिश; वितरण बॉक्स; एलटी लाइन का संरेखण; खंभे की गहराई; योजना के नाम सहित खंभें की पहचान; खंभे की लंबवतता; पीसीसी खंभों की फिनिशिंग, खंभे की सतह पर भौतिक क्षति एवं खंभे की सतह पर दिखाई देने वाला स्टील वायर; लाईन में इंसुलेटरों पर तनाव/टूटे हुए इंसुलेटर; स्टे सेट पर तनाव, गे इंसुलेटर,टर्न बकल, थिम्बल्स जैसी मदों की स्थापना; ग्राउटिंग एवं सरफेस फिनिश; स्टील संरचना पर उचित पुताई/गैल्वनाइजिंग।   **प्रमुखः (सर्विस कनेक्शन) —** 2 ट्विन कोर पीवीसी इंसुलेटेड केबल्स एल्यूमीनियम कंडक्टर सहित की सर्विस केबल का आकार 2.5/4 मिमी से कम है; खंभें एवं घर के बीच 3.15 एमएम (10 एसडब्ल्यूजी) जीआई वायर (55-95 किग्रा गुणवत्ता) का बियरर वायर; सिंगल फेज स्टेटिक ऊर्जा मीटर; शीट मेटल या फाइबरग्लास प्रकार का बना मीटर कवर बॉक्स; मीटर बोर्ड (200X250X40एमएम); एक 9 वाट पिन प्रकार का एलईडी लैंप; सर्विस सपोर्ट- जीआई पाइप जे-आकार का जो 25 एमएम व्यास मध्यम वर्ग या पीवीसी पाइप के साथ एमएस एंगल से निर्मित हो; विनिर्देशों के अनुसार स्विच बोर्ड एवं एंगल होल्डर के मध्य आंतरिक घरेलू वायरिंग एवं सहायक उपकरण प्रदान किए गए हैं; एक आईएसआई मार्क्ड 3-पिन सॉकेट 5 ए, 240 वोल्ट; एक आईएसआई मार्क्ड एंगल बैकलाइट/प्लास्टिक होल्डर 5ए 240 वोल्ट।   **प्रमुखः मीटर की स्थापना**- अर्थ टर्मिनल से अर्थिंग वायर कनेक्शन; सतह स्तर से मीटर बोर्ड की ऊंचाई, अर्थ टर्मिनल एवं **अर्थ पिट के बीच नेक्ड जीआई अर्थ वायर; ऊर्जा मीटर– सीधी धूप एवं वर्षा के पानी के संपर्क में।**
सब स्टेशन (एसएस)
गंभीरः सीमेंट कंक्रीट में एसएस नींव; एसएस में टूटा हुआ इंसुलेटर पाया गया; स्टील ओवरहेड स्ट्रक्चर की 8 एसडब्ल्यूजी वायर/जी.आई. फ्लैट का उपयोग करके उचित प्रकार से अर्थिंग की गई; अर्थिंग के तारों की स्थिति एवं टर्मिनल बिंदुओं पर उनका कनेक्शन; ट्रांसफॉर्मर न्यूट्रल के लिए दो पृथक अर्थिंग; लाइटनिंग अरेस्टर पर पृथक अर्थिंग; उपकरण बॉडी अर्थिंग हेतु पृथक अर्थिंग; ट्रांसफार्मर की बॉडी पर दिखाई देता तेल रिसाव एवं स्थिति; तेल का स्तर; लाइटनिंग अरेस्टर।   **प्रमुखः** वितरण ट्रांसफार्मर एसएस तक सुरक्षित एवं पर्याप्त पहुंच; एसएस सपोर्ट की लंबवतता; स्टे सेट पर तनाव, गॉय इंसुलेटर, टर्निंग बकल, थिम्बल्स जैसे मद की स्थापना; ग्राउटिंग एवं सरफेस फिनिश; पीसीसी खंभों की फिनिश सतह; तीन मिट्टी के गड्ढे एक दूसरे से 3 मी दूरी पर; तीन मिट्टी के गड्ढों का परस्पर संबंध; स्टील संरचनाओं पर पुताई/गैल्वनाइजिंग; एसएस साइन-बोर्ड; डीओ फ्यूज पर बैरल; ट्रांसफार्मर पर ब्रीदर; सिलिका जेल का रंग; एलटीडीबी की उपलब्धता; स्वीकृत ड्राइंग एवं विनिर्देशों के अनुसार इनकमर एलटीडीबी सुरक्षा उपकरण; एलटी ब्रशिंग एवं एलटीडीबी एवं आइसोलेटर्स के मध्य विद्युत केबल का पर्याप्त आकार।

अनुबंध-5

(पृष्ठ संख्या 73 पर अनुच्छेद संख्या 5.1 एवं पृष्ठ संख्या 78 पर अनुच्छेद संख्या 5.7 में संदर्भित)

परियोजना-वार स्वीकृत, प्रदान की गई लागत के साथ-साथ ही 31 दिसंबर 2020 तक किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र सं	विवरण	स्वीकृत लागत	प्रदान की गई लागत	डिस्कॉम का अंश	ऋण	अनुदान	वास्तविक व्यय	एसजीएसटी	शुद्ध वास्तविक व्यय	प्राप्त ऋण	कुल पात्र अनुदान*	पात्र अनुदान का 90%**	प्राप्त अनुदान	अनुदान की कम प्राप्ति
	जयपुर													
1	अलवर	148.16	136.33	13.63	40.90	81.80	146.72	11.19	135.53	39.98	81.32	73.19	64.76	8.43
2	बारां	39.76	36.90	3.69	11.07	22.14	45.19	3.45	41.74	10.52	22.14	19.93	17.53	2.40
3	बूंदी	43.90	39.96	4.00	11.98	23.98	33.31	2.54	30.77	11.50	18.46	16.62	18.98	-2.36
4	दौसा	74.62	68.11	6.81	20.43	40.87	82.74	6.31	76.43	22.25	40.87	36.78	32.35	4.43
5	जयपुर	342.14	320.26	32.03	96.07	192.16	319.71	24.38	295.33	86.58	177.20	159.47	152.13	7.34
6	झालावाड़	56.66	52.22	5.22	15.67	31.33	65.64	5.01	60.63	13.63	31.33	28.20	24.81	3.39
7	कोटा	32.51	29.95	2.99	8.99	17.97	39.57	3.02	36.55	9.15	17.97	16.17	14.23	1.94
8	सवाई माधोपुर	45.07	43.64	4.36	13.10	26.18	35.90	2.74	33.16	10.40	19.90	17.91	19.42	-1.51
9	टोंक	59.71	58.35	5.84	17.50	35.01	63.42	4.84	58.58	16.24	35.00	31.50	27.72	3.78
10	भरतपुर	104.55	101.72	10.17	30.52	61.03	91.53	6.98	84.55	25.81	50.73	45.66	49.87	-4.21
11	धौलपुर	43.11	42.96	4.30	12.89	25.77	21.23	1.62	19.61	9.71	11.77	10.59	21.06	-10.47
12	करौली	36.89	35.28	3.53	10.58	21.17	24.56	1.87	22.69	9.38	13.61	12.25	17.29	-5.04
	कुल	**1027.08**	**965.68**	**96.57**	**289.70**	**579.41**	**969.52**	**73.95**	**895.57**	**265.15**	**520.30**	**468.27**	**460.15**	**8.12**
	अजमेर													
1	अजमेर	35.26	35.26	3.53	10.57	21.16	34.11	2.60	31.51	9.78	18.90	17.01	16.91	0.10
2	बांसवाड़ा	139.71	140.05	14.00	42.02	84.03	163.71	12.49	151.22	41.59	84.03	75.63	68.65	6.98
3	भीलवाड़ा	50.02	50.02	5.00	15.01	30.01	57.15	4.36	52.79	14.83	30.01	27.01	24.44	2.57
4	चित्तौड़गढ़	36.27	36.27	3.63	10.88	21.76	39.20	2.99	36.21	10.81	21.73	19.55	16.52	3.03
5	डूंगरपुर	74.05	74.05	7.40	22.22	44.43	91.42	6.97	84.45	22.15	44.43	39.99	34.64	5.35
6	झुंझनुं	57.47	57.47	5.75	17.24	34.48	55.32	4.22	51.10	16.41	30.66	27.60	28.21	-0.61
7	नागौर	65.21	65.21	6.52	19.56	39.13	67.52	5.15	62.37	16.64	37.42	33.68	31.63	2.05
8	प्रतापगढ	55.31	55.31	5.53	16.59	33.19	51.40	3.92	47.48	16.58	28.49	25.64	26.11	-0.47
9	राजसमंद	55.92	55.92	5.59	16.78	33.55	52.77	4.03	48.74	11.60	29.24	26.32	26.78	-0.46
10	सीकर	69.76	69.76	6.98	20.92	41.86	72.40	5.52	66.88	20.57	40.13	36.11	31.84	4.27

क्र सं	विवरण	स्वीकृत लागत	प्रदान की गई लागत	डिस्कॉम का अंश	ऋण	अनुदान	वास्तविक व्यय	एसजीएसटी	शुद्ध वास्तविक व्यय	प्राप्त ऋण	कुल पात्र अनुदान*	पात्र अनुदान का 90%**	प्राप्त अनुदान	अनुदान की कम प्राप्ति
11	उदयपुर	190.37	190.36	19.04	57.11	114.22	210.35	16.04	194.31	57.11	114.22	102.80	88.05	14.75
	कुल	**829.35**	**829.68**	**82.97**	**248.90**	**497.81**	**895.35**	**68.29**	**827.06**	**238.07**	**479.26**	**431.34**	**393.78**	**37.56**
	जोधपुर													
1	बाड़मेर	469.84	447.56	44.76	134.26	268.54	489.37	37.32	452.05	138.01	268.54	241.68	221.60	20.08
2	बीकानेर	75.32	64.00	6.40	19.20	38.40	72.55	5.53	67.02	20.99	38.39	34.56	27.25	7.31
3	चूरू	34.17	34.84	3.48	10.46	20.90	32.36	2.47	29.89	9.53	17.94	16.14	14.65	1.49
4	गंगानगर	28.64	16.90	1.69	5.07	10.14	26.98	2.07	24.91	7.71	10.14	9.13	8.41	0.72
5	हनुमानगढ़	58.45	55.41	5.54	16.62	33.25	61.32	4.68	56.64	13.39	33.25	29.92	26.55	3.37
6	जैसलमेर	32.54	31.09	3.11	9.33	18.65	29.02	2.21	26.81	8.31	16.08	14.47	14.92	-0.45
7	जालोर	68.72	54.83	5.48	16.45	32.90	67.96	5.18	62.78	19.51	32.90	29.61	26.04	3.57
8	जोधपुर	127.84	124.35	12.43	37.31	74.61	123.81	9.44	114.37	39.39	68.62	61.76	57.94	3.82
9	पाली	29.97	25.79	2.58	7.74	15.47	29.49	2.25	27.24	8.51	15.47	13.93	12.38	1.55
10	सिरोही	23.46	20.98	2.10	6.29	12.59	19.99	1.52	18.47	5.82	11.08	9.97	10.24	-0.27
	कुल	**948.95**	**875.75**	**87.57**	**262.73**	**525.45**	**952.85**	**72.67**	**880.18**	**271.17**	**512.41**	**461.17**	**419.98**	**41.19**
	समग्र योग	**2805.38**	**2671.11**	**267.11**	**801.33**	**1602.67**	**2817.72**	**214.91**	**2602.81**	**774.39**	**1511.97**	**1360.78**	**1273.91**	**86.87**

***कुल पात्र अनुदान, स्वीकृत लागत अथवा प्रदान की गई लागत अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम है, का 60% है।**

**** परिकलित परियोजना वार**

अनुबंध-6

(पृष्ठ संख्या 74 पर अनुच्छेद संख्या 5.1 में संदर्भित)

एमओपी द्वारा परियोजना वार जारी किये जाने वाले अनुदान विवरण को दर्शाने वालो विवरण पत्र

क्रं. सं.	परियोजना का नाम	दिनांक				दावे की दिनांक				एमसी द्वारा अनुमोदन से दावा दर्ज करने में लिया गया समय		प्राप्ति की दिनांक		अनुदान जारी करने में लिया गया समय		प्राप्ति की दिनांक	
		एमसी का अनुमोदन	त्रिपक्षीय अनुबंध की दिनांक	क्षेत्र पीएमए की नियुक्ति	एलओए जारी करने की दिनांक	प्रथम	द्वितीय	तृतीय (भाग-I)	तृतीय (भाग-II))	प्रथम	द्वितीय	प्रथम	द्वितीय	प्रथम	द्वितीय	तृतीय (भाग-I)	तृतीय (भाग-II)
जयपुर डिस्कॉम																	
1	अलवर	10-12-15	23-05-16	26-05-17	10-03-17	03-08-17	23-01-18	05-01-19	25-03-19	602	319	24-10-17	22-03-18	82	58	23-01-19 व 29-03-19	30-03-19
2	बारां	10-12-15	23-05-16	26-05-17	10-03-17	03-08-17	23-01-18	05-01-19	25-03-19	602	319	24-10-17	22-03-18	82	58		30-03-19
3	भरतपुर	10-12-15	23-05-16	26-05-17	27-01-17	03-08-17	23-01-18	05-01-19	13-03-20	602	361	24-10-17	22-03-18	82	58		26-03-20
4	बूंदी	10-12-15	23-05-16	26-05-17	10-03-17	03-08-17	23-01-18	05-01-19	25-03-19	602	319	24-10-17	22-03-18	82	58		30-03-19
5	दौसा	10-12-15	23-05-16	26-05-17	02-12-16	03-08-17	23-01-18	05-01-19	25-03-19	602	417	24-10-17	22-03-18	82	58		30-03-19
6	धौलपुर	10-12-15	23-05-16	26-05-17	10-03-17	03-08-17	23-01-18	05-01-19	16-04-20	602	319	24-10-17	22-03-18	82	58		30-04-20
7	जयपुर	10-12-15	23-05-16	26-05-17	02-12-16	03-08-17	23-01-18	05-01-19	25-03-19	602	417	24-10-17	22-03-18	82	58		30-03-19
8	झालावाड़	10-12-15	23-05-16	26-05-17	10-03-17	03-08-17	23-01-18	05-01-19	25-03-19	602	319	24-10-17	22-03-18	82	58		30-03-19
9	करौली	10-12-15	23-05-16	26-05-17	10-03-17	06-07-18	06-07-18	13-03-20	16-04-20	939	483	13-08-18	27-08-18	38	52	26-03-20	30-04-20
10	कोटा	10-12-15	23-05-16	26-05-17	10-03-17	03-08-17	23-01-18	05-01-19	25-03-19	602	319	24-10-17	22-03-18	82	58	23-01-19 व 29-03-19	30-03-19
11	सवाई माधोपुर	10-12-15	23-05-16	26-05-17	27-01-17	03-08-17	23-01-18	25-03-19	21-11-19	602	361	24-10-17	22-03-18	82	58	30-03-19	10-01-20
12	टोंक	10-12-15	23-05-16	26-05-17	27-01-17	03-08-17	23-01-18	05-01-19	25-03-19	602	361	24-10-17	22-03-18	82	58	23-01-19 व 29-03-19	30-03-19
अजमेर डिस्कॉम																	
13	अजमेर	10-12-15	23-05-16	26-05-17	24-03-17	26-07-17	12-09-17	19-09-18	19-09-18	594	172	31-10-17	22-03-18	97	191	16-11-18	26-03-19
14	बांसवाड़ा	10-12-15	23-05-16	26-05-17	28-03-17	26-07-17	12-09-17	19-09-18	19-09-18	594	168	31-10-17	22-03-18	97	191		26-03-19
15	भीलवाड़ा	10-12-15	23-05-16	26-05-17	28-03-17	26-07-17	12-09-17	19-09-18	19-09-18	594	168	31-10-17	22-03-18	97	191		26-03-19
16	चित्तौड़गढ़	10-12-15	23-05-16	26-05-17	21-04-17	26-07-17	12-09-17	15-03-19	15-03-19	594	144	31-10-17	22-03-18	97	191	30-03-19	19-07-19
17	डूंगरपुर	10-12-15	23-05-16	26-05-17	30-03-17	26-07-17	12-09-17	15-03-19	15-03-19	594	166	31-10-17	22-03-18	97	191		19-07-19

क्रं. सं.	परियोजना का नाम	दिनांक				दावे की दिनांक				एमसी द्वारा अनुमोदन से दावा दर्ज करने में लिया गया समय		प्राप्ति की दिनांक		अनुदान जारी करने में लिया गया समय		प्राप्ति की दिनांक	
		एमसी का अनुमोदन	त्रिपक्षीय अनुबंध की दिनांक	क्षेत्र पीएमए की नियुक्ति	एलओए जारी करने की दिनांक	प्रथम	द्वितीय	तृतीय (भाग-I)	तृतीय (भाग-II))	प्रथम	द्वितीय	प्रथम	द्वितीय	प्रथम	द्वितीय	तृतीय (भाग-I)	तृतीय (भाग-II)
18	झुंझनुं	10-12-15	23-05-16	26-05-17	21-03-17	26-07-17	12-09-17	19-09-18	19-09-18	594	175	31-10-17	22-03-18	97	191	16-11-18	26-03-19
19	नागौर	10-12-15	23-05-16	26-05-17	28-03-17	26-07-17	12-09-17	19-09-18	19-09-18	594	168	31-10-17	22-03-18	97	191		26-03-19
20	प्रतापगढ	10-12-15	23-05-16	26-05-17	17-03-17	26-07-17	12-09-17	15-03-19	15-03-19	594	179	31-10-17	22-03-18	97	191	30-03-19	16-08-19
21	राजसमंद	10-12-15	23-05-16	26-05-17	17-03-17	26-07-17	12-09-17	15-03-19	15-03-19	594	179	31-10-17	22-03-18	97	191		22-04-19
22	सीकर	10-12-15	23-05-16	26-05-17	28-03-17	26-07-17	12-09-17	19-09-18	19-09-18	594	168	31-10-17	22-03-18	97	191	16-11-18	26-03-19
23	उदयपुर	10-12-15	23-05-16	26-05-17	04-05-17	26-07-17	12-09-17	19-09-18	19-09-18	594	131	31-10-17	22-03-18	97	191		26-03-19
जोधपुर डिस्कॉम																	
24	बाड़मेर	10-12-15	23-05-16	16-03-17	14-03-17	25-05-17	01-02-18	27-09-18	21-12-18	532	324	10-08-17	21-03-18	77	48	29-10-18	04-01-19 व 31-03-20
25	बीकानेर	10-12-15	23-05-16	16-03-17	07-02-17	25-05-17	01-02-18	27-09-18	15-02-19	532	359	10-08-17	21-03-18	77	48		27-03-19 व 31-03-20
26	चूरू	10-12-15	23-05-16	16-03-17	25-01-17	25-05-17	01-02-18	27-09-18	21-12-18	532	372	10-08-17	21-03-18	77	48		04-01-19 व 31-03-20
27	गंगानगर	10-12-15	23-05-16	16-03-17	25-05-17	25-05-17	01-02-18	27-09-18	21-12-18	532	252	10-08-17	21-03-18	77	48		11-01-19 व 31-03-20
28	हनुमानगढ़	10-12-15	23-05-16	16-03-17	25-01-17	25-05-17	01-02-18	27-09-18	15-02-19	532	372	10-08-17	21-03-18	77	48	25-02-19	31-03-20
29	जैसलमेर	10-12-15	23-05-16	16-03-17	09-12-16	25-05-17	01-02-18	27-09-18	21-12-18	532	419	10-08-17	21-03-18	77	48	29-10-18	08-01-19 व 31-03-20
30	जालोर	10-12-15	23-05-16	16-03-17	22-02-17	25-05-17	01-02-18	27-09-18	21-12-18	532	344	10-08-17	21-03-18	77	48		04-01-19 व 31-03-20
31	जोधपुर	10-12-15	23-05-16	16-03-17	22-12-16	25-05-17	01-02-18	27-09-18	21-12-18	532	406	10-08-17	21-03-18	77	48		
32	पाली	10-12-15	23-05-16	16-03-17	22-12-16	25-05-17	01-02-18	27-09-18	21-12-18	532	406	10-08-17	21-03-18	77	48		
33	सिरोही	10-12-15	23-05-16	16-03-17	17-02-17	25-05-17	01-02-18	27-09-18	21-12-18	532	349	10-08-17	21-03-18	77	48		

अनुबंध-7

(पृष्ठ संख्या 86 पर अनुच्छेद संख्या 6.3 एवं पृष्ठ संख्या 87 पर अनुच्छेद संख्या 6.5 में संदर्भित)

लाभार्थी सर्वेक्षण के परिणाम

ए. सर्वेक्षण के अंतर्गत सम्मिलित लाभार्थियों के बीच जागरूकता की स्थिति दर्शाने वाला विवरण (अनुच्छेद 6.4 में संदर्भित)

परियोजना	लाभार्थियों की संख्या	डिस्कॉम द्वारा आयोजित जागरूकता अभियान		
		हां	नहीं	कोई प्रतिक्रिया नहीं
भरतपुर	50	36	14	0
बूंदी	57	48	9	0
टोंक	63	59	4	0
अजमेर	11	1	10	0
बांसवाड़ा	65	20	43	2
सीकर	50	14	35	1
बाड़मेर	59	10	49	0
जालोर	46	0	46	0
पाली	17	13	3	1
योग	**418**	**201**	**213**	**4**

बी. सर्वेक्षण के अंतर्गत सम्मिलित बीपीएल लाभार्थियों को प्रदान की गई किट की मदों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण (अनुच्छेद 6.5 में संदर्भित)

परियोजना	लाभार्थियों की संख्या	बीपीएल लाभार्थियों को किट सामग्री उपलब्ध नहीं करवाना					सर्वेक्षण के दौरान पाए गए टूटे हुए किट
		एलईडी	एमसीबी	बल्ब पॉइन्ट	अर्थिंग रॉड	घातु का एंगल	
भरतपुर	50	5	0	0	6	6	10
बूंदी	57	7	6	6	15	20	23
टोंक	63	5	1	1	10	10	20
अजमेर	11	0	0	0	3	3	4
बांसवाड़ा	65	8	0	1	0	1	28
सीकर	50	3	0	0	5	4	12
बाड़मेर	59	14	14	14	16	16	2
जालौर	46	7	7	7	7	7	0
पाली	17	0	0	0	0	0	0
योग	**418**	**49**	**28**	**29**	**62**	**67**	**99**

सी. सर्वेक्षण के अंतर्गत सम्मिलित लाभार्थियों को विद्युत बिलों के वितरण की स्थिति दर्शाने वाला विवरण (अनुच्छेद 6.7 में संदर्भित)

परियोजना	लाभार्थियों की संख्या	बिल का वितरण		
		डिस्कॉम के कमर्चारी/अनुबंधित कमर्चारी	लाभार्थियों द्वारा स्वयं बिल एकत्र किया जाना	कोई प्रतिक्रिया नहीं
भरतपुर	50	49	0	1
बूंदी	57	53	2	2
टोंक	63	60	3	0
अजमेर	11	2	8	1
बांसवाड़ा	65	24	26	15
सीकर	50	10	39	1
बाड़मेर	59	10	41	8
जालोर	46	21	25	0
पाली	17	0	16	1
योग	**418**	**229**	**160**	**29**

डी. सर्वेक्षण के अंतर्गत सम्मिलित लाभार्थियों की बिलिंग की सटीकता की स्थिति दर्शाने वाला विवरण(अनुच्छेद 6.7 में संदर्भित)

परियोजना	लाभार्थियों की संख्या	वास्तविक रीडिंग से अधिक बिल की गई इकाइयां			
		1.5 गुना तक	1.5 गुना से अधिक एवं 2 गुना तक	2 से अधिक एवं 5 गुना तक	5 गुना से अधिक
भरतपुर	50	0	1	0	0
बूंदी	57	5	10	1	2
टोंक	63	0	2	0	0
अजमेर	11	1	1	0	0
बांसवाड़ा	65	1	11	4	5
सीकर	50	1	1	0	0
बाड़मेर	59	1	5	2	0
जालौर	46	0	2	6	2
पाली	17	0	1	0	0
योग	**418**	**9**	**34**	**13**	**9**

पारिभाषिक शब्दावली

संक्षिप्तीकरण	पूर्ण रूप
एपीएल	गरीबी रेखा से ऊपर
एटीएण्डसी	एकीकृत तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि
बीबीएनएल	भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
बीओडी	निदेशक मंडल
बीओक्यू	मात्रा का बिल
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
बीएसएनएल	भारत संचार निगम लिमिटेड
बीएसआर	मूल अनुसूची दरें
सीईए	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीकेएम	सर्किट किलोमीटर
सीएलपीसी	निगम स्तरीय क्रय समिति
सीक्यूसीबीएस	संयुक्त गुणवत्ता सह लागत आधारित चयन
सीटीएल	केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला
सीवीसी	केंद्रीय सतर्कता आयोग
डीसीएफ	डिस्कॉम्स समन्वय फोरम/मंच
डीडीयूजीजेवाई	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
डीईसी	जिला विद्युत समिति
डिलोयट	डिलॉइट टूशे तोहमात्सु इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
डीआई	प्रेषण निर्देश
डिस्कॉम	वितरण कंपनी
डीपीआर	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
डीएसएम	मांग पक्ष प्रबंधन
डीटी/डीटीआर	वितरण ट्रांसफार्मर
एफआईपीएल	फीडबैक इंफ्रा प्राईवेट लिमिटेड
एफआई	वित्तीय संस्थान
एफक्यूपी	क्षेत्र गुणवत्ता योजना
एफवाई	वित्तीय वर्ष
जीसीसी	संविदा की सामान्य शर्तें
जीएफआर	सामान्य वित्तीय नियम
जीओआई	भारत सरकार
जीओआर	राजस्थान सरकार
जीपीएस	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
जीएसएस	ग्रिड सब स्टेशन

जीटीपी	गारंटीकृत तकनीकी मानदंड
जीटीपी	गारंटीकृत तकनीकी विवरण
एचए	बस्ती/घर
एचएच	परिवार/घर
एचओ	प्रधान कार्यालय
एचपी	अश्वशक्ति
एचटी	उच्च तनाव
एचवीडीएस	उच्च वोल्टेज वितरण तंत्र
आईपीडीएस	एकीकृत विद्युत विकास योजना
केवी	किलो वोल्ट
केवीए	किलो वोल्ट एम्पीयर
एलओए	कार्यादेश
एलटी	निम्न तनाव
एम एण्ड पी	मीटर एवं सुरक्षा
एमसी	निगरानी समिति
एमसीबी	मिनिएचर सर्किट ब्रेकर
एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एमआईएस	प्रबंध सूचना प्रणाली
एमओपी	ऊर्जा मंत्रालय
एमपी	संसद सदस्य
एमपीआर	मासिक प्रगति प्रतिवेदन
एमक्यूपी	निर्माण गुणवत्ता योजना
एमटीसीपीएल	मेधाज टेक्नों कॉनसेप्ट प्राईवेट लिमिटेड
एमयूज	मिलियन इकाईयां
एमवीए	मेगा वोल्ट एम्पीयर
एनएडी	आवश्यकता निर्धारण दस्तावेज
एनईएफ	राष्ट्रीय विद्युत निधि
एनओएफएन	राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क
ओ एण्ड एम	परिचालन एवं संधारण
पीसीसी	सादा सीमेंट कंक्रीट
पीडीसी	स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट किया गया उपभोक्ता
पीजीसीआईएल	पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
पीएमए	परियोजना निगरानी एजेंसी
पीएसयूज	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
पीवी	मूल्य विचलन

क्यूए	गुणवत्ता आश्वासन
आरएपीडीआरपी	पुनर्गठित त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम
आरई	ग्रामीण विद्युतीकरण
आरईसी	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड
आरईसीपीडीसीएल	आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन/वितरण कंपनी लिमिटेड
आरजीजीवीवाई	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
आरएचएच	ग्रामीण परिवार/घर
आरपीएम	समीक्षा,योजना एवं निगरानी
आरक्यूएम	आरईसी गुणवत्ता निरीक्षक
आरआरईसीएल	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
आरआरवीपीएनएल	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
आरआरवीयूएनएल	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
आरटीपीपी	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता
सोभाग्य	प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना
एसबीडी	मानक बोली दस्तावेज
एससीएडीए	पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं डाटा/आंकडो का अधिग्रहण
एससीओ	सेवा कनेक्शन आदेश
एसई	अधीक्षण अभियंता
एसजीएसटी	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
एसएलएससी	राज्य स्तरीय स्थायी समिति
एसआरएसडब्ल्यूआर	प्रतिस्थापन के बिना स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण
एसएस	सब-स्टेशन
एसटी एण्ड डी	उप-पारेषण एवं वितरण
एसआईआरज	मानक/भंडार निर्गम दरें
टी एण्ड डी	प्रसारण एवं वितरण
टीसीओएस	आपूर्ति के नियम एवं शर्ते
टीपीआई	तृतीय पक्ष निरीक्षण
टीडब्ल्यू	टर्नकी कार्य
यूसी	उपयोगिता प्रमाण पत्र
यूईवी	गैर-विद्युतीकृत गाँव
वीसीबी	वैक्यूम सर्किट ब्रेकर

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

http://cag.gov.in/ag2/rajasthan/hi